विशेषांक

पढ़ें देवभूमि के सब परिवार, जगे देशभक्ति मिले संस्कार

वार्षिक शुल्क : 60 रुपए

मातृवन्दना

चैत्र-वैशाख, कलियुगाब्द 5114, मार्च-अप्रैल, 2012

राष्ट्र के समक्ष चुनौतियाँ

अपनी बात

एक राष्ट्र का निर्माण मात्र कुछ महीनों और कुछ वर्षों के भीतर नहीं होता यह तो कई सौ वर्षों और युग-युगांतरों का परिणाम है कि जब एक क्षेत्र विशेष के लोग अपने को एक राष्ट्र के सूत्र में बंधा पाते हैं। भारत भी ऐसा ही एक भूभाग है जिसमें रहने वाले लोगों की विविध संस्कृति, चरित्र, आदतें हैं और रहन-सहन है तथा कुछ विषयों को लेकर परस्पर निर्भरता भी निहित है। जिसके चलते इसकी विश्व में एक अलग राष्ट्र के नाते पहचान है। विषम परिस्थितियों में भी भारत टूटा नहीं। भारत में आज भी कई ऐसी विपरीत परिस्थितियां हैं जो चुनौतियां बन कर हमारे सामने आ रही हैं जिसमें शिक्षा, कूटनीति, व्यापार पर पाश्चात्य निर्भरता, अपनी क्षमता एवं योग्यताओं पर अविश्वास, व्यवस्था में वोट आधारित तुष्टिकरण की राजनीति, आतंकवाद, काले धन के रूप में देश की सम्पति का निष्कासन, बाजारवाद, भ्रष्टाचार, मतांतरण और प्रदूषण प्रमुख हैं।

स्थिति ऐसी लग रही है कि शायद ही कभी भारत इन चुनौतियों से उभर पाएगा। लेकिन इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारत वर्ष एक बार फिर अपने दृढ़ निश्चय और आत्मबल से इन सभी चुनौतियों को पार कर जाएगा। बस आवश्यकता है आत्मबल को जगाने की। मातृवंदना के इस अंक में ऐसी ही विभिन्न चुनौतियों के दुष्परिणाम और उनके समाधान पर प्रकाश डाला गया है। आशा है कि इसका पाठन कर समाज को एक बार पुन: आत्मबल प्राप्त हो जिससे वह चुनौतियों का बखूबी सामना कर सके।

इस मनोकामना के साथ विक्रमी सम्वत् 2069 की हार्दिक शुभकामनाएं।

वन्देमातरम्।

उत्तर क्षेत्र प्रचार प्रमुख

मातृवन्दना के पाठकों को वर्ष प्रतिपदा की हार्दिक शुभकामनाएं

इस अंक में

सम्पादकीय		2
कैसा हो हमारा नया साल	विनोद बंसल	3
चुनौतियां, राष्ट्र जागरण और संघ	डॉ. बजरंगलाल गुप्त	6
काले धन का दानव	प्रो. एस.पी. बंसल	10
चीन की रणनीतिक चुनातियां	भगवती प्रकाश शर्मा	11
मुस्लिम धर्मान्धता...	नरेन्द्र सहगल	14
आतंकवाद	कृष्णचंद महादेविया	18
राष्ट्रीय सुरक्षा में सीमांत राज्य...	भुवन चंद्र खंडूड़ी	20
भारतीय विदेश नीति...	प्रो. कुलदीप अग्निहोत्री	22
साम्प्रदायिक आरक्षण...	नरेश भारतीय	24
अल्पसंख्यक तुष्टिकरण	डॉ. विद्याचंद ठाकुर	26
कांग्रेस, मुसलमान और आरक्षण	गोकुलेश पाण्डेय	28
वोट की राजनीति...	गणेश दत्त	30
व्यवस्था परिवर्तन : चुनौती	डॉ. दयानन्द शर्मा	32
अवैध घुसपैठ	मीनाक्षी सूद	35
विदेशों में जमा काले धन...	शांता कुमार	36
विकास में बाधक भ्रष्टाचार	मंजूला कंवर	38
भ्रष्टाचार मिटाना है तो शिक्षा..	अतुल कोठारी	40
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	ए.के. सेन	42
खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश...	कश्मीरी लाल	44
भारत के सम्मुख आर्थिक...	सचिन शर्मा	47
बाजारवाद और सांस्कृतिक...	प्रो. चमनलाल गुप्त	50
पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव	अंजुरी ठाकुर	52
मतांतरण देश की अस्मिता...	आचार्य वासुदेव शर्मा	54
महाशक्ति बनता भारत	सुभाष चंद्र सूद	56
प्रदूषित पर्यावरण	दलेल ठाकुर	58
अ.भा. प्रतिनिधि सभा-2012 प्रस्ताव		60
स्वदेशी से स्वावलम्बन		62

मातृवन्दना मासिक

वर्ष : 12, अंक : 03-04 **चैत्र-वैशाख, कलियुगाब्द 5114, मार्च-अप्रैल, 2012**

सम्पादक
डॉ. दयानन्द शर्मा

सह-सम्पादक
कृष्ण मुरारी

कार्यालय
मातृवन्दना
शर्मा भवन, नया शिमला-171 009
दूरभाष व फैक्स : 0177-2671990
www.matrivandana.org **e-mail: matrivandanashimla@gmail.com**

प्रकाशक एवं मुद्रक कमल सिंह सेन द्वारा मातृवन्दना संस्थान के लिए सवितार प्रैस, Pl-160, फेस-2, उद्योग क्षेत्र, चण्डीगढ़ से मुद्रित तथा शर्मा बिल्डिंग, बीसीएस, शिमला-171009, से प्रकाशित, सम्पादक: **डॉ. दयानन्द शर्मा**।

वैधानिक सूचना : पत्रिका में छपी सामग्री से सम्पादक का सहमत होना जरूरी नहीं। इस सम्बन्ध में किसी भी कार्यवाही का निपटारा शिमला न्यायालय में ही होगा।

सम्पादकीय

चुनौतियों के निराकरण से होगा विकसित राष्ट्र का निर्माण

इस सृष्टि के चर-अचर जगत में चुनौतियों का ही साम्राज्य है। बुद्धि और विवेक से अनुप्राणित मनुष्य-जाति ही उन चुनौतियों का पूर्णतया आकलन करती है। पुनः उनका सामना भी। चाहे वे चुनौतियां व्यष्टि रूप में हो या समष्टि रूप में, उन्हीं के अनुरूप उनका सीमित या विस्तृत दायरा होता है। व्यक्तिगत चुनौतियों का मुकाबला व्यक्ति-विशेष अपनी बौद्धिक एवं शारीरिक क्षमता के अनुसार ही कर पाता है किन्तु समष्टि रूप में पूरे समाज, राज्य अथवा राष्ट्र की चुनौतियां जो जन-जन पर अपना प्रभाव डालती हैं, उनके प्रतिकार हेतु समाज अथवा देश के प्रबुद्ध बुद्धिजीवी वर्ग का अत्यधिक सचेत एवं जागरूक होकर चिंतन करना आवश्यक है। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य को न त्याग कर सही सोच को रखते हुए एकजुट हो संयुक्त प्रयास से इन चुनौतियों का निराकरण हो सकता है।

हमारा गौरवमय अतीत रहा है। विश्व ने इसके प्रति अपनी आस्था प्रदर्शित की है और सम्मान जतलाया है। भारत का स्वरूप अनेक तात्विक प्रतीक-प्रतिमानों से सुशोभित है। हमारी परम्परा कर्त्तव्य प्रधान है जबकि पश्चिम की अधिकार प्रधान। हम राष्ट्र के लिए हैं। राष्ट्र हमारी चिंता करे यह हमारा भाव नहीं। हमारी संस्कृति हमें न्याय, समता, विश्व-बंधुत्व और जड़-चेतन के प्रति श्रद्धाभाव का पाठ पढ़ाती है। जीवन मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता रही है। सद्-आचरण को हमने धर्म माना है। किन्तु हमारे इन सार्थक विचारों में आज कहां और कैसे शिथिलता आई? यह विचारणीय विषय है। विचार करने पर यही प्रतीत होता है कि इसके पीछे मूल कारण परतंत्रता है। सैकड़ों वर्षों का जो हमने गुलामी का जीवन जीआ है, उसी प्रताड़ना के वशीभूत हमने अपनी अस्मिता एवं स्वाभिमान को भुला दिया है। आखिरी विदेशी शासक अंग्रेजों ने तो सुनियोजित ढंग से हमारी मानसिकता को ही बदल डाला है। आज हम आधुनिकता के नाम पर अपनी सांस्कृतिक-नैतिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं से दूर होते जा रहे हैं। इसी के दुष्परिणाम स्वरूप राष्ट्र को विकट चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

किसी सीमा तक हमें यह भी स्वीकार्य होना चाहिये कि आधुनिकता एक सच्चाई है। समकालीन सोच के अभाव में हम समाज और राष्ट्र के भविष्य का आदर्श सपना साकार नहीं कर सकते। वैसे भी आज भूमण्डलीकरण एवं वैश्विक व्यवस्था के कारण सभी देश एक-दूसरे से किसी न किसी रूप में बंधे हैं। इन परिस्थितियों में भी हर राष्ट्र अपने मूलचिंतन एवं आदर्श को सामने रखकर, अपने सांस्कृतिक वैभव को सुरक्षित रखकर और अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण को आधार मानकर अपने ही संसाधनों से विकास पथ पर आगे बढ़ता है। यही सोच लेकर 'मातृवन्दना' ने इस वर्ष प्रतिपदा पर **'राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां'** विषय पर विशेषांक निकाला है।

देश के समक्ष अनेक चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह भारत चुनौतियों की सैरगाह बन गया है। अमेरिका के वर्चस्व को समाप्त करने की इच्छा रखता हुआ महा विश्व-शक्ति बनने के लिये उत्कंठित चीन केवल भारत को ही अपना प्रतिद्वंद्वी मान बैठा है। इसलिये सीमाओं पर दबाव और पड़ोसी देशों पर निरंतर अपना प्रभाव जमा रहा है। आर्थिक और सामरिक दृष्टि से हमें नीचा दिखाने के लिये वह सतत् प्रयासरत है। प्रबुद्ध लेखकों ने चीन से सम्बद्ध इन सभी पक्षों पर प्रकाश डाला है और समाधान की दृष्टि से कुछ सुझाव भी दिए हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान एवं उस द्वारा प्रायोजित आतंकवाद पर भी अन्य विज्ञ लेखकों ने प्रकाश डाला है। सीमाओं पर पड़ोसी देशों से जो अवैध घुसपैठ हो रही है उसे भी एक गम्भीर चुनौती स्वीकारा गया है। इसी संदर्भ में एक प्रतिष्ठित लेखक द्वारा हमारी विदेशी-नीति का भी विवेचन किया गया है। राष्ट्र के आर्थिक पक्ष को कमजोर करने वाली सरकार की नीतियों के प्रति अनास्था प्रकट करते हुए जागरूक लेखकों ने कालाधन, बाजारवाद, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आदि पर अपने विचार प्रकट किये हैं। देश के सामाजिक पक्ष का चिंतन करते हुए मतांतरण, साम्प्रदायिक आरक्षण, भ्रष्टाचार, अपसंस्कृति, पर्यावरण प्रदूषण आदि विषयों पर भी विद्वान् लेखकों ने अपने विचार अभिव्यक्त किये हैं। शिक्षा एवं राजनीतिक व्यवस्था पर भी लेखकों ने प्रश्नचिह्न खड़े किये हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये सभी विचार मातृवन्दना के प्रबुद्ध पाठक वर्ग को अवश्य उद्वेलित करेंगे। साथ ही आप सब पाठकगण एक सशक्त सोच को धारण कर समृद्ध समाज और विकसित राष्ट्र के निर्माण में एकजुट हो सहभागी बनेंगे।' ❑

जिस प्रकार ईस्वी सम्वत् का सम्बंध ईसा जगत से है उसी प्रकार हिजरी सम्वत् का सम्बंध मुस्लिम जगत और हजरत मुहम्मद साहब से है। किन्तु विक्रमी सम्वत् का सम्बंध किसी भी धर्म से न होकर सारे विश्व की प्रकृति, खगोल सिद्धांत व ब्रह्मांड के ग्रहों व नक्षत्रों से है। इसलिये भारतीय काल गणना पंथ निरपेक्ष होने के साथ सृष्टि की रचना व राष्ट्र की गौरवशाली परम्पराओं को दर्शाती है।

कैसा हो हमारा नया साल

❑ विनोद बंसल

31 दिसम्बर के नजदीक आते ही जगह-जगह जश्न मनाने की तैयारियां प्रारम्भ हो जाती हैं। होटल, रेस्तरां पब इत्यादि अपने-अपने ढंग से इसके आगमन की तैयारियां करने लगते हैं। 'हैप्पी न्यू ईयर' के बैनर, होर्डिंग, पोस्टर व काडर्पों के साथ दारू की दुकानों की भी चांदी कटने लगती है। कहीं कहीं तो जाम से जाम इतने टकराते हैं कि घटनाएं दुर्घटनाओं में बदल जाती हैं और मनुष्य मनुष्यों से तथा गाड़ियां गाड़ियों से भिड़ने लगते हैं। रात-रात भर जागकर नया साल मनाने से ऐसा प्रतीत होता है मानो सारी खुशियां एक साथ आज ही मिल जाएंगी। हम भारतीय भी पश्चिमी अंधानुकरण में इतने सराबोर हो जाते हैं कि उचित अनुचित का बोध त्याग अपनी सभी सांस्कृतिक मर्यादाओं को तिलांजलि दे बैठते हैं। पता ही नहीं लगता कि कौन अपना है और कौन पराया।

एक जनवरी से प्रारम्भ होने वाली काल गणना को हम ईस्वी सन् के नाम से जानते हैं जिसका सम्बंध ईसाई जगत् व ईसा मसीह से है। इसे रोम के सम्राट जूलियस सीजर द्वारा ईसा के जन्म के तीन वर्ष बाद प्रचलन में लाया गया। भारत में ईस्वी सम्वत् का प्रचलन अंग्रेजी शासकों ने 1752 में किया। अधिकांश राष्ट्रों के ईसाई होने और अंग्रेजों के विश्वव्यापी प्रभुत्व के कारण ही इसे विश्व के अनेक देशों ने अपनाया। 1752 से पहले ईस्वी सन् 25 मार्च से शुरू होता था किन्तु 18वीं सदी से इसकी शुरुआत एक जनवरी से होने लगी। ईस्वी कलेंडर के महीनों के नामों में प्रथम छह माह यानी जनवरी से जून रोमन देवताओं (जोनस, मार्स व मया इत्यादि) के नाम पर हैं। जुलाई और अगस्त रोम के सम्राट जूलियस सीजर तथा उनके पौत्र आगस्टस के नाम पर तथा सितम्बर से दिसम्बर तक रोमन संवत् के मासों के आधार पर रखे गए। जुलाई और अगस्त, क्योंकि सम्राटों के नाम पर थे इसलिये, दोनों ही 31 दिनों के माने गए अन्यथा कोई भी दो मास 31 दिनों या लगातार बराबर दिनों की संख्या वाले नहीं हैं।

नव संवत् यानी संवत्सरों का वर्णन यजुर्वेद के 27वें व 30वें अध्याय के मंत्र क्रमांक क्रमश: 45 व 15 में विस्तार से दिया गया है। विश्व में सौर मंडल के ग्रहों व नक्षत्रों की चाल व निरंतर बदलती उनकी स्थिति पर ही हमारे दिन, महीने, साल और उनके सूक्ष्मतम भाग आधारित होते हैं।

ईसा से 753 वर्ष पहले रोम नगर की स्थापना के समय रोमन संवत् प्रारम्भ हुआ जिसके मात्र दस माह व 304 दिन होते थे। इसके 53 साल बाद वहां के सम्राट नूमा-पाम्पीसियस ने जनवरी और फरवरी दो माह और जोड़कर इसे 355 दिनों का बना दिया। ईसा के जन्म से 46 वर्ष पहले जूलियस सीजर ने इसे 365 दिन का बना दिया। सन् 1582 ई. में पोप ग्रेगरी ने आदेश जारी किया कि इस मास के 4 अक्तूबर को इस वर्ष का 14 अक्तूबर समझा जाए। आखिर क्या आधार है इस काल गणना का? यह तो ग्रहों व नक्षत्रों की स्थिति पर आधारित होनी चाहिये।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् नवम्बर 1952 में वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद् के द्वारा पंचांग सुधार समिति की स्थापना की गई। समिति ने 1955 में सौंपी अपनी रिपोर्ट में विक्रमी संवत् को भी स्वीकार करने की सिफारिश की थी। किन्तु तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू के आग्रह पर ग्रेगेरियन कलेंडर को ही सरकार कामकाज हेतु उपयुक्त मानकर 22 मार्च, 1957 को इसे राष्ट्रीय कलेंडर के रूप में स्वीकार कर लिया गया।

ग्रेगेरियन कलेंडर की काल गणना मात्र दो हजार वर्षों के अति

अल्प समय को दर्शाती है। जबकि यूनान की काल गणना 3581 वर्ष, रोम की वर्ष यहूदी रफर, मिस्र की, पारसी तथा चीन की वर्ष पुरानी है। इन सबसे अलग यदि भारतीय काल गणना की बात करें तो हमारे ज्योतिष के अनुसार पृथ्वी की आयु एक अरब 97 करोड़, 39 लाख 49 हजार वर्ष है। जिसके व्यापक प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक-एक पल की गणना की गई है।

जिस प्रकार ईस्वी सम्वत् का सम्बंध ईसा जगत से है उसी प्रकार हिजरी सम्वत् का सम्बंध मुस्लिम जगत और हजरत मुहम्मद साहब से है। किन्तु विक्रमी सम्वत् का सम्बंध किसी भी धर्म से न होकर सारे विश्व की प्रकृति, खगोल सिद्धांत व ब्रह्मांड के ग्रहों व नक्षत्रों से है। इसलिये भारतीय काल गणना पंथ निरपेक्ष होने के साथ सृष्टि की रचना व राष्ट्र की गौरवशाली परम्पराओं को दर्शाती है। इतना ही नहीं ब्रह्माण्ड के सबसे पुरातन ग्रंथ वेदों में भी इसका वर्णन है। नव संवत् यानी संवत्सरों का वर्णन यजुर्वेद के 27वें व 30वें अध्याय के मंत्र क्रमांक क्रमशः 45 व 15 में विस्तार से दिया गया है। विश्व में सौर मंडल के ग्रहों व नक्षत्रों की चाल व निरंतर बदलती उनकी स्थिति पर ही हमारे दिन, महीने, साल और उनके सूक्ष्मतम भाग आधारित होते हैं।

इसी वैज्ञानिक आधार के कारण ही पाश्चात्य देशों के अंधानुकरण के बावजूद, चाहे बच्चे के गर्भाधान की बात हो, जन्म की बात हो, नामकरण की बात हो, गृह प्रवेश या व्यापार प्रारम्भ करने की बात हो, सभी में हम एक कुशल पंडित के पास जाकर शुभ लग्न व मुहूर्त पूछते हैं। और तो और, देश के बड़े से बड़े राजनेता भी सत्तासीन होने के लिये सबसे पहले एक अच्छे मुहूर्त का इंतजार करते हैं जोकि विशुद्ध रूप से विक्रमी संवत् के पंचांग पर आधारित होता है। भारतीय मान्यतानुसार कोई भी काम यदि शुभ मुहूर्त में प्रारम्भ किया जाए तो उसकी सफलता में चार चांद लग जाते हैं। वैसे भी भारतीय संस्कृति श्रेष्ठता की उपासक है जो प्रसंग समाज में हर्ष व उल्लास जगाते हुए एक सही दिशा प्रदान करते हैं उन सभी को हम उत्सव के रूप में मनाते हैं। राष्ट्र के स्वाभिमान व देश प्रेम को जगाने वाले अनेक प्रसंग चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जुड़े हुए हैं। यह वह दिन है जिस दिन से भारतीय नव वर्ष प्रारम्भ होता है। आइये इस दिन की महानता के प्रसंगों को देखते हैं :-

ऐतिहासिक महत्त्व

- वर्ष पूर्व इसी दिन के सूर्योदय से ब्रह्मा जी ने जगत की रचना प्रारम्भ की।
- प्रभु श्रीराम, चक्रवर्ती सम्राट् विक्रमादित्य व धर्म राज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था।
- शक्ति और भक्ति के नौ दिन अर्थात् नवरात्र स्थापना का

नव वर्ष के लिये बधाई

आनेवाला कल आपका मंगलमय सुखदायी हो
हर नया दिन तुम्हें मुबारिक बंधुवर बहुत बधाई हो।
स्वागत कर लें नई सुबह का, भूलें काली रातों को।
भूखा पेट रहे न कोई, काम मिले सब हाथों को।
हर उपाय करें हम ऐसा, हर दुःख की भरपाई हो।
नया दिन हो तुम्हें मुबारक बंधुवर तुम्हें बधाई हो।
इस साल में प्याज न महंगी, न भीषण महंगाई हो।
नया साल तुम्हें मुबारक, बंधुवर बहुत बधाई हो।
जात-पात के दंगों की फिर, कहीं न कोई कहानी हो।
ऐसा कुछ हो जाए कि, हर दिल हिन्दोस्तानी हो।
इंसानों के बीच कहीं भी न ऊंच-नीच की खाई हो।
हर दिन तुम्हें मुबारक बंधुवर तुम्हें बधाई हो।
विश्व शांति का लक्ष्य हमारा पथ से कहीं डिग जाए न।
अपने देश की साख विश्व में, कभी कहीं गिर पाए ना।
शक्ति हमारी व्यर्थ न जाए न हमारी जग हंसाई हो।
नए वर्ष का नया सवेरा, बंधुवर तुम्हें बधाई हो।
प्रेम भाव से जीना सीखें, हर दिन नेक भलाई हो।
जाप करें हर पल ईश का विषमताओं से रिहाई हो।
नव वर्ष हो तुम्हें मुबारक, बंधुवर तुम्हें बधाई हो।
बंद हो यौन की शिक्षा, योग की ही अंगड़ाई हो।
दुनियां का अंधकार मिटा दो, नित ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई हो।
हर नया दिन तुम्हें मुबारक बंधुवर तुम्हें बधाई हो।
फास्टफूड से नाता तोड़ो, हर घर दूध मलाई हो।
हर दिन तुम्हें मुबारक, प्रियवर तुम्हें बधाई हो।
अस्तित्व हमारा जिससे, ऐसे गुरु की शरणाई हो
सूर्य देव से पूर्व उठकर आत्मसंतोष की भरपाई हो
आने वाला समय आपका, मंगलमय सुखदायी हो।
हर नया दिन तुम्हें मुबारक, बंधुवर बहुत बधाई हो।

– **के.एस. कौंडल**, ऊना

पहला दिन यही है।

- प्रभु राम के जन्मदिन रामनवमी से पूर्व नौ दिन का श्रीराम महोत्सव मनाने का प्रथम दिन।
- आर्य समाज स्थापना दिवस, सिख परम्परा के द्वितीय गुरु अंगददेव जी, संत झूलेलाल व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉ. केशव राव बलीराम हेडगेवार का जन्मदिवस।

प्राकृतिक महत्त्व

- वसंत ऋतु का आरम्भ वर्ष प्रतिपदा से ही होता है जो उल्लास, उमंग, खुशी तथा चारों तरफ पुष्पों की सुगंधि से भरी होती है।
- फसल पकने का प्रारम्भ यानी किसान की मेहनत का फल मिलने का भी यही समय होता है।
- ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन नक्षत्र शुभ स्थिति में होते हैं, अर्थात् किसी भी कार्य को प्रारम्भ करने के लिये शुभ मुहूर्त होता है।

क्या एक जनवरी के साथ ऐसा एक भी प्रसंग जुड़ा है जिससे राष्ट्र प्रेम जाग सके, स्वाभिमान जाग सके या श्रेष्ठ होने का भाव जाग सके?आइये! विदेशी को फेंक स्वदेशी अपनाएं और गर्व के साथ भारतीय नव वर्ष यानी विक्रमी संवत् को ही मनाएं तथा इसका अधिक से अधिक प्रचार करें। ❑

(vinodbansal01@gmail.com)

फार्म-4 (नियम 8 देखिये)

1. प्रकाशन स्थल	: शिमला
2. प्रकाशन की तिथि	: माह की 1 तारीख
3. मुद्रक का नाम	: कमल सिंह सेन
क्या भारतीय नागरिक हैं	: हां
पता	: शर्मा बिल्डिंग, बी.सी.एस. शिमला-9
4. प्रकाशक का नाम	: कमल सिंह सेन
क्या भारतीय नागरिक हैं	: हां
पता	: शर्मा बिल्डिंग, बी.सी.एस. शिमला-9
5. सम्पादक का नाम	: डॉ. दयानंद शर्मा
क्या भारतीय नागरिक हैं	: हां
पता	: शर्मा बिल्डिंग, बी.सी.एस. शिमला-9
6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत के साझेदार या हिस्सेदार हों।	: मातृवन्दना संस्थान शर्मा बिल्डिंग, बी.सी.एस. शिमला-9

मैं कमल सिंह सेन अध्यक्ष, 'मातृवन्दना संस्थान' एतद् द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकृत जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिये गए विवरण सत्य हैं।

हस्ता./-
कमल सिंह सेन
प्रकाशक

दिनांक : 31 मार्च, 2012

राष्ट्र का चिंतन जगाओ

इस राष्ट्र का चिंतन जगाओ दोस्तो!
आत्मा को घर बुलाओ दोस्तो!

देश के जन ईश की ही मूर्तियां
इन मूर्तियों को सर झुकाओ दोस्तो!

सरहदों पर जो खड़े हैं देवता
उन्हें गीत में गजलों में गाओ दोस्तो!

देश को चिरकाल तक जीना है तो
उसे मान से मरना सिखाओ दोस्तो!

है जो जहालत मुल्क की अब हो रही
उसे कोई तो रास्ता दिखाओ दोस्तो!

इस देश में जो भी जहां आसीन है
उसे देश का मतलब बताओ दोस्तो!

कभी यूं नहीं बनते कहीं भी कीर्तिमान
कोई कीर्तिगाथाएं बनाओ दोस्तो!

तरुण रखने को सदा निज राष्ट्र को
ख्वाहिशें इसकी जगाओ दोस्तो!

❑ डॉ. ओम्प्रकाश सारस्वत

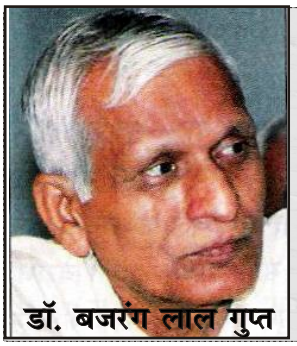

डॉ. बजरंग लाल गुप्त

आज भी देश में 40 से लेकर 50 प्रतिशत तक गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं। और आश्चर्य है कि देश के नीति-निर्माता ग्रामीण क्षेत्र में 26 रुपये और शहरी क्षेत्र में 32 रुपये कमाने वाले को गरीबी रेखा के ऊपर मानते हैं! इससे अधिक लज्जाजनक बात देश के लिये और क्या हो सकती है? आर्थिक असंतुलन लगातार बढ़ रहा है। अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। आम आदमी के काम आने वाली रोजमर्रा की वस्तुएं महंगी होती जा रही हैं और ऐसे में बेरोजगारी के संकट ने युवाओं के सामने एक अंधकारमय भविष्य निर्माण कर दिया है।

चुनौतियां, राष्ट्र जागरण और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

देश इस समय अनेक संकटों, समस्याओं एवं चुनौतियों से जूझ रहा है। चुनौतियों पर निगाह डालें तो सबसे पहला प्रश्न है देश की सुरक्षा के संदर्भ में, बाहरी सुरक्षा का विचार करें चाहें आंतरिक सुरक्षा का, दोनों दृष्टियों से हम बहुत संकट में हैं। चीन आए दिन भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करता रहता है। पाकिस्तान घुसपैठिये भेजकर, जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों को प्रोत्साहन देकर भारत की सुरक्षा के लिये खतरा पैदा करता रहता है। बंगलादेश की ओर से भी हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि भारत चारों ओर से अपनी सीमाओं की सुरक्षा के संकट से जूझ रहा है। आंतरिक सुरक्षा भी बहुत ज्यादा चिंता का विषय हो गई है। देश के अनेक हिस्सों में नक्सलवाद-माओवाद की समस्याएं सिर उठाए खड़ी हैं। उग्रवादी संगठन अनेक प्रकार से देश को तोड़ने के लिये समाज में अव्यवस्था निर्माण करने का काम करते रहते हैं।

अनिश्चितता और भय

उत्तर पूर्व हो या जम्मू-कश्मीर, अलगाववादियों की करतूतों के चलते कोई निश्चिंतता से नहीं कह सकता कि वह देश के किसी भी हिस्से में निर्भय होकर जी सकता है। बाजार में, खेत-खलिहान में, घर में सब जगह आदमी अपने को असुरक्षित महसूस करता है। लचर कानून-व्यवस्था भी देश के सामने एक संकट है। देश का आम आदमी भय और आतंक के वातावरण में जी रहा है। इस अनिश्चितता और भय के वातावरण में घुसपैठ भी एक बड़ी समस्या है। 5 करोड़ से अधिक बंगलादेशी घुसपैठिये आज भारत की धरती पर हैं। दुनिया के बहुत सारे देशों की आबादी भी उतनी नहीं है, जितने घुसपैठिये भारत में हैं। इस सबके बीच राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न बहुत गम्भीर बनता जा रहा है। सर्वाधिक दुख की बात यह है कि ऐसे आतंकवादियों या उग्रवादियों अथवा घुसपैठियों के खिलाफ जब कभी भी कोई राज्य सरकार कठोर कार्रवाई करने के लिये आगे बढ़ती है तो वोट के लालच में अपने देश के अनेक कथित सेकुलर राजनीतिक नेता या तथाकथित मानवाधिकारवादी कार्यकर्ता सरकार, सेना और पुलिस का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। इसलिये इन राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का मुकाबला कितनी तत्परता से किया जा सकता है, यह भी एक प्रश्नचिह्न है।

सामाजिक विद्रूपताएं

जब हम देश की सामाजिक क्षेत्र की चुनौतियों का विचार करते हैं तो आज भी देश में जातीय विद्वेष है। जातियों में आपसी झगड़े होते रहते हैं। कहीं भाषा को लेकर झगड़ा है, तो कहीं क्षेत्र को लेकर। नदी-पानी के विवाद अभी भी नहीं सुलझ पा रहे हैं। साथ ही समाज का सामाजिक ताना-बाना भी वि शृंखल होता चला जा रहा है। महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। आए दिन दहेज हत्या और दहेज के कारण उत्पीड़न की घटनाएं होती रहती हैं। एक बहुत वीभत्स चलन सामने आ रहा है, कन्या भ्रूण हत्या का। देश में अनेक अध्ययन हुए हैं उनमें जो तथ्य सामने आए हैं वे और भी चिंता उत्पन्न करने वाले हैं कि कन्या भ्रूण हत्या में समाज का तथाकथित सम्पन्न

और पढ़ा-लिखा वर्ग भी शामिल है। फिर छुआछूत की समस्या है। जातीय आधार पर राजनीति करने की समस्या खड़ी हो गई है। इसलिये सामाजिक दृष्टि से विचार करते हैं तो समाज की व्यवस्था बहुत सुखद प्रतीत नहीं होती। समाज को तोड़ने के भिन्न-भिन्न षड्यंत्र चल रहे हैं जाति, मत, पंथ, भाषा, अगड़े-पिछड़े, शिक्षित-अशिक्षित, शहरी-ग्रामीण के नाम पर कितने ही झगड़े हैं। सामाजिक ताने-बाने को सब प्रकार से छिन्न-भिन्न करने का प्रयत्न चल रहा है।

आर्थिक प्रगति का सच

तीसरा, जब देश के बारे में विचार करते हैं तो देश की आर्थिक स्थिति का प्रश्न आता है। आजादी के इतने सालों के बाद भी सब प्रकार की प्रतिभाएं और सब प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों के होने के बावजूद देश को जिस गति से प्रगति करनी चाहिये थी और आर्थिक समस्याओं को सुलझा लेना चाहिये था, वह नहीं हो पा रहा है। सरकार भले ही भारत का उल्लेख विश्व में उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में करती हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज भी भारत की गिनती दुनिया के अत्यंत गरीब और विपन्न देशों की श्रेणी में होती है। आज भी देश में 40 से लेकर 50 प्रतिशत तक गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं। और आश्चर्य है कि देश के नीति-निर्माता ग्रामीण क्षेत्र में 26 रुपये और शहरी क्षेत्र में 32 रुपये कमाने वाले को गरीबी रेखा के ऊपर मानते हैं! इससे अधिक लज्जाजनक बात देश के लिये और क्या हो सकती है?आर्थिक असंतुलन लगातार बढ़ रहा है। अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। आम आदमी के काम आने वाली रोजमर्रा की वस्तुएं महंगी होती जा रही हैं और ऐसे में बेरोजगारी के संकट ने युवाओं के सामने एक अंधकारमय भविष्य निर्माण कर दिया है।

सेवा कार्य में जुटे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक

भ्रष्टाचार व राजनीतिक जोड़-तोड़

देश में संस्कार, संस्कृति, सांस्कृतिक और नैतिक जीवन मूल्यों की दृष्टि से विचार करते हैं तो उनका भी लगातार स्खलन हो रहा है। समाज जीवन के हर अंग में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। अब भ्रष्टाचार किसी एक वर्ग या किसी एक काम तक सीमित नहीं रह गया है। उच्च पदस्थ राजनेताओं से लेकर नौकरशाह, सेना और पुलिस के बड़े अधिकारी तक इसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं। शिक्षा और समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आम आदमी इस भ्रष्टाचार के रोग से पिसता चला जा रहा है। लगता है कि नीतियां केवल पैसे के लेन-देन के आधार पर बनाने का कुचक्र चल रहा है। देश में किसी का कोई काम ईमानदारी से, प्रामाणिकता से हो सकता है, इसका विश्वास ही नहीं रह गया है। देश भ्रष्टाचार के अंधकार में उतरता चला जा रहा है।

राजनीति का जब विचार करते हैं तो मुद्दों की राजनीति कहीं पीछे ही छूट गई है। अब तो राजनीति जाति-मजहब आधारित हो गई है और वोट बैंक की जोड़-तोड़ करके जिताऊ उम्मीदवार के आधार पर राजनीति चल रही है। इसलिये कौन राजनेता कब, कौन से राजनीतिक दल का झंडा उठा लेगा, किस राजनीतिक दल के बैनर के नीचे चला जाएगा, कुछ नहीं कह सकते। मुद्दों और विचारों के आधार पर देश की राजनीति पीछे छूट गई है। ऐसे मुद्दाविहीन और विचारधारा-विहीन राजनीतिक तंत्र के चलते देश में सही नीतियों का निर्माण कैसे हो सकेगा?चिंतनशील लोगों के सामने यह गम्भीर प्रश्न खड़ा हो गया है। ऐसी सब स्थितियों में विदेशी ताकतें और विदेशी षड्यंत्रकारी, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, सक्रिय हो गए हैं।

निराशा नहीं विश्वास जगे

मैंने देश का ऐसा वर्तमान दृश्य चिंता या निराशा उत्पन्न करने के लिये प्रस्तुत नहीं किया है। किसी भी विचारवान व्यक्ति को और समाज जीवन में, राष्ट्र निर्माण में लगे कार्यकर्ता को अपने देश की परिस्थिति का वस्तुपरक आकलन करना ही चाहिये। ऐसे आकलन से प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि इसमें से मार्ग कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 87 वर्षों से राष्ट्र निर्माण का सपना संजोकर देश के लिये काम कर रहा है। संघ इन सब समस्याओं को कैसे देखता है और इन सब समस्याओं के समाधान का

'मैं देश के लिये काम करूंगा' व्यक्ति के मन में जब यह भाव कमजोर पड़ जाता है और 'अपने स्वार्थों, अपने हितों, उनकी पूर्ति के लिये काम करूंगा' का भाव बलवान होता है तब-तब समस्याएं भीषण रूप लेती जाती हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉ. हेडगेवार ने प्रारम्भ से ही इस बात को समझ लिया था और इसलिये उन्होंने संघ के माध्यम से ही वह मूलभूत काम करने का निश्चय किया, राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का जागरण करना, संस्कारवान लोगों को तैयार करना और राष्ट्र जागरण का ऐसा भाव पैदा करना जिससे सब समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाएं।

स्थायी मार्ग निकालने का उसका कैसा संकल्प है, यह आज के समय में समझना और अधिक आवश्यक हो गया है। इस सब प्रश्नों के मूल में एक ही बात समान रूप से दिखाई देती है राष्ट्र और राष्ट्रीयता की भावना का अभाव, जिसे दृढ़ बनाने में रा. स्व. संघ निरंतर सक्रिय है। राष्ट्रहित, देशभक्ति, मातृभक्ति की जो भावना देशवासियों में जगनी चाहिये, वह तब कमजोर पड़ती है जब व्यक्तिगत स्वार्थ सर्वोपरि होने लगता है। 'मैं देश के लिये काम करूंगा' व्यक्ति के मन में जब यह भाव कमजोर पड़ जाता है और 'अपने स्वार्थों, अपने हितों, उनकी पूर्ति के लिये काम करूंगा' का भाव बलवान होता है तब-तब समस्याएं भीषण रूप लेती जाती हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉ. हेडगेवार ने प्रारम्भ से ही इस बात को समझ लिया था और इसलिये उन्होंने संघ के माध्यम से ही वह मूलभूत काम करने का निश्चय किया, राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का जागरण करना, संस्कारवान लोगों को तैयार करना और राष्ट्र जागरण का ऐसा भाव पैदा करना जिससे सब समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाएं।

हमारा समाज अस्मिता, अपने स्वत्व, अपनी पहचान को भूल गया है। वह कौन है, इसको भूल गया है। उसका जागरण कराना और उसके अन्दर उत्कट राष्ट्रभक्ति का निर्माण करना कि किसी भी कीमत पर, न किसी दबाव या प्रलोभन के कारण देश के अहित का काम नहीं करूंगा। वही काम करूंगा जो देश के हित में है, जब व्यक्ति के मन में यह भाव जगने लगता है, तब उसके कारण से सब समस्याओं के समाधान के लिये लोग तैयार हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं

राष्ट्र के आत्मतत्त्व का जागरण

अगर इस बात को समझना हो तो एक छोटे से उदाहरण से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा–गर्मी की तेज दोपहरी में कोई नौजवान साइकिल से सड़क पर जा रहा हो, सामने से गाड़ी आए, टक्कर हो जाए और वह बेहोश होकर गिर जाए, चारों ओर भीड़ एकत्रित हो जाए। भीड़ में से तरह-तरह के लोग उस नौजवान की सहायता करने के लिये आगे बढ़ेंगे। किसी को लगेगा कि इस नौजवान के हाथ में घड़ी बंधी हुई थी, जेब में पर्स था। घड़ी निकलकर गिर गई है, पर्स भी गिर गया है। अत: इसकी सहायता करने का एक ही तरीका है कि पर्स और घड़ी ठीक से संभालकर रख ली जाए, यानी उसके ध्यान में आर्थिक प्रश्न आया और वह उस दृष्टि से सहायता में जुटा है। किसी को ध्यान में आता है कि गिर जाने के कारण इसके पैर में चोट आई है, थोड़ा खून बह रहा है, इसका प्राथमिक उपचार करके इसकी पट्टी कर देने का कार्य कर देना चाहिये, वो वह कर रहा है। किसी को ध्यान में आया कि इसका चश्मा गिर गया है, पैंट के बटन खुल गए हैं, इसकी कमीज अस्तव्यस्त हो गई है, यह अच्छा नहीं लग रहा है। तो वह उसकी पैंट का बटन, चश्मा, कमीज ठीक करने का काम कर रहा है। अब ये सब काम गलत नहीं हैं, ठीक हैं। पर उस समय की मूल आवश्यकता ये नहीं है, उस भीड़ में कोई समझदार आदमी होगा तो वह इनमें से कोई काम करने की बजाए घायल को डॉक्टर के पास ले जाएगा या सबसे पहले वह उस बेहोश पड़े नौजवान की बेहोशी दूर करने का काम करेगा। अगर वह खड़ा हो गया तो वह जेब में पर्स भी डाल लेगा, घड़ी भी पहन लेगा, पैंट के बटन भी बंद कर लेगा और डॉक्टर को कहेगा कि पैर में जरा खरोंच आ गई है, पट्टी भी कर दीजिये। यदि लोग बाकी सब काम करते रहे पर उसकी बेहोशी दूर करने का प्रयत्न नहीं किया और धीरे-धीरे बेहोशी से वह जान गंवा बैठा तो कोई सहायता उसके काम नहीं आएगी। इसलिये राष्ट्र के आत्मतत्व का जागरण यानी राष्ट्र जागरण का काम प्राथमिक कार्य है। ऐसा डॉ. हेडगेवार ने सोचा था। आज का हमारा समाज अपने अस्तित्व, अपनी अस्मिता, अपने स्वत्व, अपनी पहचान को भूल गया है।

वह कौन है, इसको भूल गया है। उसका जागरण कराना और उसके अन्दर उत्कट राष्ट्रभक्ति का निर्माण करना कि किसी भी कीमत पर, न किसी दबाव या प्रलोभन के कारण देश के अहित का काम नहीं करूंगा। वही काम करूंगा जो देश के हित में है, जब व्यक्ति के मन में यह भाव जगने लगता है, तब उसके कारण से सब समस्याओं के समाधान के लिये लोग तैयार हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो संघ की शाखाओं के माध्यम से राष्ट्रभक्ति के जागरण का काम संघ ने अपने हाथ में लिया है।

इसी काम के विस्तार के तौर पर कुछ और काम संघ बीच-बीच में करता है। समाज जीवन में भिन्न-भिन्न माध्यम से छोटी-बड़ी अनेक गोष्ठियां करके, अनेक पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से, अनेक छोटी-बड़ी पुस्तकों के माध्यम से, कार्यक्रमों में समाज के अनेक प्रमुख लोगों को बुलाकर, देश की समस्याओं और उनके समाधान में व्यक्ति के नाते, नागरिक के नाते हमारा कर्तव्य, समस्याओं के सही परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करना और एक राष्ट्रीय कर्तव्य का जागरण करना। ये सारे काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भिन्न-भिन्न विचार गोष्ठियों के माध्यम से, सम्पर्क अभियान के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से करता रहा है। उसका परिणाम बहुत अच्छा आया है। लोग यह मानने और समझने लगे हैं कि भिन्न-भिन्न समस्याओं का प्रामाणिक आकलन करने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक महत्त्वपूर्ण भूमिका है। हमको देशभर में अनेक विचारवान लोगों का सहयोग मिल रहा है। वे विचार-विमर्श में शामिल हो रहे हैं और उसके कारण एक सही सोच के निर्माण में और सही दिशा में काम करने में सबका सहयोग मिल रहा है।

देश में चाहे प्राकृतिक आपदा हो जाए- कहीं भूकम्प, बाढ़ आ जाए, कहीं अकाल हो, तब राष्ट्रभक्ति के भाव और प्रेरणा के कारण ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और कार्यकर्ता वहां तुरंत पहुंचते हैं और देश के दुख-दर्द को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। फिर चाहे वनवासी क्षेत्र हो, सेवा बस्ती हो, ऐसे भिन्न-भिन्न प्रकार के सेवा कार्यों के माध्यम से लाखों स्वयंसेवक डेढ़ लाख से अधिक सेवा प्रकल्पों में संलग्न हैं।

प्रत्यक्ष उदाहरण

एक तीसरे आयाम पर भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करता है। प्रत्यक्ष रूप से वहां जाकर काम करना जहां समाज को आवश्यकता है। देश में चाहे प्राकृतिक आपदा हो जाए- कहीं भूकम्प, बाढ़ आ जाए, कहीं अकाल हो, तब राष्ट्रभक्ति के भाव और प्रेरणा के कारण ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और कार्यकर्ता वहां तुरंत पहुंचते हैं और देश के दुख-दर्द को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। फिर चाहे वनवासी क्षेत्र हो, सेवा बस्ती हो– जहां समाज का उपेक्षित तथा अभावग्रस्त वर्ग रहता है, अशिक्षित रहता है, चिकित्सा की आवश्यकता वाला वर्ग रहता है, ऐसे भिन्न-भिन्न प्रकार के सेवा कार्यों के माध्यम से लाखों स्वयंसेवक डेढ़ लाख से अधिक सेवा प्रकल्पों में संलग्न हैं। और अनुभव यह आया है कि वे प्रेम से, आत्मीयता से, बगैर राजनीतिक स्वार्थ के ऐसे लोगों के बीच काम करते हैं। इस तरह उनके मन में देश और समाज के प्रति आत्मीयता का निर्माण होता है। वर्षों से ऐसे लोगों के बीच कोई नहीं गया, वे अपने को अकेला महसूस कर रहे थे। और अकेलेपन के कारण अनेक राष्ट्रविरोधी ताकतें उनको बरगलाने का काम कर रही थीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग सेवा कार्यों के माध्यम से ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में सक्रिय होकर काम कर रहे हैं।

सदाचार से दूर होगा भ्रष्टाचार

अभी भ्रष्टाचार का प्रश्न ज्वलंत रूप से देश के सामने आया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रारम्भ से मान्यता है कि भ्रष्टाचार को सदाचारी जीवनशैली के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। भ्रष्टाचार केवल आंदोलन का विषय नहीं है और केवल कानून तक ही सीमित नहीं है। यह सब आवश्यक होते हुए भी पर्याप्त नहीं है। इसलिये जब तक स्थाई रूप से व्यक्ति का मन सदाचारी नहीं बनेगा, नैतिक जीवनमूल्यों वाला नहीं बनेगा, तब तक समाज जीवन में से यह भ्रष्टाचार का रोग हमेशा-हमेशा के लिये दूर नहीं हो सकता। इसलिये सदाचारी व्यक्ति निर्माण करने के लिये यह संस्कार देने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। देश का इतने वर्षों का अनुभव बताता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में दीक्षित, शिक्षित संस्कारित कार्यकर्ता समाज जीवन के किसी भी क्षेत्र में कार्य करता है तो वह इस प्रकार के भ्रष्टाचार के दलदल में नहीं फंसता। वह अपने को मुक्त रख पाता है, यह बहुत बड़ा संबल है। वह लोगों को प्रेरणा देता है, लोगों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करता है। ऐसे सदाचारी, नैतिक व्यक्ति का निर्माण कर ऐसे जीते-जागते ज्वलंत जीवन लोगों के सामने प्रस्तुत करने का, ऐसे **(शेष पृष्ठ 27 पर)**

काले धन का दानव

❑ प्रो. एस.पी. बंसल

कुटिल व अनुचित साधनों के द्वारा संचित एवं कमाए गए धन और करों के भुगतान से बचने के लिए भूमिगत रखे गए धन को काला धन कहते हैं। हमारे देश में काले धन की भारी मात्रा ने देश की वित्तीय प्रणाली को प्रभावित कर रखा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह काला धन ड्रग्स व हथियारों की बिक्री, अपहर्ताओं, अधिकारियों को रिश्वत के रूप में खर्च किया जाता है जो देश की वास्तविक अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज यह लोगों के जीवन की वास्तविकता बन चुका है और भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए अपने नैतिक मूल्यों को ताक पर रख कर इसकी चमक-दमक में इंसान खो गया है। हालांकि हाल ही के कुछ वर्षों में कुछ यूरोपीय देशों जिसमें संयुक्त राज्य अमरीका भी शामिल है, ने विदेशों में अवैध रूप से रखे गए धन को वापिस लेने का निर्णय लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्विट्जरलैंड यूबीएस बैंक में चार हजार अमेरिकी ग्राहकों के खातों का पर्दाफाश किया है। इसी तरह फ्रांस और जर्मनी की कहानी है। दुनिया के कई देश अपने नागरिकों द्वारा विदेशों में अवैध रूप से जमा करवाए काले धन को वापिस लाने में प्रयासरत हैं लेकिन भारत वर्ष की कहानी इसके बिल्कुल विपरीत है। भारतीय परिदृश्य पूरी तरह निराशाजनक है।

टैक्स हैवन्स के क्षेत्र में काम कर रहे एक अनुसंधान संगठन ने अनुमान लगाया था कि वर्तमान में भारत का करीब 500 अरब डॉलर काला धन विदेशी खातों में जमा है जिसका अर्थ है कि मोटे तौर पर भारत की तीन चौथाई भूमिगत अर्थव्यवस्था को यह धन प्रभावित कर रहा है। एक अनुमान के अनुसार भारत का 50 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद बाहर के देशों में जमा पड़ा है। यह सारा पैसा भ्रष्टाचार, रिश्वत व आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है।

केन्द्र में यूपीए सरकार का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस नेताओं ने तो शुरू में भारतीय मूल के लोगों द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में विदेशों में अवैध रूप से रखे गए धन की वास्तविकता को नकार दिया था। बाद में विदेशों में अवैध रूप में रखे गए काले धन को वापिस भारत लाने का वायदा किया लेकिन वो वायदा भी वायदा ही बन कर रह गया। टैक्स हैवन्स के क्षेत्र में काम कर रहे एक अनुसंधान संगठन ने अनुमान लगाया था कि वर्तमान में भारत का करीब 500 अरब डॉलर काला धन विदेशी खातों में जमा है जिसका अर्थ है कि मोटे तौर पर भारत की तीन चौथाई भूमिगत अर्थव्यवस्था को यह धन प्रभावित कर रहा है। एक अनुमान के अनुसार भारत का 50 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद बाहर के देशों में जमा पड़ा है। यह सारा पैसा भ्रष्टाचार, रिश्वत व आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। 9 जनवरी, 2011 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कर से बचने के लिए भारतीय धन को विदेशों में अवैध रूप से जमा करवाना एक शर्मनाक कार्य बताया था। इस अवैध कार्य के पीछे अपराधियों की विभिन्न श्रेणियां हैं। इसमें परम्परागत व्यवसायी, अमीर उद्यमी, राजनेता और नौकरशाह शामिल हैं। भारत सरकार ने भारतीय काले धन के विदेशों में होने के बुनियादी तथ्यों को छुपाया है। हालांकि भारत और स्विटजरलैंड संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ हस्ताक्षर कर रहे हैं लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। यहां तक कि डीटीए संधि भी काले धन जैसे अवैध मुद्दों को सम्भालने के लिये प्रभावी युक्ति नहीं है। स्विस सरकार में स्विस कानून के तहत स्विस बैंक में खाताधारक के नाम का खुलासा नहीं किया जा सकता इसलिये तथाकथित स्विटरजरलैंड के साथ दोहरे कराधान का समझौता सिर खपाई ही है।

नियमित कालेधन का सृजन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये एक गम्भीर खतरा बन गया है। इससे लोगों के अस्तित्व और सुरक्षा के प्रभावित होने की सम्भावना है। यह भ्रष्टाचार सामाजिक अपमान और नैतिक मूल्यों के हनन का स्रोत बनता जा रहा है। काले धन से किसी को भी खरीदा जा सकता है। इससे भ्रष्टाचार के पनपने के आसार बढ़ते हैं। सत्य की राह पर चलने वाले व सरकारी कर्मचारियों को ब्लैकमेल किया जा सकता है।

काले धन के पनपने के कुछ कारण है जिसमें यह मुख्य हैं-

1. करों की उच्च दरें जो मानव स्वभाव के तनाव को बढ़ाती है।
2. कर कानून बहुत जटिल हैं जिन्हें एक आम आदमी समझने में विफल रहता है।
3. राजनीतिक गतिविधियों जैसे चुनावों में अत्यधिक खर्च किया जाता है।

(शेष पृष्ठ 29 पर)

40 हजार करोड़ रुपये के बराबर चीन की सरकार को राजस्व की आय, हम भारतीय लोग, देश में चीनी माल खरीद कर प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार जो देश हमारे लिये रक्षा संकट है, हम उस देश की अर्थव्यवस्था को साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये का माल खरीद कर और सशक्त बना रहे हैं और उस देश की सरकार को 40 से 50 हजार करोड़ रुपये का राजस्व, उसका माल खरीदकर हम दे रहे हैं। यदि चीन केवल यही राजस्व हमारे ऊपर सामरिक दबाव बनाने के लिये खर्च करता है तो उससे ही यह पर्याप्त सामरिक दबाव बना लेता है।

चीन की रणनीतिक व सामरिक चुनौतियां

❑ **भगवती प्रकाश शर्मा**

चीन के साथ सारे विवादों को समानतापूर्ण व्यवहार द्वारा निपटाने के लिये हमें उसके साथ रणनीतिक व सामरिक संतुलन भी करना चाहिये। इसका अर्थ किसी युद्ध की तैयारी से नहीं लेना चाहिये। हमारा उसके साथ सैन्य व शास्त्रास्त्र संतुलन समानुपात में होना चाहिये। समान शक्तियों में कदाचित ही युद्ध होता है। सैन्य संतुलन ठीक होने पर हमारी सौदेबाजी की क्षमता बराबरी की होगी। चीन की 14 देशों से सीमा लगती है। उसने जब जिस देश को कमजोर देखा तब ही उससे सीमा विवाद निपटाया है। इसलिये हमारे सैन्य बल व प्रहारक क्षमता का चीन के समतुल्य होना आवश्यक है। हम अपनी सारी सामरिक व रणनीतिक तैयारी केवल पाकिस्तान को लक्षित करके करते रहे हैं। जबकि एक प्रकार से पाकिस्तान तो चीन का एक प्रॉक्सी युद्ध लड़ रहा है। हम जैसे ही पाकिस्तान के साथ रक्षा संतुलन करते हैं, चीन थोड़े दिनों में ही उसको कोई नई व उन्नत टैक्नोलॉजी दे देता है और फिर असंतुलन हो जाता है। आज चीन ने 12 हजार किलोमीटर तक मार करने वाली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर उन्हें तैनात कर रखा है। अभी हाल ही में उसने उपग्रह भेदी प्रक्षेपास्त्रों का परीक्षण किया है। हमने अभी तक उपग्रह भेदी प्रक्षेपास्त्रें (मिसाइलों) के विकास की पहल ही नहीं की है। यदि कभी चीन के साथ सीमा विवाद होता है और चीनी मिसाइल हमला होने की सम्भावना होती है तो हम अपने उपग्रहों से ही उस आक्रमण को देखकर अपने प्रति रक्षात्मक मिसाइल को कमांड दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले उसने उपग्रह भेदी प्रक्षेपास्त्र से हमारे उपग्रहों पर निशाना साधा तो यह एक चिंता की बात होगी। दूसरी ओर हम अगर आज अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को लें तो हमारे पास अधिकतम 3500 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि मिसाइल है और हम 5000 किलोमीटर तक ही प्रहार क्षमता वाला उसका अगला स्वरूप विकसित कर सके हैं। चीन जैसी उन्नत एंटीशिप मिसाइल की बात हम सोच ही नहीं रहे हैं। अभी उसने ऐसी एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण किया है जो अमरीका से भी उन्नत है। इसके साथ ही रक्षा के क्षेत्र में सैन्य बलों की संख्या, तोपखाना व टैंकों की संख्या, युद्धक विमान, युद्धपोत आदि में उसकी संख्या डेढ़ से दो गुनी है। इसके अतिरिक्त हम नाभिकीय पंडुब्बियां विकसित ही कर रहे हैं। प्रयोग के तौर पर रूस के सहयोग से अभी एक बनाई है परन्तु वह युद्ध के लिये पूरी तैयार नहीं है। जबकि चीन के पास 6 नाभिकीय पंडुब्बियां हैं। रक्षा क्षेत्र में हम खर्च बढ़ा रहे हैं लेकिन हमारा वास्तविक व्यय घट रहा है। वर्ष 1987-88 में हमारे कुल जी.डी.पी. का 4 प्रतिशत हम रक्षा पर खर्च करते थे और आज केवल ढाई प्रतिशत ही खर्च कर पा रहे हैं। इस प्रकार हम आर्थिक विस्तार के अनुपात में व अपनी बढ़ती आवश्यकताओं के अनुपात में रक्षा पर व्यय नहीं कर पा रहे हैं। जबकि चीन अपने सकल घरेलू उत्पाद (कुल जीडीपी) का 6 प्रतिशत रक्षा पर व्यय कर रहा है। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो भारत का रक्षा पर व्यय 36 अरब डॉलर है। प्रकट रूप में चीन का रक्षा व्यय 91 अरब डॉलर का है। लेकिन विश्व की अधिकांश रक्षा पत्रिकाओं व सीआईए आदि का आकलन है कि चीन का वास्तविक रक्षा व्यय 150 अरब डॉलर है।

चीन का आर्थिक सशक्तिकरण बंद करें

चीन की आर्थिक व सामरिक बढ़त में आज एक बड़ा योगदान भारत सरकार व हम भारतीयों का भी है। हम भारत में चीनी वस्तुओं का बड़ी मात्रा में उपयोग जो करते हैं। आज चीन और भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लगभग 80 अरब डॉलर वार्षिक होने का है। इसमें 54 अरब डॉलर से अधिक के हमारे आयात होंगे।

यह 54 अरब डॉलर का माल लगभग ढाई लाख करोड़ रुपये के बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त चीन के उत्पाद बड़ी मात्रा में देश में बिना बिल के भी मिलते हैं या फिर कम बिल के भी मिलते हैं। बिना बिल का जो माल अपने देश में आ रहा है उसे जोड़ लें तो चीन से कुल आयात तीन से साढ़े तीन लाख करोड़ के हों तो कोई आश्चर्य नहीं है। अगर 3.5 लाख करोड़ रुपयों का चीनी माल अपने देश में बिक रहा है तो इसका कम से कम 12 प्रतिशत टैक्स तो चीन की सरकार को मिल रहा होगा। यदि हम 12 प्रतिशत टैक्स जीडीपी का अनुपात मानें तब 40 हजार करोड़ रुपये के बराबर चीन की सरकार को राजस्व की आय, हम भारतीय लोग, देश में चीनी माल खरीद कर प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार जो देश हमारे लिये रक्षा संकट है, हम उस देश की अर्थव्यवस्था को साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये का माल खरीद कर और सशक्त बना रहे हैं और उस देश की सरकार को 40 से 50 हजार करोड़ रुपये का राजस्व, उसका माल खरीदकर आप और हम दे रहे हैं। यदि चीन केवल यही 40-50 हजार करोड़ रुपये का राजस्व, जो उसे हम प्रदान कर रहे हैं, हमारे ऊपर सामरिक दबाव बनाने के लिये खर्च करता है तो उससे ही यह पर्याप्त सामरिक दबाव बना लेता है। इस प्रकार आज हम यह सुरक्षा संकट अपने लिये खड़ा कर रहे हैं।

चीन के बैंकों के कुल ऋणों का अनुमानतः 17 प्रतिशत आज नान परफॉर्मिंग एसेट की श्रेणी में है। हमारे देश में यह ऋण दो प्रतिशत से कम है। इसलिये दीर्घकालिक दृष्टि से चीन की अर्थव्यवस्था की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था इस दृष्टि से सुदृढ़ है। बस, यह बहिष्कार अभियान ही भारत को क्रमांक एक की आर्थिक शक्ति बनाएगा। आज चीन और भारत को हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो भारत विश्व की खाद्य शक्ति की सामर्थ्य रखता है।

चीन का जिस प्रकार से आज हम पर सामरिक दबाव है, उसी प्रकार से आर्थिक दृष्टि से भी, दो प्रकार का दबाव बन रहा है। एक तो बड़ी संख्या में देश में कारखानें बंद हो रहे हैं। छोटे-छोटे घरेलू उपयोग की वस्तुओं से लेकर रसायन व इंजीनियरिंग के क्षेत्र पर्यन्त उद्योग एक के बाद एक चौपट हो रहे हैं। दूसरी ओर चीन ने अपना आर्थिक व्यापार इतना बढ़ा लिया है कि आने वाले समय में चीन दुनिया की क्रमांक एक की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का अनुमान है कि आने वाले 25 साल में 20 करोड़ चीनियों को अफ्रीका में बसाने की भी चीन की अपनी वैकल्पिक योजना है। आज दुनिया का 70-80 प्रतिशत जो ताम्बा आदि खनिज हैं, उनका उपयोग चीन कर रहा है क्योंकि चीन विश्व के उत्पादन (मैन्यूफैक्चरिंग) के केन्द्र के रूप में उभरता जा रहा है। इसलिये विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषण भी चीन ही फैला रहा है। चीन की प्रौद्योगिकी भी इतनी प्रदूषणकारी है कि उसके बहिष्कार का आह्वान बड़ी आसानी से किया जा सकता है।

चीन ने पूरी दुनिया में उद्योगों के अधिग्रहण की ऐसी व्यापक कार्य योजना भी तैयार की है कि विश्व भर में उसका ही व्यावसायिक जाल खड़ा हो जाएगा। आज अमेरिका जैसा देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा के प्रति इतना चिंतित और सजग है जबकि चीन उसकी सीमा से बहुत दूर है। ऐसे में आज हम बड़ी संख्या में अपने पावर प्लांट, अपनी सारी टेलीफोन सेवाएं प्रमुख राजमार्गों व अन्य निर्माण कार्य आदि में चीन पर अवलम्बित हो रहे हैं। एक प्रकार से चीन पर हमारा यह अवलम्बन हमारे लिये और ज्यादा चिंता का विषय होना चाहिये। इसी क्रम में आज चीन ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भी आब्जर्वर स्टेटस प्राप्त किया है, जिससे एसोसिएशन ऑफ साउथ इस्ट एशियन नेशंस में चीन का वर्चस्व बढ़ा है। इसी प्रकार से एशिया के नौ बड़े देश, जिनको ए-9 कहा जाता है, उनका व्यापार अमेरिका की तुलना में भी चीन से ज्यादा बढ़ा है। व्यापारिक प्रगाढ़ता के सम्बंधों के कारण उसके कूटनीतिक सम्बंध इन सभी देशों से इतने प्रगाढ़ हो रहे हैं कि अब तक सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जहां सभी विकासशील देश भारत के साथ मतदान करते रहे हैं, अब आने वाले समय में हमारे लिये एक चुनौती होगी। पारम्परिक रूप से हमारे मित्र देशों का जो समूह था, उनमें से बड़ी संख्या में देश चीन के निकट होते जा रहे हैं। 'ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज' के नाम से 57 इस्लामिक देशों का जो संगठन है, उसने अब तक कश्मीर के लिये कभी भी यह नहीं कहा कि कश्मीर भारत का अंग नहीं है। अब उसने उस पर प्रश्न उठाना आरम्भ कर 'भारत अधिकृत कश्मीर' जैसे शब्दों का प्रयोग आरम्भ कर दिया है। इस प्रकार हमारे कूटनीतिक सम्बंधों की दृष्टि से भी चीन चिंता बढ़ा सकता है।

निष्कर्ष रूप में पाकिस्तान, चीन के हाथों में खेलने वाले देशों में से एक है। बांग्लादेश की भी लगभग यही स्थित बन रही है। नेपाल में भी यह स्थिति बन गई है और श्रीलंका पर भी उसका प्रभाव बढ़ा है।

अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और लेटिन अमरीका, सर्वत्र चीन का प्रभाव एवं वहां अधिकाधिक देशों के साथ उसकी व्यापारिक व आर्थिक सम्बंधों में सघनता अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। इस प्रकार भारत के चारों ओर देशों से संरक्षक व सुरक्षित जैसे सम्बंध बना कर चीन भारत की घेराबंदी कर रहा है। साथ ही देश के अंदर जिस ढंग से चीनी कम्पनियों का अंतरजाल फैल रहा है, और हमारे द्वारा बड़ी मात्रा में चीनी उत्पादों की खरीद कर चीन को जो आर्थिक सम्बल दिया जा रहा है, इसे देखते हुए हमें भू-राजनीतिक, आर्थिक व रणनीतिक दृष्टि से पुनर्विचार करना चाहिये।

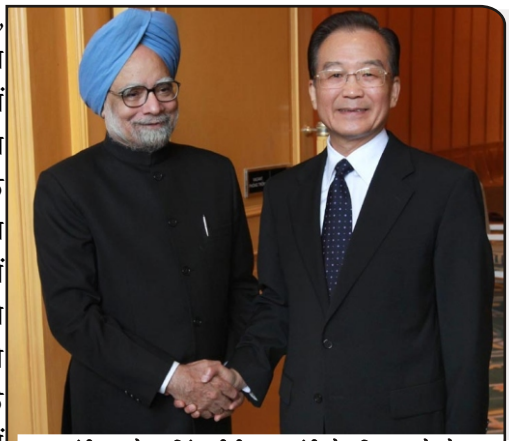
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ के साथ

प्रभावी और व्यापक रीति-नीति आवश्यक

चीन के बढ़ते भू-राजनीतिक, आर्थिक व तकनीकी वर्चस्व, सीमा पर बढ़ते दबाव एवं देश के अन्दर बढ़ते चीनी कम्पनियों के जाल के आलोक में भारत को प्रभावी प्रतिकार की रीति-नीति विकसित करनी चाहिये। चीन ने उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अमेरिका को पीछे छोड़कर क्रमांक एक पर आने के लिये सशक्त पहल की है। इस दृष्टि से भी हमें उपयुक्त व्यूहरचना पर विचार करना होगा।

चीन ने सभी क्षेत्रों में अपनी टेक्नोलॉजी के समुन्नयन के लिये 1.5 ट्रिलीयन डॉलर (75 लाख करोड़ रुपये, जो आज हमारे देश के जीडीपी के बराबर हैं) का अनुसंधान व विकास (आरएंडडी) के लिये प्रावधान किया है जिससे वह प्रौद्योगिकी की दृष्टि से अमरीका से आगे निकले। इसलिये भारत को चीन की इस सम्पूर्ण बढ़त को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी चाहिये। दूरसंचार के क्षेत्र में चौथी पीढ़ी की टेक्नोलॉजी में वह अमरीका से आगे बढ़े इससे पूर्व हमें प्रौद्योगिकी समुन्नयन पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिये। इसके साथ हमें तत्काल पहल करते हुए सबसे पहले तो चीन के उत्पादों का सम्पूर्ण बहिष्कार करने पर विचार करना चाहिये।

हमने उसको नॉन मार्केट इकोनॉमी की केटेगरी में रख रखा है। इसलिए डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत दूसरे देशों को जो व्यापार व निवेश की सुविधाएं देते हैं वे चीन को देना हमारे लिये कतई आवश्यक नहीं है। इसलिये आसानी से सरकार चीनी कम्पनियों की हमारे देश में बढ़त को रोकने का अधिकार रखती है। केवल नैतिक बल व राजनीतिक साहस चाहिये जो जनमत के दबाव से ही सम्भव है। चीन के कर्मचारी और टैक्नोक्रेट्स, जो अवैधानिक रूप से देश में रह रहे हैं, उनको गिरफ्तार करके डीपॉर्ट करना तो सरकार का दायित्व है। चीनी कम्पनियों को बड़ी मात्रा में जो परियोजनाएं दी जा रही हैं उन पर तो अंकुश लगाया ही जाना चाहिये। चीन के बैंकों के कुल ऋणों का अनुमानत: 17 प्रतिशत आज नान परफॉर्मिंग एसेट की श्रेणी में है। हमारे देश में यह ऋण दो प्रतिशत से कम है। इसलिये दीर्घकालिक दृष्टि से चीन की अर्थव्यवस्था की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था इस दृष्टि से सुदृढ़ है। बस, यह बहिष्कार अभियान ही भारत को क्रमांक एक की आर्थिक शक्ति बनाएगा। आज चीन और भारत को हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो भारत विश्व की खाद्य शक्ति की सामर्थ्य रखता है। हमारे पास साढ़े

सोलह करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि हैं। भारत जितनी (5 करोड़ 70 लाख हेक्टेयर) सिंचित कृषि योग्य भूमि किसी भी देश के पास नहीं है। चीन भी दूसरे स्थान पर है। प्रौद्योगिकी की दृष्टि से आज भी भारत कई क्षेत्रों में चीन की तुलना में बेहतर स्थिति रखता है। भारत को विश्व के अधिकांश देश एक विश्वसनीय सत्ता के रूप में देखते हैं। चीन को एक निरंकुश शक्ति के रूप में आंकते हैं। इसके अतिरिक्त बौद्ध जगत में भारत अच्छा प्रभाव बना सकता है। वहां प्रति एक कार्यशील व्यक्ति पर 6 वृद्धों का जो अनुपात होगा वह भी उनके विकास में बाधक सिद्ध होगा। दूसरी ओर 2020 तक दुनिया की 28 प्रतिशत श्रम शक्ति भारत की होगी। विश्व के सारे ज्ञान आधारित क्षेत्रों में भारतीय होंगे। अस्तु देश, समाज व विश्व-मानवता के प्रति संवेदनशील जन-मानस को चीन की बढ़त को नियंत्रित रखने हेतु सक्रियता दिखलानी चाहिये। विश्व-मानवता के हितार्थ भारत को अपने वैश्विक दायित्व निर्वहन हेतु आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में विश्व नेतृत्व के अपने वैश्विक दायित्व के प्रति सजगता बढ़ानी होगी। ❑

('राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये प्रभावी पहल आवश्यक' पुस्तिका से साभार)

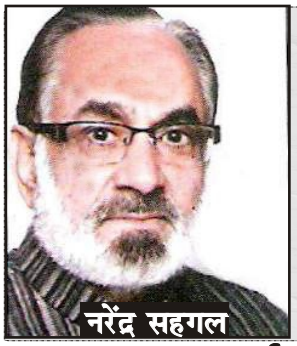

नरेंद्र सहगल

जिस तरह पूरे भारत में विदेशी हमलावरों ने हमारी विविध कमजोरियों का लाभ उठाकर धर्मान्तरण की खूनी चक्की चलाई और हिन्दू पूर्वजों के ही रक्तमांस से बने हमारे भाईयों को विधर्मी बनाकर भारत/हिन्दुत्व विरोधियों की लम्बी कतार खड़ी कर दी। इसी तरह का क्रूर इतिहास कश्मीर में भी दोहराया गया और यही वर्तमान कश्मीर त्रासदी का आधार है। इस्लामिक देशों से आए आक्रमणकारियों द्वारा तलवार के जोर पर धर्मान्तरण किया गया। धर्मान्तरण अर्थात् राष्ट्रांतरण अर्थात् देश के साथ गद्दारी का युग शुरू हो गया।

मुस्लिम धर्मान्धता के तुष्टीकरण का राष्ट्रघातक दुष्परिणाम

भारत का नंदन वन और पृथ्वी का स्वर्ग कही जाने वाली कश्मीर घाटी आज पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की आग में झुलस रही है। सारे संसार में शैवमत्त, बौद्धमत, वैदिक संस्कृति और भारतीय राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार करने वाले कश्मीर की धरती पर भारत विद्रोह का झंडा उठा कर 'निजामे मुस्तफा की हुकूमत' अर्थात् आजाद इस्लामी मुल्क के नारे बुलंद किये जा रहे हैं। महर्षि कश्यप निर्मित कश्मीर से शिव उपासक जालौक, प्राणी हिंसा के प्रबल विरोधी सम्राट् मेघवाहन, आध्यात्मिक एवं भौतिक शिक्षा और नाम दोनों मिटाए जा रहे हैं।

सुलगता कश्मीर

अरब हमलावरों का सफल प्रतिकार करने वाले सम्राट् चंद्रापीड़, ईरान तुर्किस्तान से लेकर मध्य एशिया तक भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फैलाने वाले सम्राट् ललितादित्य, जनकल्याण की वैश्विक अवधारणा को बल प्रदान करने वाले महाराजा अवंतिवर्मन, काबुल पर अधिपत्य जमाने वाले राजा शंकरवर्मन, महमूद गजनवी को दो बार पराजित करने वाले महाराजा संग्रामराज और राजा त्रिलोचनपाल को कश्मीर के इतिहास के पन्नों से मिटाया जा रहा है। इन संतों महात्माओं और सम्राटों द्वारा बनवाए गए विश्व प्रसिद्ध मंदिर (मार्तण्ड सूर्य मंदिर इत्यादि) मानवता के लिये कल्याणकारी विशाल आश्रम, विश्वविद्यालय और सांस्कृतिक केन्द्रों के आज केवल खंडहर ही शेष हैं।

जिस तरह पूरे भारत में विदेशी हमलावरों ने हमारी विविध कमजोरियों का लाभ उठाकर धर्मान्तरण की खूनी चक्की चलाई और हिन्दू पूर्वजों के ही रक्तमांस से बने हमारे भाईयों को विधर्मी बनाकर भारत/हिन्दुत्व विरोधियों की लम्बी कतार खड़ी कर दी। इसी तरह का क्रूर इतिहास कश्मीर में भी दोहराया गया और यही वर्तमान कश्मीर त्रासदी का आधार है। इस्लामिक देशों से आए आक्रमणकारियों द्वारा तलवार के जोर पर धर्मान्तरण किया गया। धर्मान्तरण अर्थात् राष्ट्रांतरण अर्थात् देश के साथ गद्दारी का युग शुरू हो गया। हिन्दू कश्मीर के धर्मान्तरण का ये दर्दनाक मंजर सन् 1339 ई. से शुरू हुआ और कश्मीर का भारतीय स्वरूप बिगाड़ने वाला यह काला इतिहास सन् 1986 में हुए कश्मीरी पंडितों के जबरन सामूहिक पलायन तक जारी रहा। कश्मीर के इस्लामीकरण की इसी प्रक्रिया को आज के कश्मीरी नेता पूरा कर रहे हैं। कश्मीर घाटी के लगभग 700 वर्ष की परतंत्रता के इस कालखण्ड में ऐसे कुछ अवसर भी आए जब वहां के हिन्दू समाज ने संगठित होकर प्रतिकार किया। परन्तु सफल नहीं हो सके।

सन् 1947 में हुए भारत विभाजन के बाद कांग्रेसी सरकारों द्वारा निरंतर अपनाई गई मुस्लिम तुष्टीकरण की

राजनीति के परिणामस्वरूप कश्मीर घाटी में अलगाववाद की जड़ें मजबूत हुईं। पिछले 63 वर्षों में जम्मू कश्मीर के सम्बंध में अनेक बड़ी भयंकर भूलें हमारे सत्ताधारियों ने की हैं। देश का विभाजन होते ही पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने के लिये आक्रमण कर दिया। इस हमले की पूर्व सूचना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दो प्रचारकों हरीश भनोत और डॉ. मंगलसेन ने जम्मू कश्मीर के महाराजा हरीसिंह को दी। संघ के तत्कालीन सरसंघचालक परम पूज्य श्री गोलवलकर के प्रयास स्वरूप महाराजा ने 26 अक्तूबर, 1947 को पूरे जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कर दिया। भारत की सेना कश्मीर घाटी में पहुंची। संघ के स्वयंसेवकों ने हवाई पट्टियों की मुरम्मत, सेना की बारूद की पेटियों की सुरक्षा और युद्ध स्थल में प्रत्यक्ष सैनिकों की सहायता इत्यादि कार्य किये।

26 अक्तूबर, 1947 को जम्मू कश्मीर के भारत में विलय से लेकर आजतक इस सीमावर्ती प्रदेश की सत्ता पर काबिज रहे सभी राजनीतिक दलों ने मुस्लिम वोटबैंक बनाने और उसे सुरक्षित रखने के लिये हिन्दुत्व और भारत के हितों को आघात पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछले छह दशकों से जम्मू कश्मीर की राजसत्ता सम्भाल रहे नेशनल कांफ्रेंस, पी.डी.पी. और कांग्रेस जैसे दलों ने जिस कश्मीर केन्द्रित मुस्लिम-परस्त राजनीति को बढ़ावा दिया है उससे अलगाववाद और भी ज्यादा बढ़ा है।

भारत की सेना ने श्रीनगर और बारामूला के आगे का कुछ इलाका मुक्त करवाकर जैसे ही शेष कश्मीर की ओर अपने कदम बढ़ाए भारत के प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध विराम की एकतरफा घोषणा करके विजयी सैनिकों के बढ़ते कदमों में यूएनओ की बेड़ियां डाल दीं। भारत के सेनाधिकारियों के परामर्श की अनदेखी करके कश्मीर मुद्दे को यूएनओ की सुरक्षा परिषद में भेज दिया गया। जम्मू कश्मीर का जो भाग पाकिस्तान के कब्जे में चला गया वही पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) कहलाया जिसे हम आज तक मुक्त नहीं करवा सके। आज इसी पीओके में पाकिस्तान की सरकार और सेना सौ से भी ज्यादा आतंकवाद प्रशिक्षण शिविर चला रही है। पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों की देखरेख में कश्मीरी युवकों को भारत विरोधी हिंसक जेहाद का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

जब जम्मू कश्मीर के महाराजा हरीसिंह ने पूरे जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कर दिया तो भारत के प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने कट्टरपंथी मुस्लिम नेता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को सत्ता सौंप दी और उसकी जिद मानकर भारत के संविधान में धारा 370 जोड़कर जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दे डाला। स्वतंत्र भारत में मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति का ये पहला स्तम्भ था। इसी धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को अपना अलग संविधान बनाने की अनुमति दे दी गई। यही संविधान वर्तमान अलगाववाद की जड़ है।

जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर की सत्ता सौंपी गई तो उसने कश्मीर घाटी को हिन्दू विहीन करने, जम्मू और लद्दाख के हिन्दू और बौद्ध बहुल इलाकों को सबक सिखाने और हिन्दुओं को उनकी जमीन जायदाद से वंचित करने का अभियान छेड़ दिया। नेहरू और शेख की कृपा से उस समय जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को प्रधानमंत्री और सदर-ए-रियासत कहा जाता था। भारतीयों को जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के लिये परमिट (वीजा) बनवाना पड़ता था। शेख के इन अत्याचारों के विरुद्ध जम्मू के राष्ट्रवादी लोगों ने प्रजापरिषद् नामक संगठन बनाकर एक प्रचण्ड सत्याग्रह शुरू किया जो तीन वर्ष तक चला। यह सत्याग्रह संघ के प्रचारकों और कार्यकर्ताओं के सक्रिय सहयोग से पं. प्रेमनाथ डोगरा के नेतृत्व में चला। शेख अब्दुल्ला ने जुल्मों की झड़ी लगा दी। लगभग तीन दर्जन कार्यकर्ता शहीद हुए। अंत में भारतीय जनसंघ के प्रथम प्रधान डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने इस परमिट व्यवस्था को तोड़कर गिरफ्तारी दी। रहस्यमय परिस्थितियों में उनका बलिदान हुआ और भारत के प्रधानमंत्री को परिस्थिति समझ में आई। शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर जेल में डाला गया। जम्मू कश्मीर में जाने के लिये परमिट सिस्टम समाप्त हुआ। मुख्यमंत्री और राज्यपाल पद फिर से बहाल हुए।

26 अक्तूबर, 1947 को जम्मू कश्मीर के भारत में विलय से लेकर आजतक इस सीमावर्ती प्रदेश की सत्ता पर काबिज रहे सभी राजनीतिक दलों ने मुस्लिम वोटबैंक बनाने और उसे सुरक्षित रखने के लिये हिन्दुत्व और भारत के हितों को आघात पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछले छह दशकों से जम्मू कश्मीर की राजसत्ता सम्भाल रहे नेशनल कांफ्रेंस, पी.डी.पी. और कांग्रेस जैसे दलों ने जिस कश्मीर

केन्द्रित मुस्लिम परस्त राजनीति को बढ़ावा दिया है उससे अलगाववाद और भी ज्यादा बढ़ा है। यही भारत विरोधी जुनून अथवा हिंसक उन्माद जम्मू कश्मीर विशेषताया कश्मीर घाटी में सत्तापक्ष एवं प्रतिपक्ष सहित सभी दलों एवं गुटों को एकजुट कर रहा है। नेशनल कांफ्रेंस, पीडीपी, हुर्रियत कांफ्रेंस, तहरीक-ए-हुर्रियत और अन्य आतंकवादी संगठन एक ही उद्देश्य आजादी के लिये सक्रिय हैं। नेशनल कांफ्रेंस को समर्थन दे रही सोनिया कांग्रेस हाथ बांधे तमाशा देख रही है।

अलगाववादी संगठन भारतीय सुरक्षा बलों और हिन्दू धार्मिक गतिविधियों यात्राओं और धर्मस्थलों का विरोध करके इस्लामिक तौर तरीकों को जबरदस्ती थोपने का काम करते हैं। इसी उद्देश्य के लिये आतंकवादी युवकों को बंदूक के रास्ते पर चलाकर आजादी की जंग को गर्म किया जा रहा है। पाकिस्तान और दुनिया के विभिन्न मुस्लिम देश इस अलगाववाद की प्रेरणा, सहारा और मार्गदर्शक हैं।

कश्मीर में लगी अलगाववादी आग को राजनीतिक पैकेजों द्वारा शांत करने के ख्वाब देख रहे कांग्रेसी एवं साम्यवादी संगठनों और इनके कथित प्रगतिशील नेताओं की मुस्लिम तुष्टिकरण की 'सनक' अगर अब भी समाप्त नहीं हुई तो कश्मीर को दूसरा पाकिस्तान बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। बहुमत के आधार पर मुस्लिम राष्ट्र के निर्माण का इतिहास फिर दोहराया जाएगा।

भारत के संविधान की शपथ लेकर, इसी संविधान के तहत चुनाव में जीते और फिर मुख्यमंत्री बने उमर अब्दुल्ला भी उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिये अपनी कुर्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तो उमर अब्दुल्ला ने सीना ठोककर ऐलान कर दिया है कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय अधूरा है जबकि उमर के पिता केन्द्रीय मंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने संसद में कहा था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। स्पष्ट है कि जहां एक ओर उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों का एजेंडा लागू कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर डॉ. फारूक अब्दुल्ला केन्द्रीय सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आतंकवादियों की भलाई, जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता और भारतीय सेना की वापसी के लिये उतावले हो रहे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को बौद्ध बहुमत वाले लद्दाख और हिन्दू बहुमत वाले जम्मू की रत्ती भर भी चिंता नहीं सताती। उन्हें केवल 'मुस्लिम कश्मीर' की चिंता है।

भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और गृहमंत्री श्री पी. चिदंबरम सहित पूरी कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर को ऑटोनोमी अर्थात् आजादी की पहली सीढ़ी जैसा कोई राजनीतिक पैकेज देने के लिये तैयार हो रही है। वास्तव में जम्मू कश्मीर के सम्बंध में पिछले छह दशकों से इसी प्रकार की कायर और घुटने टेक सरकारी मनोवृति के कारण भारत की जग हंसाई हो रही है। पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर की सीमाओं से सशस्त्र घुसपैठ जारी है। कश्मीर घाटी में सक्रिय अलगाववादी/आतंकवादी संगठन मजबूत हो रहे हैं। इन संगठनों के नेताओं के तार पाकिस्तान में बैठे आतंकी कमांडरों, आईएसएआई के अधिकारियों और सैनिक अफसरों के साथ जुड़े हुए हैं। वहां से इन्हें धन हथियार और मार्गदर्शन मिल रहा है। इन तथ्यों की पूरी जानकारी भारत सरकार और प्रदेश की कांग्रेस समर्थित नेशनल कांफ्रेंस गठबंधन सरकार को है। परन्तु अपने-अपने दलगत स्वार्थों के नीचे दबे हमारे सत्ताधारी तमाशा देख रहे हैं।

अधिकांश कश्मीरी समाज बमों, बंदूकों, छड़ों, लाठियों तथा पत्थरों के साथ घरों से निकल सड़कों पर आ गया है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और सुरक्षा बलों का सरेआम अपमान किया जा रहा है। 'कश्मीर बनेगा-पाकिस्तान', 'हमें क्या चाहिये-आजादी', 'कश्मीर में चलेगा-निजामे मुस्तफा', पाकिस्तान जिंदाबाद इत्यादि नारों से अलगाववादी तत्त्व अपना एजेंडा घोषित कर रहे हैं।

बीस वर्ष पूर्व कश्मीर के वास्तविक बाशिंदे चार लाख कश्मीरी पंडितों का जबरदस्ती पलायन करवाकर कश्मीर घाटी को पूर्णतया हिन्दू विहीन करने के पश्चात् अब वहां रह रहे साठ हजार से भी ज्यादा सिक्खों को इस्लाम कबूल करने अथवा कश्मीर से निकल जाने का जेहादी फरमान जारी कर दिया गया है। कश्मीर में लगी अलगाववादी आग को राजनीतिक पैकेजों द्वारा शांत करने के ख्वाब देख रहे कांग्रेसी एवं साम्यवादी संगठनों और इनके कथित प्रगतिशील नेताओं की मुस्लिम तुष्टिकरण की 'सनक' अगर अब भी समाप्त नहीं हुई तो कश्मीर को दूसरा पाकिस्तान बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। बहुमत के आधार पर मुस्लिम राष्ट्र के निर्माण का इतिहास फिर दोहराया जाएगा। और हम भारतवासी कारवां निकल जाने के बाद गुबार देखते रह जाएंगे। अब तो एक ही

उपाय शेष रह गया है कि प्रांतीय संविधान को समाप्त किया जाए।

जम्मू कश्मीर की सरकार अलगाववाद/आतंकवाद को समाप्त नहीं कर सकती। इसलिये इस सरकार को बर्खास्त करके तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिये। किसी राष्ट्रवादी नेता के सशक्त हाथों में प्रदेश की सत्ता सौंपने का यही समय है। सुरक्षा बलों को सख्त कार्रवाई करने के पूरे अधिकार सौंपे जाएं। अलगाववादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाकर इनके नेताओं को सलाखों के पीछे तब तक रखा जाए जबतक वह अपनी देशद्रोही हरकतों से तौबा न कर लें। आतंकवादियों को वही सजा दी जाए जो पंजाब में पाक परस्त आतंकियों को तत्कालीन पुलिस महानिदेशक के.पी.एस. गिल ने दी थी।

जम्मू कश्मीर के प्रशासन में बड़ी संख्या में बैठे पाकिस्तान समर्थकों को कुर्सियों से हटाकार जेलों में बंद किया जाए। मजहबी स्थलों में छिपे उपद्रवियों और एकत्रित किये गए हथियारों के जखीरों को पकड़ा जाए। पहाड़ों की गुफाओं और जंगलों में स्थापित आतंकवादियों के गुप्त ठिकानों को वायु सैनिकों की सहायता से समाप्त किया जाए। कश्मीर घाटी से पलायन के लिये मजबूर किये गए चार लाख कश्मीरी हिन्दुओं की सम्मानजनक एवं सुरक्षित घर वापसी को सुनिश्चित किया जाए।

कश्मीर घाटी के अधिकांश नागरिक रोज-रोज की हिंसा, अराजकता और भुखमरी से तंग आ चुके हैं। आज भी ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो भारत समर्थक हैं। यदि राष्ट्रपति शासन के तहत अलगाववादियों को सख्ती से ठिकाने लगा दिया जाए तो ये भारत समर्थक उदारवादी मुसलमान अपने आप सतह पर आकर कश्मीर घाटी में चल रही दूषित भारत विरोधी और विदेशनिष्ठ हवा का रुख बदल देंगे। प्रबल सैन्य अभियान द्वारा भारत विरोधियों को सबक सिखाकर शेष कश्मीरी समाज को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाए। इसके लिये कश्मीरी युवकों (मुसलमान हिन्दू) में से राष्ट्रवादी नेतृत्व तलाशना होगा। ये कार्य दलगत राजनीति की तंग लकीरों से परे हटकर ही हो सकेगा।

अत: समय की आवश्यकता यह है कि कश्मीर समस्या के वास्तविक आधार और स्वरूप को समझकर तदनुसार रणनीति तैयार की जाए। अपने राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्र के हित में एक ऐसी राष्ट्रीय सहमति बनाई जाए जिसके अंतर्गत अलगाववादियों पर सख्त कार्रवाई हो और कश्मीर घाटी में सहमी हुई राष्ट्रवादी शक्तियों को बल मिले। यदि भारत की सरकार अब भी न चेती और देश की राष्ट्रवादी शक्तियों ने संगठित होकर अलगाववादी मनोवृति और तुष्टिकरण की राजनीति का प्रतिकार न किया तो अलगाववादियों का उद्देश्य पूर्ण होने में देर नहीं लगेगी। ❑

With best compliments from

MACLEODS

Macleods Pharmaceuticals Ltd.
Vill.- Theda, Khasuni lodhi Majra Rd,
Tehsil- Nalagarh, Distt. Solan,
Himachal Pradesh-174101
Tel No. 01795-661400

आतंकवाद

❑ कृष्ण चंद्र महादेविया

आतंकवाद भारत के आर्थिक ढांचे और अमूल्य जीवन की भीषण हानि, सामाजिक समरसता-भ्रातृत्व, राष्ट्रीय एकता पर गहरा आघात करने के साथ मानवीय मूल्यों और राष्ट्रीय चरित्र को खंडित करने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। आतंकवाद को पूर्णतया नष्ट करके ही भारत वर्ष प्रगति के सोपानों को उपलब्ध कर सकता है। चंगेज खां और तैमूरलंग जैसे दरिंदों के खूनी आक्रमण से ही भारत वर्ष को आतंकवाद का नासूर परोस दिया गया। जिसे नादिरशाह और औरंगजेब जैसे अत्याचारियों ने बीज के रूप में पालना आरम्भ कर दिया था। असंख्य लोगों का जीवन छीन लिया, वास्तु और शिल्प में उत्कृष्ट असंख्य पवित्र पूजागृहों-मंदिरों को ध्वस्त कर मस्जिदों का निर्माण कर दिया गया। लाखों हिन्दुओं को अन्यायी और क्रूर मुस्लिम सत्ता ने तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन करवाकर मुसलमान बनने को मजबूर कर दिया था। अनेकों क्षत्रिय वंशज क्षत्रियत्व से विहीन कर अस्पृश्य बना दिये गए थे। युद्ध में पराजित, स्वधर्म के लिये अडिग हिन्दुओं को मल-मूत्र उठाने के लिये मजबूर कर दिया गया।

पाकिस्तान आतंकवादियों के निर्माण की कार्यशाला बना हुआ है। सैकड़ों आतंकवादी शिविर वहां हैं और असंख्य आतंकवादी पाकिस्तान में अभी तक हैं। भारत से भी कठमुल्लाओं के उकसाए नौजवान देश तोड़ने के लिये कश्मीर से आतंकवादी प्रशिक्षण के लिये भेजे जाते हैं। तालिबान और अलकायदा जैसे कुख्यात जेहादी आतंकी संगठन पाकिस्तान की कुख्यात एजेंसी आईएसआई का भरपूर सहयोग देते हैं।

फिर फिरंगी व्यापार के बहाने से सत्ता पर काबिज हो गए जो मुस्लिम आक्रांताओं से दो कदम आगे थे। उनकी तो चतुर्थ सेना चर्च-पादरी थी। उन्होंने भोलेपन और निर्धनता का तो फायदा उठाया ही साथ में तलवार और बंदूक से और फूट डालकर धर्म परिवर्तन कराया। पूर्वोत्तर राज्य आज भी चीख-चीख कर इस बात की गवाही देते हैं। फिर सम्पूर्ण देश में उन गऊ भक्षियों ने कम आतंक नहीं फैलाया था। पर अन्ततः राष्ट्रभक्त शक्तियों ने अंग्रेजों को भारत से भगा कर ही चैन लिया था। बहुसंख्यक हिन्दू समाज ने मुस्लिमों को अपने में आत्मसात् करने का प्रयत्न किया किन्तु संकीर्ण मानसिकता और कट्टर धार्मिक संगठनों ने भाईचारे को तोड़कर रख दिया। आसुरी शक्तियों ने सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा तहस-नहस कर दो भागों में बांट दिया। पाकिस्तान और हिन्दोस्तान दो देश बना दिये। इस्लाम के संरक्षण और विश्व में फैलाने के लिये जिहाद की अत्यंत खतरनाक और घातक कल्पना सिरे चढ़ाना शुरू कर दी थी। चंगेज और नादिरशाही सोच से आप्लावित असंख्य आसुरी शक्तियां मुस्लिम नेताओं में मौजूद थी। उन शक्तियों ने हिन्दुस्तान को हरे झंडे के नीचे लाने की मंशा बना रखी थी। पाकिस्तान हुक्मरान हमेशा भारत के खिलाफ नफरत बोते रहे।

कश्मीर को भारत से हथियाने के लिये पाकिस्तान ने आक्रमण किया था किन्तु देशभक्त सैनिकों ने दुश्मन को खदेड़ दिया। भारतीय राजनयिकों की अदूरदर्शिता ने मामला लटकने दिया। जिसकी सजा पूरा हिन्दोस्तां आज भी भुगत रहा है। कश्मीर को अलग करने के लिये आतंकवाद को हथियार के रूप में प्रयोग करना आरम्भ हो चुका था। कश्मीर को हिन्दूविहीन करने के लिये पाकिस्तानियों ने आतंकवाद का रास्ता अपनाया। वहां भय और आतंक फैला कर कश्मीरी हिन्दुओं को बेघर कर दिया गया। उदार मुसलमानों की हत्यांए कर दी गई। कश्मीर नीति पर अमरीका और पश्चिमी मुल्कों को प्रभावित करने और पक्ष में करने के लिये करोड़ों रुपये बहा दिये। जिहाद का यह खेल कश्मीर तक न रहकर पूरे राष्ट्र में खेला जाने लगा। पाकिस्तान आतंकवादियों के निर्माण की कार्यशाला बना हुआ है। सैकड़ों आतंकवादी शिविर वहां हैं और असंख्य आतंकवादी पाकिस्तान में अभी तक हैं। भारत से भी कठमुल्लाओं के उकसाए नौजवान देश तोड़ने के लिये कश्मीर से आतंकवादी प्रशिक्षण के लिये भेजे जाते हैं। तालिबान और अलकायदा जैसे कुख्यात जेहादी आतंकी संगठन पाकिस्तान की कुख्यात एजेंसी आईएसआई का भरपूर सहयोग देते हैं।

भारत भर में फैलाया गया आतंकवाद पाकिस्तान और राष्ट्र के कतिपय देशद्रोहियों के सहयोग से ही सिर उठा पाया। तथापि राष्ट्रवीर देश भक्त अपने प्राणों को न्योछावर कर आतंकवादियों को मौत की नींद सुलाते रहे। चार युद्धों में हारने के बाद पाकिस्तान आतंकवाद को और भी आधुनिक ढंग से पोषित और निर्मित करने लग चुका है। फलतः कश्मीर-मुम्बई से लेकर संसद तक आतंक फैलाया गया। तलवार बम-बंदूक से धर्म के संरक्षण और प्रसार में लगी कथित जेहादी कुत्सित

शक्तियां भारत में धर्म विशेष के युवक-युवतियों को भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल कर चुकी हैं। सिमी जैसे संगठन भी भारत में ही पैदा कर दिये गए हैं। यह भी सत्य है कि पाकिस्तान में छिपा बैठा कायर ओसामा बिन लादेन कुख्यात आतंकवादी अमेरिका ने पाक में ही मार गिराया और पाकिस्तान की कलई भी खुल गई। अमेरिका ने तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को भी लात मार कर पाक में ही ओसामा को मार गिराया किन्तु गिड़गिड़ाने वाली सोनिया गांधी की नेता मण्डली वार्ता के दौर पर दौर चलाने के सिवाए कुछ न कर पाई है। देश की संसद पर हमला करने वाले आतंकवादी अफजल गुरु को न्यायालय द्वारा फांसी की सजा दिये जाने पर वर्षों बाद भी फांसी पर नहीं चढ़ाया गया। वोट बैंक बढ़ाने और कुर्सी पाने की प्रवृत्ति आतंकवाद को ही बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। कायरता हानि ही पहुंचाती है।

जिहादी आतंकवाद ने भारत वर्ष में सैकड़ों निरपराध, निरीह नागरिकों, सुरक्षा बलों के जवानों का खून बहाने के साथ अरबों-खरबों की सम्पत्ति को नष्ट कर दिया है। देश की सम्प्रभुता पर सरेआम चोट करके अनेकों बार सैकुलर सरकार को ललकारा है। वैसे भारत को खंड-खंड करने के पाकिस्तानी मंसूबे पूरे नहीं हो सकते क्योंकि राष्ट्रभक्त सैनिक और नागरिक राष्ट्र में मौजूद हैं। भारत में आतंकवाद के पूर्ण खात्मे हेतु अमरीका की भांति पक्के इरादों की आवश्यकता और समस्त दलों की एकता की जरूरत है। छद्म धर्मनिरपेक्षता का लबादा सत्तासीनों को त्यागना ही होगा। पूरे राष्ट्र में समान नागरिक संहिता लागू करना सम्प्रभुता सम्पन्न राष्ट्र का प्रथम कर्त्तव्य है। अनेक देशों में धार्मिक अल्पसंख्यक हैं किन्तु वहां समान नागरिक संहिता लागू है। सन् 1985 शाहबानों बेगम के फैसले में मानवीय न्यायालय ने भी कहा था– धार्मिक स्वतंत्रता हमारी संस्कृति की नींव है लेकिन जो धार्मिक रीति मनुष्य की मर्यादा, मानवाधिकार का उल्लंघन करती है वह स्वतंत्रता नहीं उत्पीड़न है।

मुसलमानों के प्रति तुष्टिकरण की नीति अनुचित है। समुदाय विशेष के वोट बैंक को बढ़ाने और उसके मतदाता को नाराज न करने के लिये आतंकवादी अफजल गुरु की फांसी को येन केन प्रकारेण रोकने जैसी प्रवृत्ति बंद हो यह राष्ट्रहित में है। तुष्टिकरण की नीति राष्ट्र के लिये घातक है। कपटपूर्ण ढंग से आतंकवादियों की सजा टालना आतंकवादियों की हौसला अफजाई ही है।

आतंकवाद से निपटने के लिये कठोरतम कानून की आवश्यकता है। राष्ट्रभक्त सैनिकों और सुरक्षाबलों को दुराचारी और खूनी आतंकवादियों के आगे लाचार करने का पाखण्ड बहुत हो चुका। अपनी जान पर खेलकर पकड़े गए आतंकवादियों को चिकन-बिरयानी खिलाएंगे तो राष्ट्रभक्त अधिक देर मौन नहीं रह सकते। आज टाडा से अधिक कठोर कानून की आवश्यकता है। गिड़गिड़ाने की प्रवृत्ति पर भी विराम लगना चाहिये। पराक्रमशील राष्ट्र बार-बार पाकिस्तान को वार्ता की मेज पर बुलाने में अब तो हिचक अनुभव कर ही ले। सैक्युलर सरकार राष्ट्र भक्ति का कोई तो प्रमाण दे। कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है, यही सार्वभौमिक सत्य है। इससे आगे कुछ नहीं। विशेष राज्य का दर्जा अविलम्ब खत्म किया जाना चाहिये। आतंकवाद के समूल नाश हेतु दृढ़ संकल्प और राष्ट्रभक्ति की परम आवश्यकता है। दुष्प्रेरणाओं, कुकृत्यों, विश्वासघातियों के सरगना पाकिस्तान को उसी के घर में निबटाना आवश्यक हो तो पीछे भी नहीं हटना चाहिये। ऑपरेशन लादेन क्या सबक देता है? तालिबान, अलकायदा, हक्कानी नेटवर्क, जैश, लश्कर, सिमी जैसे दुर्दांत आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध भारत को स्पेशल आतंकविरोधी संगठन का निर्माण करना चाहिये ताकि अब आतंकवाद का भारत से पूर्ण खात्मा हो। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद में चीन और बंगलादेश, नेपाली माओवादियों की भूमिकाओं को आंखें बंद कर अनदेखा नहीं किया जाना चाहिये।

कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है, यही सार्वभौमिक सत्य है। इससे आगे कुछ नहीं। विशेष राज्य का दर्जा अविलम्ब खत्म किया जाना चाहिये। आतंकवाद के समूल नाश हेतु दृढ़ संकल्प और राष्ट्रभक्ति की परम आवश्यकता है। दुष्प्रेरणाओं, कुकृत्यों, विश्वासघातियों के सरगना पाकिस्तान को उसी के घर में निबटाना आवश्यक हो तो पीछे भी नहीं हटना चाहिये। ऑपरेशन लादेन क्या सबक देता है?

हिन्दू धर्म ने कभी तलवार, एके सैंतालिस नहीं उठाई बल्कि सार्वजनिक आचरण, नैतिकता और अध्यात्मिक बल पर ही विश्व में पताका फहराई है। अहिंसा और सत्य के बल पर विश्व को शांति का मार्ग दिखाया है। भारत वर्ष का विरोट अध्यात्मिक चिंतन, उसे विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करता है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' भारत ही कह सकता है। ❑

भुवन चंद्र खंडूड़ी

सीमांत राज्यों की स्थितियों के मुताबिक सुरक्षा के खतरों को दृष्टिगत रखकर आक्रामक और सुरक्षात्मक अभियानों के नजरिये से सुरक्षाबलों की रणनीतिक तैनाती की जा सकती है। राज्यों की अवस्थापना से इन कार्यवाहियों व तैयारियों में मदद की जा सकती है। जमीन पर सड़क, रेल, वायु, संचार की लाइनों, विभिन्न सैन्य भंडारों, अस्पतालों, कार्यशालाओं और अनेक सुविधाओं की सेनाओं को जरूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्था और परीक्षण शांतिकाल में ही कर लेना चाहिये। इससे आम जनता और देश दोनों किसी भी आपातकालीन परिस्थिति के लिये तैयार होते हैं और दुश्मन के हौसले पस्त।

राष्ट्रीय सुरक्षा में सीमांत राज्यों की भूमिका

सीमाओं का प्रबंधन भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का एक महत्त्वपूर्ण आयाम है। देश की 15107 कि.मी. लम्बी सीमाएं 17 राज्यों, 92 जिलों और 13 राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के 7517 कि.मी. लम्बे समुद्र तटों से सटी हैं। भारत के 1197 द्वीपों की 2094 कि.मी. सीमाओं की रक्षा भी हमारा दायित्व है।

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली और हरियाणा को छोड़कर भारत के सभी राज्यों के एक अथवा अधिक सीमांत क्षेत्रों या समुद्री तटों से कोई न कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा सटी है और यह भी सीमाओं की रक्षा के नजरिये से बहुत महत्त्वपूर्ण है। बाहरी खतरों से भारत की सुरक्षा सीमा प्रबंधन का महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। इसके अतिरिक्त भारत में भारी संख्या में घुसपैठ पड़ोसी देशों के मुकाबले भारत की आर्थिक प्रगति को सबसे बड़ा खतरा है। इसके साथ ही अन्य खतरे और चुनौतियां भी पैदा हो रही हैं। सीमा सुरक्षा परिदृश्य को सीमापार आतंकवाद, घुसपैठ, सशस्त्र उग्रवादियों का आवागमन, मादक पदार्थों तथा हथियारों की तस्करी, अवैध अप्रवासन, वामपंथी आतंकवाद और बाहरी शक्तियों की मदद से बढ़ रही पृथकतावादी गतिविधियां भी प्रभावित करती हैं।

चीन और पाकिस्तान के साथ लम्बे समय से चले आ रहे क्षेत्रीय और सीमा विवादों की चुनौतियों ने आज प्रभावी सीमा प्रबंधन को राष्ट्रीय प्राथमिकता बना दिया है। भारत की सीमाओं की रक्षा बड़ी संख्या में सेना, अर्द्ध सैनिक तथा पुलिस बालों द्वारा सुनिश्चित की जाती है। इन सभी बलों की अपनी कार्यशैली और परम्पराएं होती हैं और शासन स्तर पर सभी का नियंत्रण अलग-अलग लोगों के अधीन होता है, जिसके कारण सीमा प्रबंधन में समन्वय की समस्याएं भी आती हैं।

जम्मू-कश्मीर और भारत-तिब्बत सीमा पर नियंत्रण रेखा अविस्तारित एवं विवादित सीमाओं का प्रतीक है, भारतीय सेना इसकी निगरानी करती है। सभी सुनिश्चित और अविवादित सीमाओं की देखरेख सीमा सुरक्षा बल अथवा किसी अन्य निर्धारित अर्द्धसैनिक बल द्वारा होनी चाहिये। सीमाओं की प्रभावी सुरक्षा के लिये 'एकल बिन्दू नियंत्रण' के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिये। इससे उत्तरदायित्वहीनता से बचा जा सकता है।

निगरानी तकनीकों में आधुनिक तौर तरीकों के इस्तेमाल जैसे उपग्रह और हवाई फोटोग्राफी से नियंत्रण रेखा पर निरंतर नजर रखी जा सकती है। इससे सुरक्षा बलों की नियमित तैनाती को भी कम किया जा सकता है। इसी तरह बड़ी संख्या में हेलीकॉप्टर इकाइयों की उपलब्धता से हमारी हवाई निगरानी की गुणवत्ता और बिना समय गंवाए सैन्यबलों की रक्षात्मक स्थानों पर तैनाती भी मुमकिन हो जाएगी।

सीमांत राज्यों की स्थितियों के मुताबिक सुरक्षा के खतरों को दृष्टिगत रखकर आक्रामक और सुरक्षात्मक अभियानों के नजरिये से सुरक्षाबलों की रणनीतिक तैनाती की जा सकती है। राज्यों की अवस्थापना से इन कार्यवाहियों व तैयारियों में मदद की जा सकती है। जमीन पर सड़क, रेल, वायु, संचार की लाइनों, विभिन्न सैन्य भंडारों, अस्पतालों, कार्यशालाओं और अनेक सुविधाओं की सेनाओं को जरूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्था और परीक्षण शांतिकाल में ही कर लेना चाहिये। इससे आम जनता और देश दोनों किसी भी आपातकालीन परिस्थिति के लिये तैयार होते हैं और दुश्मन के हौसले पस्त। जनसंहार के हथियारों के प्रयोग की आशंका के मामलों में अवस्थापनाओं की ही आवश्यकता बड़े पैमाने पर

पड़ती है। केवल भौतिक नजरिए से नहीं बल्कि लोगों को जागरूक करने की दृष्टि से भी यह जरूरी होता है।

सीमाएं राजनीतिक कारणों से एक नक्शे पर खींची गई रेखाएं ही नहीं है। अक्सर एक ही समाज के लोग सीमा के दोनों ओर रहते हैं। वे न केवल एक जैसी संस्कृति बल्कि विश्वास, परम्पराएं और जीवन शैलियों से भी जुड़े होते हैं। कभी-कभी तो कोई भी भौतिक सीमा रेखा इन लोगों के बीच नजर ही नहीं आती। आसाम, बंग्लादेश सीमा का ही उदाहरण लें तो इन क्षेत्रों में लोग खेल मैदानों तक का साझा प्रयोग करते हैं। किसी भी पड़ोसी देश में अस्थिरता का प्रभाव उससे सटी सीमा पर सहानुभूति के रूप में दिखता है। यदि स्थानीय स्तर पर लोगों के बीच अच्छे रिश्ते हैं तो दोनों पड़ोसी देशों में शांति और सद्भावना रहेगी। जैसे कि भूटान के साथ पारस्परिक सम्बंध। दूसरी ओर यदि स्थानीय स्तर पर रिश्ते तनावपूर्ण होंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्रयास से सद्भावना का वातावरण बचेगा नहीं। राज्य स्तरीय नीतियां इन रिश्तों को संवारने में बहुत मदद देती है। श्रीलंका के तमिल मुद्दे और उसके भारतीय कूटनीति पर प्रभाव तथा घरेलू नीतियों पर असर को कौन नहीं जानता?साथ ही नेपाल में हाल ही में हुए परिवर्तनों और उनके भारत पर प्रभाव को भी इसी तरह समझा जा सकता है।

केन्द्र और राज्य दोनों को ही सीमांत राज्यों में आवागमन, संचार तथा सम्पर्क के साधनों के विकास के लिये अवस्थापनाओं के सृजन पर ध्यान देने की जरूरत है। हाल ही में सीमा पार चीन की तैयारियों को देखते हुए हमारे मौजूदा हालात संतोषजनक नहीं कहे जा सकते।

प्राकृतिक संसाधन राजनीतिक सीमाओं का पालन नहीं करते। नदियां सीमाओं के पार पानी, हरियाली और खुशहाली पहुंचाती हैं। सम्बंधित देशों को ऊर्जा सम्पन्न बनाने के साथ ही राज्यों के हितों में ऐसी सम्पदा का सृजन करती हैं जिसे वैश्विक स्वार्थों के कारण दांव पर नहीं लगाया जा सकता। हाल ही में हुई तीस्ता जल संधि इसका एक उदाहरण है। व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण व नियमन किसी राज्य के कानून व्यवस्था तंत्र की जिम्मेदारी होती है। सीमांत राज्यों की एजेंसियां इस मामले में अवैध व्यापार, तस्करी, असली और नकली मुद्रा के विनिमय, वास्तविक मानव-मवेशियों और हथियारों की तस्करी आदि पर काबू करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। यदि ऐसी गतिविधियों का नियंत्रण और नियमन नहीं किया जाए तो वे राष्ट्र की सुरक्षा के लिये खतरा बन जाती हैं।

केन्द्र और राज्य दोनों को ही सीमांत राज्यों में आवागमन, संचार तथा सम्पर्क के साधनों के विकास के लिये अवस्थापनाओं के सृजन पर ध्यान देने की जरूरत है। हाल ही में सीमा पार चीन की तैयारियों को देखते हुए हमारे मौजूदा हालात संतोषजनक नहीं कहे जा सकते। याद रखें कि अवस्थापना सुधार न केवल आवश्यकता के समय में सुरक्षा बलों की तैनाती में ही काम नहीं आएगा बल्कि सीमांत क्षेत्रों के समुदायों में भी इससे हौसले और इत्मीनान की भावना पनपेगी।

इसी तरह 'सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम' जैसे लक्षित विकास की पहल को भी बढ़ावा दिये जाने की जरूरत है क्योंकि इनसे सुदूर सीमांत क्षेत्रों के निवासियों में देश से अलग और उपेक्षित होने की भावना दूर होती है। संवेदनशील सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों में साझेदारी और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, अंतत: सुरक्षा बलों के लिये संवेदनशील सूचनाओं के संग्रहण और लोगों से मदद हासिल करना आसान बना देगा।

अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिये विशेष गुप्तचर शाखा का गठन किया जाना चाहिये। इन गुप्तचरी इकाइयों का प्राथमिक लक्ष्य सीमाओं पर गुप्तचरी, नकली करेंसी, मादक पदार्थों, हथियारों, विस्फोटकों की तस्करी और संदेहास्पद व्यक्तियों की गतिविधियों पर निगरानी रखना और आवश्यक कार्यवाही करना हो।

निगरानी तकनीकों में आधुनिक तौर तरीकों के इस्तेमाल जैसे उपग्रह और हवाई फोटोग्राफी से नियंत्रण रेखा पर निरंतर नजर रखी जा सकती है। इससे सुरक्षा बलों की नियमित तैनाती की जरूरत को भी कम किया जा सकता है। इसी तरह बड़ी संख्या में हेलीकॉप्टर इकाइयों की उपलब्धता से हमारी हवाई निगरानी की गुणवत्ता और आवश्यकतानुसार बिना समय गंवाए सैन्यबलों की रक्षात्मक स्थानों पर तैनाती भी मुमकिन हो जाएगी। महंगे होने के बावजूद ये दोनों ही उपाय देश के व्यापक हित में जरूरी है। प्रभावी सीमा प्रबंधन को विविधता और समन्वय की समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। तकनीकी और अवस्थापनाओं से हमारी तत्काल जवाबी कार्यवाही बढ़ेगी और अन्तत: इस व्यवस्था की रीढ़ से हमारे देशवासी, प्रशासक और सहयोगियों को भी मजबूती मिलेगी। आखिरी चुनौती इन सब सुझावों का प्रभावी अनुपालन है। ❑ (साभार : पांचवां स्तंभ)

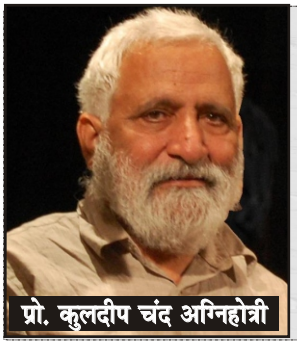

प्रो. कुलदीप चंद अग्निहोत्री

भारत को पूरे क्षेत्र के लिये एजेंडा स्वयं तय करना होगा ताकि फिर यदि चीन चाहे तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। कृष्णा यदि अपनी बीजिंग यात्रा में यह घोषणा करते कि तिब्बत का मसला लम्बे अरसे से विवाद ग्रस्त है और चीन व तिब्बत दोनों की आपसी बातचीत से इसे सुलझाना चाहिये तो शायद चीन अरुणाचल में ऐंटनी की यात्रा पर आपत्ति न उठाता। वह ऐसा साहस इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि भारत तिब्बत के बारे में मुंह वहीं खोलेगा। यह विश्वास हो जाने के बाद ही चीन की हिम्मत अरुणाचल तक आने की हुई है।

भारत को स्वयं तय करना होगा अपनी विदेश नीति का एजेंडा

पिछले दिनों भारत के विदेशमंत्री श्री एसएम कृष्णा चीन यात्रा पर गए थे। स्वाभाविक था कि चीन यात्रा के दौरान तिब्बत का प्रश्न उठता। जब भी भारत सरकार का कोई प्रतिनिधि चीन जाता है तो चीन सरकार कोई भी गम्भीर बातचीत करने से पहले उससे एक दो कर्मकांड पूरे करवाती है। भारत सरकार का प्रतिनिधि भी इसे अपना कर्तव्य मान कर पूरा करता है। यह कर्मकांड होता है, तिब्बत चीन का हिस्सा है, यह घोषणा करना। कृष्णा की यात्रा में भी यह कर्मकांड होगा, इसको लेकर कोई भ्रम नहीं था। परन्तु इस बार स्थिति सर्वथा भिन्न थी। बीस से भी ज्यादा भिक्षु भिक्षुणियां तिब्बत की आजादी का नारा लगाती हुई आत्मसात कर चुकी हैं। पूरा तिब्बत चीनी सेना द्वारा एक बड़े यातनागृह में बदल दिया गया है। इसलिये ऐसा लगता था कि कम से कम भारत के विदेश मंत्री तिब्बत में हो रहे अमानुषिक अत्याचारों की बात तो कर्मकांड निभाते हुए भी उठाएंगे। लेकिन इसके विपरीत दो कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने घोषणा की कि भारत को तिब्बत से कुछ लेना देना नहीं है। कृष्णा ने सोचा होगा कि इससे चीनी मुगाम्बो खुश हो जाएगा। लेकिन मुगाम्बो खुश नहीं हुआ।

आज पूरा दक्षिण पूर्व एशिया चीन की दादागिरी से त्रस्त है। लेकिन वह सहायता के लिये किसकी ओर देखें?अपनी तिब्बत नीति के कारण चीनी सीमांत के पड़ोसी देशों का विश्वास हमने खो दिया है। अब तो तिब्बत को भी पीछे छोड़कर चीन अरुणाचल में भारत को कूटनीतिक रूप से धमका रहा है। ऐसी स्थिति में नेपाल, म्यांमार, कोरिया, वियतनाम, थाईलैंड जैसे देश चीनी दबाव से बचने के लिये भारत का दामन कैसे पकड़ सकते हैं?

कृष्णा के चीन से लौट आने के कुछ दिन बाद ही विदेश मंत्री श्री एके एंटनी अरुणाचल प्रदेश गए। चीन ने इस पर सख्त एतराज जताया। उसके अनुसार भारत सरकार को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिये जिससे दोनों देशों में सीमा विवाद को लेकर स्थिति खराब हो। चीन के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में यदि कोई केन्द्रीय मंत्री जाता है तो दोनों देशों में सम्बंध खराब होने का खतरा बढ़ जाता है अब दोनों देश मित्रता के रास्ते पर कदम से कदम मिला कर चल रहे हैं। दोनों देशों का आपसी व्यापार अपनी सारी सीमाएं तोड़ता नजर आ रहा है। दोनों देश मिलकर सैनिक युद्ध अभ्यास भी कर चुके हैं। सांस्कृतिक दल इधर-उधर आ जा रहे हैं। ऐसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में भारत सरकार का एक भी गलत कदम सारे वातावरण में तनाव उत्पन्न कर देता है।

लेकिन आखिर तनाव का कारण क्या है?चीन के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में केन्द्रीय मंत्री के जाने से चीनी जनता नाराज होती है क्योंकि चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है। अत: उसका तर्क है कि जब तक यह विवाद हल नहीं हो जाता तब तक भारत सरकार को कम से कम वहां मंत्री इत्यादि भेज कर विवाद को भड़काना तो नहीं चाहिये। चीन की भाषा और स्वर कुछ इस प्रकार है कि जब हमने अरुणाचल में सेना न भेजकर यथास्थिति बनाए रखी है, तब भारत को भी इसे विवाद ग्रस्त मान कर मंत्री वगैरह भेजने से परहेज करना चाहिये। वैसे रिकॉर्ड के लिये चीन बीच बीच में अरुणाचल में अपनी सेना भी भेज देता है।

यह ठीक है कि ऐंटनी ने चीन के इस एतराज को खारिज कर दिया है। परन्तु यह खारिज करना, चीन के एजेंडा पर केवल प्रतिक्रिया प्रकट करना है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत के सीमांतों पर एजेंडा चीन तय

करता है, दिल्ली उस पर केवल अपनी प्रतिक्रिया देती है। भारत सरकार की यह नीति सीमांत के लोगों की मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करती है। अरुणाचल भी विवादग्रस्त है, कश्मीर भी विवाद ग्रस्त है, यदि भारत सरकार भी अपने शब्दों एवं कर्मों से यही मानती रहेगी तो सीमांत के लोग भावात्मक स्तर पर किस स्थिति में चले जाएंगे? इसकी चिंता शायद दिल्ली को नहीं है।

भारत को पूरे क्षेत्र के लिये एजेंडा स्वयं तय करना होगा ताकि फिर यदि चीन चाहे तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। कृष्णा यदि अपनी बीजिंग यात्रा में यह घोषणा करते कि तिब्बत का मसला लम्बे अरसे से विवाद ग्रस्त है और चीन व तिब्बत दोनों की आपसी बातचीत से इसे सुलझाना चाहिये तो शायद चीन अरुणाचल में ऐंटनी की यात्रा पर आपत्ति न उठाता। वह ऐसा साहस इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि भारत तिब्बत के बारे में मुंह वहीं खोलेगा। यह विश्वास हो जाने के बाद ही चीन की हिम्मत अरुणाचल तक आने की हुई है।

भारत सरकार की इसी दब्बू एवं निष्क्रिय नीति का परिणाम है कि चीन पाकिस्तान से गिलगित और बाल्तीस्तान का इलाका पचास साल के लिये किराये पर लेने की रणनीति पर काम कर रहा है। गिलगित और बाल्तीस्तान, जम्मू-कश्मीर राज्य का अंग है, जिन पर पाकिस्तान ने बलात् कब्जा किया हुआ है। ये दोनों क्षेत्र भारत के लिये मध्य एशिया, अफगानिस्तान और ईरान से जुड़ने का रास्ता है, खनिजों का भंडार है ये क्षेत्र। चीन इन पर कब्जा करके भारत के पश्चिमोत्तर पर भी घेराबंदी की योजना बना रहा है लेकिन भारत सरकार अपनी निष्क्रियता की नीति के कारण चीन को सीमांतों पर सक्रिय होने का अवसर प्रदान कर रही है।

आज पूरा दक्षिण पूर्व एशिया चीन की दादागिरी से त्रस्त है। लेकिन वह सहायता के लिये किसकी ओर देखें?अपनी तिब्बत नीति के कारण चीनी सीमांत के पड़ोसी देशों का विश्वास हमने खो दिया है। अब तो तिब्बत को भी पीछे छोड़कर चीन अरुणाचल में भारत को कूटनीतिक रूप से धमका रहा है। ऐसी स्थिति में नेपाल, म्यांमार, कोरिया, वियतनाम, थाईलैंड जैसे देश चीनी दबाव से बचने के लिये भारत का दामन कैसे पकड़ सकते हैं? चीन की रणनीति इस क्षेत्र में भारत के एक ताकतवर एवं बड़ा देश होने की अवधारणा को ध्वस्त करना है। भारत सरकार अपने व्यवहार से अप्रत्यक्ष रूप से चीन की सहायता ही कर रही है।

भारत सरकार को चाहिये कि दलीय हितों को त्याग कर राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए भारत की विदेश नीति का नया एजेंडा तय करे, जो भारत का अपना एजेंडा हो। ❑

(लेखक हि.प्र. विश्वविद्यालय में भीमराव अम्बेदकर पीठ के अध्यक्ष हैं)

वनवासी समाज की चुनौतियां व समाधान

जिस वनवासी समाज ने रामायण काल में रावण जैसी बड़ी शक्ति को परास्त करने में महत्वूपर्ण भूमिका निभाई, जिसे महाभारत में वीर घटोत्कच व बर्बरिक के रूप में याद किया जाता है, राणा प्रताप व शिवाजी के साथ जिस वनवासी समाज ने कंधे से कंधा मिलाकर बलिदान दिए, वीरांगनाओं में भी नागा राज्य की रानी गायेडल्यू जैसी महान् युद्धकर्त्री ने आहुतियां दी, आज वही वनवासी समाज अनेकानेक चुनौतियों व समस्याओं से जूझ रहा है। साधनों के अभाव से विकास की गंगा वहां तक नहीं पहुंच पाई जिस कारण नक्सलवाद, आतंकवाद और विरोधी ताकतें सिर उठा रही हैं। इसका मुख्य कारण कृषि के आधुनिक साधनें की कमी, स्कूल, महाविद्यालय व चिकित्सालयों की कमी अथवा जहां हैं वहां शिक्षकों और दवाइयों की कमी।

यदि 10 करोड़ वनवासी अभावग्रस्त व पिछड़े रहे तो देश की प्रगति कैसे होगी? विरोधी शक्तियां वहां मतांतरण करके देश के विरुद्ध कार्य कर रही हैं। ऐसे समय में वनवासी कल्याण आश्रम के समर्पित कार्यकर्ताओं ने इस चुनौती को स्वीकार किया है। 1952 में कल्याण आश्रम का कार्य आरम्भ हुआ। आज वनवासियों की सेवा में विद्यालय, अस्पताल, संस्कार केन्द्र, छात्रााावास, कृषि विकास केंन्द्र, खेलकूद केन्द्र, स्वयं सहायता समूह, चिकित्सा शिविर, सतसंग केंद्र आदि विविध प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। हिमाचल में भी हिमगिरी कल्याण आश्रम द्वारा चार छात्रावास चलाए जा रहे हैं।

वनवासी बंधुओं के साथ समाज के पढ़े लिखे, बुद्धिजीवी आगे आएं। समरसता, एकरूपता व तू मैं एक रक्त के भाव जागरण के साथ नगरवासी, शहरवासी, वनवासी कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो इन सभी चुनौतियों को हम दूर करने में सहायक हो सकते हैं। तन, मन, धन व सभी प्रकार का योगदान व सहयोग देकर वनवासी बंधुओं का सहयोग कर सकते हैं। ❑

श्री भगवान, हिमगिरि कल्याण आश्रम

साम्प्रदायिक आरक्षण

❑ नरेश भारतीय

चर्चा सर्वत्र लोकपाल विधेयक को संसद में पेश करने ओर पारित करवाने की चल रही थी और इस बीच राजनीतिक धुरंधरों की नजरें विधानसभा चुनावों पर जम रही थीं। जनता को लुभाने के लिये हर पार्टी अपने-अपने धनुष की प्रत्यंचा पर तरह-तरह के तीर चढ़ाती दिखाई पड़ रही थी। यही है देश का दुर्भाग्य कि चुनावों के समय वोटों के गणित का खेल सामाजिक विभाजन के घिनौने दावपेंच पर केन्द्रित होने लगता है। अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लिये आरक्षण के ब्रह्मास्त्र को तरकश से निकाल कर उसकी शक्ति को आजमाने का पैंतरा पहले उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने फेंका। कांग्रेस जो राहुल गांधी की कमान में अपनी खोई हुई साख को उबारने के लिये दिन-रात एक किये हुए हैं उसने केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में तत्सम्बंधी प्रस्ताव पारित करवा कर अपना तीर छोड़ दिया। पूर्व निर्धारित दलित कोटे में से साढ़े चार प्रतिशत मुस्लिम अल्पसंख्यकों में पिछड़ी जाति वालों के लिये आरक्षण का प्रावधान। इस प्रकार मुसलमानों की सहायता का प्रपंच रचकर उनके ही जातिविहीन, मजहबी प्रावधान में सेंध का संदेश है। यह भारत के समस्त समाज को भारतीय के बंधन में बांधने का प्रयत्न नहीं बल्कि स्पष्ट हो रहा है कि इससे समाज के समरस और एकजुट होने के स्थान पर उसके दीर्घ-कालिक विभाजन और बिखराव की प्रक्रिया को ही बल मिलेगा।

वोटों के लिये संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए देश को आरक्षित मजहबी अल्पसंख्यक वर्ग की राह पर डाल कर सौहार्द को समाप्त करने का खुलेआम अपराध किया जा रहा है। अंततः देश को वैसे ही कालखंड में पुनः धकेला जा रहा है जब हम राजनीतिक दृष्टि से टुकड़ों में बंटे बिखरे हुए थे। उसी का लाभ उठाकर विदेशी आक्रांताओं ने हमें अपने जूतों के तले मसलने का दुस्साहस किया था।

कहने को तो एक बड़े टुकड़े में से एक छोटा टुकड़ा ही है इस अल्पसंख्यक आरक्षण की परिधि, लेकिन भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक विभाजनों की परम्परा कायम करने वाली कांग्रेस को इसकी चिंता नहीं कि यह असंवैधानिक फैसला आगे और क्या गुल खिलाएगा देश में सामाजिक सौहार्द का ढांचा, जिसका तथाकथित धर्मनिरपेक्षता वादी ढोल पीटते चले आए हैं, उसे ही आज वोटों के लालच में देश में कथित अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को उसके पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण देकर तोड़ने की प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी है। यही मुस्लिम समाज में छोटे-बड़े का विभाजन उत्पन्न करेगी जो उसे उसकी धार्मिक मान्यता के अनुसार स्वीकार्य नहीं होगा, परिणामतः वह बड़े आरक्षण के लिये मांग करेगा जिसके अंततः गम्भीर परिणाम हो सकते हैं।

अल्पसंख्यकवाद?सोचता हूं क्या यह भारतीयों को ही भारतीयों के विरुद्ध खड़ा नहीं कर देता?एक को विशेष दर्जा देकर और शेष यानी कथित बहुसंख्यक वर्ग को अविशेष बनाकर समानता की भावभूमि कैसे पुष्ट की जा सकती है?इसके स्थान पर कोई एकात्म भारतीयत्व की चर्चा नहीं करता जिसमें एक कुटुम्ब की भावना के अंतर्गत सबकी आवश्यकता, विकास और सफलता सुनिश्चित करने की दिशा में सांझा समाधानों का प्रावधान हो। भारत का निर्विवाद सत्य यही है कि जिसने भारतभूमि पर जन्म लिया है वह उसका पुत्र या पुत्री है और भारतमाता के लिये इससे अधिक सुखकारी और क्या हो सकता है कि उसकी सब संतानें प्रेम के साथ उसकी छत्रछाया में रहे। वह सबको अपना स्नेह दे और वे सब उसका सम्मान करें, देश और देश के समाज को टुकड़ों में बांट कर उन्हें समानता प्रदान नहीं की जा सकती। मजहबी आरक्षण लाभांवित लोगों को भुला देगा। वे सबसे पहले भारतीय हैं और उन्हें उसी के नाते समानता के आधार पर पूरे हक मिलने चाहिये। अब समय आ गया है कि वे यह कहने का साहस करें कि छोटे-बड़े घोषित करके उन्हें एक-दूसरे से अलग-थलग न किया जाए और उनकी भारतीय राष्ट्रीयता को कमजोर न बनाया जाए। वैयक्तिक स्तर पर धर्म और मजहब के बिना आर्थिक स्तर और सबकी आवश्यकताओं का आकलन करते हुए अभावों को दूर करने और उनके भविष्य की बेहतरी के उपाय किये जाएं।

वोटों के लिये संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए देश को आरक्षित मजहबी अल्पसंख्यक वर्ग की राह पर डाल कर सौहार्द को समाप्त करने का खुलेआम अपराध किया जा रहा है। अंततः देश को वैसे ही कालखंड में पुनः धकेला जा रहा है जब हम राजनीतिक दृष्टि से टुकड़ों में बंटे बिखरे हुए थे। उसी

देश को बांटेगा

का लाभ उठाकर विदेशी आक्रांताओं ने हमें अपने जूतों के तले मसलने का दुस्साहस किया था। उसके बाद धर्म परिवर्तन का ऐसा क्रूरतापूर्ण दौर चला जिसने सामाजिक विभाजन को गहरा और घिनौना मोड़ देना शुरू किया, जो हिन्दू से मुस्लिम बना लिये गए उनसे अपेक्षा की जाने लगी कि वे अपने मूल हिन्दू समाज से दूर हट कर जीना सीखें। शासकों के साथ जुड़ने के लिये उन्हें प्रलोभन दिये जाने लगे। यही प्रक्रिया अंग्रेजों के जमाने में और आगे बढ़ाई गई और समाज बांटा गया। अनेक विवश होकर शासकों के सहायक बने या प्रलोभनों के शिकार होकर शांत हो गए।

चुनाव अभियानों में और मुस्लिम अल्पसंख्यक आरक्षण के ध्वजवाहक नेताओं के भाषण मंचों से वोट बैंक राजनीति के चित्र उभरने शुरू हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव राज्य की राजनीति के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजनीति की दिशा निर्धारण के रूप में देखे जा रहे हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि वह अपने कदम आगे बढ़ाएगी और फिर राष्ट्रीय राजनीति में अपना सिक्का और मजबूती से जमाएगी। लोकपाल विधेयक पर संसद में बहस भ्रष्टाचार की रोकथाम पर इतना केन्द्रित नहीं थी जितना इस बात पर कि अल्पसंख्यक आरक्षण लोकपाल पद के लिये भी होना चाहिये। जिन्हें लोकपाल विधेयक से कोई सरोकार नहीं था, वे अपने-अपने कारणों से लोकपाल नहीं चाहते थे, परन्तु यदि लोकपाल का पद निर्मित होता है, अल्पसंख्यक आरक्षण के तहत वे यह पद किसी अल्पसंख्यक को मिलते देखना चाहते हैं। **यदि देश की जनता भ्रष्टाचार और उन्हें संत्रस्त करने वाले आतंकवाद और असुरक्षा जैसे मुद्दों के समाधान देखना चाहती है तो उसे सुनिश्चित करना होगा कि वह देश के वर्तमान और भावी कर्णधारों को उन्हें बांटने न दे।** सम्प्रदायविहीन आधार पर एकजुट होकर अपने प्रतिनिधियों को उनकी योग्यता, क्षमता और उनके राष्ट्रहित के चिंतन में काम करने की उनकी प्रतिबद्धता का सांझा आकलन करते हुए चुने, वोट बैंक की उनकी इस विभाजीय मृगमरीचिका से उन्हें अब परिचित कराए। खुद को उनकी सत्ता शतरंज का एक मोहरा मात्र न बनाए। ❑

(लेखक बीबीसी हिन्दी सेवा के पूर्व उद्घोषक हैं)

बढ़ते अपराध एक विकट चुनौती

हमारा मानना है कि सख्त कानून और कठोर सजा से ही अपराध रोका जा सकता है। अभी फरवरी माह के दूसरे पखवाड़े में दिल्ली के एक न्यायालय ने कहा कि बलात्कार के अपराधियों को सजा के तौर पर नपुंसक बना देना चाहिये। इस विषय पर बड़ी बहस छिड़ गई है। बलात्कार के अपराधी को अब तक 7 से 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। अगर बलात्कार के पश्चात् पीड़िता को मार दिया जाए तो इस देश के कानून ने फांसी भी दी है। अपराधी और अपराध इसकी उपज घर के अशुद्ध माहौल से उपजती है। विश्व इतिहास कहता है कि अपराध की शुरुआत चोरी चकेरी से हुई थी। कत्ल का अपराध आपसी मुठभेड़ से शुरू हुआ था। आज सारा विश्व तरह-तरह के अपराधों से त्रस्त है। भारत में अपराध एशियाई देशों की तुलना में सर्वाधिक हैं। मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं कि गुलाम भारत की तुलना में स्वतंत्र भारत में अपराध बढ़े हैं। इसका एक कारण नहीं अनेक कारण हैं। मैं कहता हूं इस देश की रचना और संस्कृति देव भूमि मान कर हुई थी। भाषा में संस्कृत से सभ्य और जीवन से जुड़ी कोई और भाषा नहीं है। इसी भाषा के वाङ्मय में संस्कारों की बात की गई है और नैतिकता का पाठ पढ़ाया गया है।

संस्कारी भारत और पवित्र भारत पर हमारी नैतिकता और चरित्रवान सभ्यता को विदेशी आक्रमणकारियों ने मिटाने के बड़े प्रयास किये। धर्म परिवर्तन की सोच का बीज हमारे देश में विदेशियों ने रोपा। हमने विदेशों में जाकर अन्य धर्मों के लोग हिन्दू नहीं बनाए, हमने विदेशी सभ्यता को कभी अपवित्र करने के प्रयास नहीं किये। लेकिन हम में उपजी आपराधिक मानसिकता के जवाबदार विदेशी आक्रमणकारी हैं। हम संस्कारों को भूल कर ही ध्यान चिंतन से दूर हुए हैं और पश्चिमी सभ्यता के दास बने हैं। यह सारे परिवर्तन जो हम में आए हैं या आएंगे यह सब हमें अपराधी बनाएंगे। हमें घर लौटना होगा अर्थात् हमें संस्कारी, पवित्र एव चरित्रवान पूर्वजों के बताए मार्ग पर चलकर स्वयं और इस देश की सभ्यता को मिटने मिटाने से रोकना होगा।

- के.सी. शर्मा

डॉ. विद्या चंद ठाकुर

भारतवर्ष का शासनतंत्र अल्पसंख्यक तुष्टिकरण का रास्ता अपना कर राष्ट्र की इस जीवन शक्ति हिन्दुत्व को नष्ट करने का भरसक प्रयास कर रहा है जोकि राष्ट्रभक्त देशवासियों के लिये चिंता का विषय है। अंग्रेजों की फूट डालो, राज करो की नीति का आचरण करते हुए अल्पसंख्यक तुष्टिकरण में भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का यह कहना कितना राष्ट्र घातक है कि देश के संसाधनों का पहला अधिकार मुसलमानों का है।

अल्पसंख्यक तुष्टिकरण

हिन्दुत्व भारतवर्ष का सनातन प्रवाह है और यही चिर पुरातन, नित्य नूतन प्रवाह भारत राष्ट्र की जीवन शक्ति है। इस सम्बंध में विदेशी मूल की महान् भारतविद् श्रीमती एनीवीसेंट के विचार उल्लेखनीय हैं– 'विश्व के विभिन्न महान् धर्मों एवं पंथों के अपने चालीस वर्षों से अधिक के अध्ययन के आधार पर मैं कह सकती हूं कि मुझे हिन्दू धर्म जितना सम्पूर्ण, विज्ञान सम्मत, दार्शनिक और आध्यात्मिक दिखा, उतना कोई दूसरा धर्म नहीं दिखा। जितना अधिक आप इसे जानते हैं, उतना ही अधिक आप इससे प्यार करने लगते हैं और जितना अधिक आप इसे समझते हैं, उतनी ही गहराई से आप इसका महत्त्व समझने लगते हैं। इस विषय में कोई संदेह नहीं होना चाहिये कि बिना हिन्दुत्व के भारतवर्ष का कोई भविष्य नहीं है। हिन्दुत्व ही वह मिट्टी है जिसमें भारत की जड़ें गहरी जमी हुई हैं और यदि इसे उस भूमि से उखाड़ा गया तो भारत वैसे ही सूख जाएगा जैसे कोई वृक्ष भूमि से उखड़ने पर सूख जाता है। एक बार हिन्दुत्व को हटा दीजिये तो उसके बाद भारत का क्या बचता है?भारत का इतिहास, इसका साहित्य, इसकी कला, इसके स्मारक, सब में हिन्दुत्व आद्योपांत भरा पड़ा है। भारत और हिन्दुत्व एक ही है।'

भारतवर्ष का शासनतंत्र अल्पसंख्यक तुष्टिकरण का रास्ता अपना कर राष्ट्र की इस जीवन शक्ति हिन्दुत्व को नष्ट करने का भरसक प्रयास कर रहा है जोकि राष्ट्रभक्त देशवासियों के लिये चिंता का विषय है। अंग्रेजों की फूट डालो, राज करो की नीति का आचरण करते हुए अल्पसंख्यक तुष्टिकरण में भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का यह कहना कितना राष्ट्र घातक है कि देश के संसाधनों का पहला अधिकार मुसलमानों का है। भारत के राजनीतिज्ञ वोटों की राजनीति को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप में मुस्लिम समाज को ही अल्पसंख्यक मानते हैं और वोट के लालच में ऐसे अलगाववादी बयान देते हुए जरा भी हिचक नहीं करते। ऐसी ही अलगाववादी सोच से भारतवर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान के रूप में बंट गया था। भारत विभाजन के बाद जो मुसलमान 1947 से भारत में रह रहे हैं, उनके प्रति देश के बहुसंख्यक समाज का सामान्यत: अनुकूलता का व्यवहार रहा है, लेकिन राजनीतिज्ञों को यह अनुकूलता रास नहीं आती, क्योंकि इससे उनके वोट बैंक को हानि पहुंचती है। इसीलिये वे इस अनुकूलता को प्रतिकूल बनाने के लिये तुष्टिकरण के अनेक षड्यंत्र रचते रहते हैं।

अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की यह नीति राष्ट्र के सामने एक गम्भीर चुनौती है। इस नीति से देश का एक और विभाजन सम्भावित है। हिन्दू समाज स्वभाव से ही सहिष्णु और सह-अस्तित्व का पक्षधर है। हिन्दुओं में अनेक उपासना पद्धतियां और चिंतन धाराएं हजारों, लाखों वर्षों से सामाजिक सौहार्द के साथ प्रचलित है। मुस्लिम और ईसाई उपासना पद्धतियां भी यहां समादरणीय हैं।

मुसलमानों के तुष्टिकरण हेतु केन्द्र सरकार ने सच्चर समिति का गठन किया। सच्चर समिति ने अपनी रिपोर्ट में एक टिप्पणी यह की कि देश में मुसलमान को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और उनके प्रति भेदभाव का व्यवहार किया जाता है। मुस्लिमों की सब समस्याओं का कारण बहुसंख्यक समाज व शासन है। यह बड़ी विचित्र टिप्पणी है। वास्तव में वस्तुस्थिति यह है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग देश के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत निर्वाचन आयोग आदि संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुख के पदों पर आसीन होते रहे हैं और इनके प्रति सभी देशवासियों का पूर्ण सम्मान रहा है। अत: स्पष्ट है कि भेदभाव का उक्त आरोप मात्र तुष्टिकरण नीति का षड्यंत्र है।

27 फरवरी, 2002 को गुजरात प्रांत के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस रेलगाड़ी के भीतर 59 हिन्दुओं को घोर पाशविक तरीके से जला दिया गया जिसकी प्रतिक्रिया में पूरे गुजरात राज्य में दंगे भड़के। इन दंगों को हिन्दुओं के मुस्लिम विरोधी साम्प्रदायिक दंगों के रूप मे छद्म धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल आज भी गुजरात काण्ड के नाम से खूब उछालते हैं, लेकिन गोधरा काण्ड के बारे में चुप हो जाते हैं। उनकी नज़र में गोधरा काण्ड में 59 हिन्दुओं की हत्या एक मामूली घटना है। यदि ये लोग गुजरात काण्ड के साथ गोधरा काण्ड की भी भर्त्सना करते तो हिन्दुओं की आंतरिक वेदना पर भी कुछ मरहम लगता। यहां भी वोट बैंक का सवाल है। मुसलमान कहीं नाराज न हो जाएं, इसलिये बेशर्मी के साथ एक पक्ष को ही उछाला जा रहा है। मुसलमानों की नाराजगी के भय से ही संसद पर हमले के षड्यंत्रकारी अफजल गुरु को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए फांसी के निर्णय को निरंतर टाला जा रहा है।

वर्ष 2012 के उत्तर प्रदेश चुनावों में अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है। एक राजनीतिक दल, दूसरे राजनीतिक दल से आगे निकलने की होड़ में लगे हैं जिसमें 4.5 प्रतिशत और 9 प्रतिशत आरक्षण की असंवैधानिक घोषणाएं की गई है। मजहब के आधार पर दिये जाने वाले इस आरक्षण से हिन्दुओं के पिछड़े वर्ग को मिलने वाले 27 प्रतिशत आरक्षण में कटौती कर दी जाएगी।

मुस्लिम तुष्टीकरण की भांति अल्पसंख्यक तुष्टीकरण में सरकार ईसाइयों का भी पक्ष लेती है। इसीलिये प्रलोभन, छलकपट के द्वारा हिन्दुओं के मतांतरण को बढ़ावा मिला है। ईसाइयों के इस दुष्कर्म को रोकने के लिये जिन सक्षम साधु संन्यासियों और कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया, उनकी हत्याएं कर दी गई। सरकार इसमें हिन्दू धर्म रक्षकों को ही दोषी ठहराती है। सरकार हिन्दुओं और हिन्दू प्रतीकों को लांछित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है तथा भगवा आतंकवाद आदि अनेक हौवा खड़ा कर रही है।

इस प्रकार अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की यह नीति राष्ट्र के सामने एक गम्भीर चुनौती है। इस नीति से देश का एक और विभाजन सम्भावित है। हिन्दू समाज स्वभाव से ही सहिष्णु और सह-अस्तित्व का पक्षधर है। हिन्दुओं में अनेक उपासना पद्धतियां और चिंतन धाराएं हजारों, लाखों वर्षों से सामाजिक सौहार्द के साथ प्रचलित है। मुस्लिम और ईसाई उपासना पद्धतियां भी यहां समादरणीय हैं। हिन्दुओं में उच्च उदारवादी दृष्टिकोण है, लेकिन एकजुटता की कमी है। इस एकजुटता की कमी के कारण बहुसंख्यक हिन्दू समाज उपेक्षित है और राष्ट्र की एकात्मता खतरे में है। अत: हिन्दुओं एवं अन्य राष्ट्रवादी शक्तियों को संगठित होकर राष्ट्रघाती चुनौतियों का सामना तत्परता से करना है। संगठित शक्ति से ही इन चुनौतियों का उन्मूलन होगा और शांति एवं न्याय का मार्ग प्रशस्त होगा। ❑

चुनौतियां, राष्ट्र जागरण...

(पृष्ठ 9 का शेष)

कार्यकर्ताओं के निर्माण की दृष्टि से इस प्रकार का प्रयत्न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। ऐसे राष्ट्रजागरण और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से समाज जीवन की तमाम समस्याओं के समाधान के लिये हम कार्यरत हैं।

समाज में जग रहा है विश्वास

देश में समस्याएं भी हैं, संकट और चुनौतियां भी हैं, यह सच है, परन्तु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं का इतने वर्षों का अनुभव समाज में एक विश्वास पैदा करने के लिये पर्याप्त है। समाज जीवन के अनेक क्षेत्रों के लोगों से मिलने और विचार-विमर्श करने के बाद और उनके अनुभव जानने के बाद यह विश्वास और पक्का होता है कि इस राष्ट्र को विजयी तो होना ही है, यह परमात्मा की योजना में है और सब संकटों को मात कर हमें आगे बढ़ना है, यह भी निश्चित है। इसके लिये मार्ग निकले, राष्ट्रवादी ताकतें बलवती हों, संगठित हों और इसलिये समाज जीवन के क्षेत्र में कार्य करने वाली सज्जन शक्ति के बीच परस्पर संवाद बढ़े, वह मिलकर काम करे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस प्रयत्न में भी लगा है कि चाहे अलग-अलग संस्थाओं, अलग-अलग संगठनों के रूप में देश के लिये, समाज के लिये, राष्ट्र के हित के लिये भिन्न-भिन्न संस्थाएं लगी हों, ये तमाम शक्तियां और संस्थाएं आपस में मिलकर इस काम को करें तो निश्चित रूप से हम बहुत शीघ्र देखेंगे कि तमाम समस्याओं का समाधान होकर एक नीतिगत परिवर्तन भी आएगा और समाज जीवन में सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक संकटों का मुकाबला करते हुए यह राष्ट्र सम्पूर्ण विश्व का मार्ग प्रशस्त करने की क्षमता भी अर्जित कर पाएगा। ❑ (साभार : पाञ्चजन्य)

कांग्रेस, मुसलमान और आरक्षण

❑ गोकुलेश पाण्डेय

सरकार को एक बार फिर से अल्पसंख्यकों की चिंता सताने लगी है और उसने ओबीसी कोटे से मुसलमानों को 4.5 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि भाजपा को छोड़कर अन्य किसी भी राजनीतिक दल ने सरकार के फैसले का विरोध नहीं किया।

वर्ष 2004 में सत्ता प्राप्ति के बाद जिस प्रकार एक के बाद एक बड़े घोटालों का खुलासा हुआ है उसने आम भारतीय के मानस पटल पर कांग्रेस और सरकार की छवि को गहरा आघात पहुंचाया है। जनप्रिय नेता और लोक कल्याणकारी नीतियों के अभाव में कांग्रेस अब राष्ट्र की एकता को दांव पर लगाकर आरक्षण का जुआ खेल रही है। वर्ष 1905 में लॉर्ड मिंटो द्वारा 'मार्ले मिंटो' सुधारों के नाम पर जनसंख्या के हिसाब से मुसलमानों को दिया गया तयशुदा आरक्षण देश के बंटवारे की नींव बना था। अब देखना है कि कांग्रेस की इस आत्मघाती शुरुआत का अंत क्या होगा?क्या वह मुसलमानों के लिये अलग वोट, अलग उम्मीदवार, अलग क्षेत्र मांगेगी या फिर पाकिस्तान की तरह अलग राष्ट्र?

सरकार मुसलमानों को उनकी हज यात्रा पर सब्सिडी भी देती है। ननकाना साहब जाने वाले सिक्ख जत्थे को सब्सिडी क्यों नहीं दी जाती आखिर सिक्ख भी तो अल्पसंख्यक ही हैं। भारत में उनकी संख्या मुस्लिमों की अपेक्षा भले कम है लेकिन राष्ट्रीय हित में उनका योगदान कहीं ज्यादा है। इसी प्रकार कैलाश मानसरोवर जाने वाले गरीब तीर्थयात्रियों को भी किसी तरह की सब्सिडी नहीं दी जाती।

जहां तक आरक्षण का प्रश्न है तो दस से अधिक मुस्लिम वर्ग सिड्यूल ट्राइब में शामिल हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक तौर से पिछड़े होने की वजह से सुविधाएं हासिल कर रहे हैं उनमें कुल 83 मुस्लिम वर्ग हैं। इस प्रकार कुल मुस्लिम आबादी का लगभग 70 प्रतिशत वर्ग ऐसा है जो पहले से ही आरक्षण का लाभ उठा रहा है। ऐसे में गरीब हिन्दुओं का हिस्सा मुसलमानों को देना सरासर अन्याय है।

सरकार मुसलमानों को उनकी हज यात्रा पर सब्सिडी भी देती है। ननकाना साहब (पाकिस्तान) जाने वाले सिक्ख जत्थे को सब्सिडी क्यों नहीं दी जाती आखिर सिक्ख भी तो अल्पसंख्यक ही हैं। भारत में उनकी संख्या मुस्लिमों की अपेक्षा भले कम है लेकिन राष्ट्रीय हित में उनका योगदान कहीं ज्यादा है। इसी प्रकार कैलाश मानसरोवर जाने वाले गरीब तीर्थयात्रियों को भी किसी तरह की सब्सिडी नहीं दी जाती। क्या सरकार का यह कार्य हमारे संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र का उल्लंघन नहीं है जिसके अंतर्गत धर्म के आधार पर किसी तरह का भेद-भाव न करने की बात कही गई है। सरकार ने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर चलते हुए पहले रंगनाथ मिश्र आयोग एवं बाद में सच्चर कमेटी बनाई। सेना में मुसलमानों की गिनती का आदेश दिया जिसे भारी विरोध के बाद वापिस ले लिया गया। इतना ही नहीं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत मुसलमानों की गुपचुप तरीके से गणना भी करवा ली गई।

अब यक्ष प्रश्न यह उठता है कि कांग्रेस यदि इतनी मुस्लिम परस्त पार्टी है तो उसके साठ वर्ष सत्ता में रहते हुए भी देश में मुसलमानों की स्थिति इतनी दयनीय क्यों है जैसा कि सच्चर कमेटी के निष्कर्ष बताते हैं।

यह दरअसल कांग्रेस के लिये मुस्लिम सिर्फ एक थोक वोट बैंक है, मतदाता हैं। कांग्रेस का मुसलमानों के दीर्घकालीन विकास से कोई लेना-देना नहीं है। मुस्लिम कांग्रेस के लिये सत्ता पाने की सड़क है जिसके लिये राष्ट्रीय हित मायने नहीं रखता।

कांग्रेस ने जिन गांधी नेहरू के नाम पर साठ वर्ष तक शासन किया उन लोगों ने कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण का समर्थन नहीं किया था। इतना ही नहीं मुस्लिम लीग ने जब आरक्षण की मांग उठाई तो लार्ड चेम्सफोर्ड ने कहा था कि 'धर्म और वर्गों पर आधारित तय आरक्षण अथवा विभाजन का मतलब एक-दूसरे के विरुद्ध संगठित राजनीतिक गुटों का निर्माण करना है। यह लोगों को सम्प्रदायों की तरह सोचना सिखाती है न कि एक देश के नागरिकों की तरह। यह सिद्धांत इतनी खूबी के साथ काम करता है कि एक बार पूरी तरह स्थापित हो जाने पर साम्प्रदायिकता की खाई इतनी गहरी हो जाती है कि उसके बाद उसे चाहकर भी कोई मिटा नहीं सकता।'

1913 में लोक सेवा आयोग की परीक्षा के सम्बंध में जब लार्ड इंस्लिंगटन ने मोहम्मद अली जिन्ना से मुसलमानों के आरक्षण के विषय में पूछा था तो जिन्ना ने स्पष्ट कहा था कि ऐसी स्थिति में यदि हम किसी मुसलमान को आरक्षण देकर

प्रशासक बनाते हैं तो यह उस हिन्दू के प्रति नाइंसाफी होगी जिसने ज्यादा अंक प्राप्त किये हैं और ज्यादा योग्य है।

27 जून, 1961 में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस संदर्भ में एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था, 'अगर हम लोग साम्प्रदायिक और जातीय आधार पर आरक्षण की ओर बढ़े तो हम मेधावी और योग्य लोगों को दूसरे तीसरे दर्जे पर फेंक देंगे। जब मैं सुनता हूं कि आरक्षण का यह व्यापार साम्प्रदायिकता के आधार पर इतनी दूर तक चला गया है तो मुझे वेदना होती है यह केवल गलती का ही नहीं विनाश का भी रास्ता है।'

मुस्लिम आरक्षण पर संविधान सभा के मुस्लिम प्रतिनिधियों के विचार :

1. पश्चिम बंगाल के निजामुद्दीन अहमद-मुस्लिम आरक्षण मनोवैज्ञानिक रूप से पृथक निर्वाचन मंडल से जुड़ा हुआ है और उसका सर्वनाशी रूप हमने विभाजन के समय देखा है इसलिये मैं अपनी पूरी ताकत से इसका विरोध करता हूं।

2. उत्तर प्रदेश की बेगम एजाज रसूल- मैं सोचती हूं आरक्षण एक आत्मघाती औजार साबित होगा जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों को परस्पर दूर कर देगा।

3. महमूद इस्माइल खां- अगर सीटों के आधार पर आरक्षण होता तो राष्ट्रीय जीवन में साम्प्रदायिकता का संचार होता। मैं बहुसंख्यक समुदाय को इसके लिये बधाई देता हूं।

वास्तव में यह आरक्षण हमारे स्वाधीनता संग्राम के मूल्यों का हनन है। यदि सचमुच हम मुसलमानों और पिछड़ों की मदद करना चाहते हैं तो उन्हें जाति और धर्म के बंधनों में क्यों बांधें। उनमें जो जरूरतमंद हों सचमुच गरीब हों उन्हें आरक्षण दें। क्योंकि धार्मिक आधार पर आरक्षण से बहुसंख्यकों के बीच एक आम मुसलमान भी घृणा का पात्र बन जाएगा। ❑

काले धन का...

(पृष्ठ 10 का शेष)

4. स्मगलिंग एवं भ्रष्ट व्यापार प्रथाओं जैसी अवैध गतिविधियों का चलन।
5. लोगों के नागरिक मानकों व नैतिक मूल्यों का हनन।

मनुष्य के नैतिक मानकों में गिरावट के परिणामस्वरूप झूठ, अविश्वास और रिश्वतखोरी जीवन शैली का एक हिस्सा बन गए हैं। हाल ही के वर्षों में काले धन की कमाई में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अर्थव्यवस्था या प्रशासन के एक विशेष क्षेत्र को आज काले धन के उपयोग के बिना चलाना मुश्किल हो गया है। ज्यादातर अर्थशास्त्रियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि वर्तमान में कालाधन मुद्रास्फीति के लिए एक मुख्य कारक बन गया है।

ऐसे में भारत अन्य देशों की भांति क्यों नहीं कदम उठाता? क्यों नहीं अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस जैसे अन्य देशों से भारत अपने आपको सम्बद्ध करता जो काले धन को अपने देश से बाहर न जाने देने में प्रयासरत है। आज समय अनुकूल है। सम्पूर्ण विश्व एक मत से है कर चोरी से जमा किए गए कालेधन के विरोध में खड़ा है। भारत को भी शीघ्र ही इस सम्बंध में पहल करनी चाहिए। इस सम्बंध में कुछ निम्न सुझाव हैं।

1. राजनेताओं, उच्च पदों पर आसीन लोगों को तथा व्यवसायी वर्ग को प्रति वर्ष अपनी सम्पत्ति और आय का ब्योरा देना जरूरी हो, जिसका सम्बद्ध विभाग बड़ी गम्भीरता से मुआयना करे।
2. टैक्स की दरें और कम हो ताकि टैक्स छिपाने की प्रवृत्ति कम हो।
3. नियंत्रण, लाइसेंस और परमिट को न्यूनतम स्थिति तक लाया जाए।
4. वांचू कमेटी के सुझाव के अनुसार कृषि आय को भी अन्य आय के समान इंकमटैक्स (आयकर) का आधार माना जाए।
5. भारी पूंजी लाभकर को कम किया जाना चाहिये।
6. पंजीकरण शुल्क भी कम हो।
7. अस्पष्टता दूर करने के लिये सभी कर कानूनों का संशोधन हो।
8. शोषण, काला बाजारी और तस्करी करने वाले दोषियों के लिये सख्त सजा का प्रावधान हो।

कालेधन का खतरा भयावह स्थिति तक पहुंच गया जो हमारी राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को खाक में मिलाए जा रहा है। आवश्यकता है शक्तिशाली जांच आयोग की जो दोषियों का शीघ्र पता लगाए और उनके लिए सख्त से सख्त सजा का प्रावधान करे। ❑

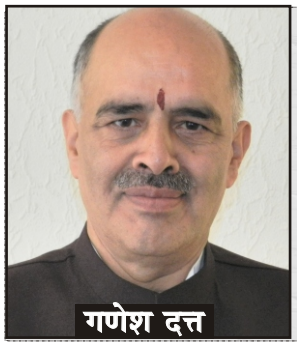

पिछले कुछ समय से राम पैदा नहीं हुए, कृष्ण पैदा नहीं हुए, रामसेतु एक काल्पनिक चीज है, उसे भगवान राम की सेना ने नहीं बनाया, उसका साक्ष्य नहीं है आदि विषयों पर देश का हर नागरिक उद्वेलित है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि कुछ समय बाद कुछ लोग यह कहना शुरू कर देंगे कि हमारे पूर्वज थे ही नहीं, वे तो पैदा ही नहीं हुए थे, उनके पैदा होने का प्रमाण कुछ नहीं है। यदि 10 पुश्तों का पूर्व हिसाब मांगा जाए तो ये लोग यही कहेंगे कि हमारे पूर्वज पैदा हुये थे या नहीं उसका हमारे पास प्रमाण नहीं है।

वोट की राजनीति ने राष्ट्र-सम्मान को आघात पहुंचाया

भारत वर्ष ऋषि, मुनियों, सूफी संतो, पैगम्बरों तथा पुरातन मान्यताओं के अलावा श्रद्धाओं का साक्षी रहा है। देश ने कई प्रहार सहे, कई युद्ध लड़े, जीते, कई बार उत्पन्न चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। देश के भीतर जब भी समस्याएं खड़ी होती हैं तो देश के जागरूक लोग उसका हल निकालने में सफल रहते हैं। यह आज तक का इतिहास है। हमारे देश ने विदेशी ताकतों का डटकर मुकाबला किया है, चाहे वह मुगलकाल का हमला हो या ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा देश को गुलाम बनाना हो, देशभक्त ताकतों ने लम्बे समय तक संघर्ष करते हुये उस पर विजय प्राप्त की है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आन्दोलन की सफलता के बाद देश के आजाद होते ही कहा था कि जिस कांग्रेस का गठन आजादी प्राप्त करने के लिये किया गया था, उसका उद्देश्य पूरा हो गया है, इसलिए कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, अन्यथा यह कांग्रेस इस नाम का दुरुपयोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कर सकती है। उनका स्पष्ट मत था कि कांग्रेस देश के उन सभी राष्ट्रभक्तों का समूह था जिसकी आस्था किसी राजनीतिक दल के प्रति न होकर एक आजाद फौज के तौर पर थी। गांधी जी का कथन आज सच साबित हो रहा है जब देश की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस अपनी राजनैतिक स्वार्थपूर्ति के लिए महात्मा जी के कथन को उसके उल्टे अंदाज में अमल में ला रही है।

देश की सबसे बड़ी दुर्दशा आज वोट बैंक की राजनीति कर रही है। वोट प्राप्त करने के लिए समाज को तोड़ा जा रहा है। वोट प्राप्त करने के लिए देश की सीमाओं को तोड़ा जा रहा है। वोट बैंक की खातिर आस्थाओं को तोड़ा जा रहा है। वोट बैंक की खातिर मान्यताओं को तोड़ा जा रहा है। वोट बैंक की खातिर सुरक्षा को तिलांजलि दी जा रही है। सुविधानुसार देश के भीतर दो प्रकार के कानून चल रहे हैं। एक भारत के संविधान में प्रदत्त अधिकार व दूसरे शरियत कानून। सुविधानुसार कानूनों की व्याख्या की जाती है। जहां सी.आर. पी.सी. के प्रावधानों का लाभ मिल सकता है, वहां उसका पूरा लाभ उठाया जाता है, लेकिन जहां शरियत के आधार पर भारत के संविधान पर चोट की जा सकती है वहां सीधे चोट की जाती है 'वोट की खातिर राष्ट्र पर चोट'।

आज देश का युवा संस्कार विहीन होकर राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगने के स्थान पर नशा, ड्रग्स, अश्लीलता तथा व्यभिचारों की ओर आकर्षित हो रहा है। एक सर्वे के अनुसार देश का 15 वर्ष से 25 वर्ष आयु का अधिकांश युवा वर्ग नशे व ड्रग्स में अपना मानसिक सन्तुलन खोकर नशे की लत में लीन है। उसे यह नहीं सूझ रहा कि उसको आगे का मार्ग कहां ले जायेगा।

आज राष्ट्र के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्र के सम्मान को बचाने की है। राष्ट्र के सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ ताकतें देश के भीतर सक्रिय है। ये ताकतें गरीबी का लाभ उठाकर देश में धर्मान्तरण का जाल फैला कर राष्ट्र को तोड़ने में लगी है। भारत के आराधय देव राम, कृष्ण, शिव व अन्य आस्था के प्रतीकों को लोहे या धातु का बना कर डुबाने में तथा ईशु को लकड़ी का बना कर तैराने में लगे हैं तथा एक प्रगाढ़ आस्था को तोड़ने में लगे हैं। ऐसी ताकतों को देश के भीतर सत्ता पक्ष के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। ऐसे तत्व भारत वर्ष के देवी देवताओं का अनादर करना अपना मान समझते हैं। ऐसी ताकतों पर कौन रोक लगायेगा।

पिछले कुछ समय से राम पैदा नहीं हुये, कृष्ण पैदा नहीं

हुये, रामसेतु एक काल्पनिक चीज है, उसे भगवान राम की सेना ने नहीं बनाया, उसका साक्ष्य नहीं है आदि विषयों पर देश का हर नागरिक उद्वेलित है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि कुछ समय बाद कुछ लोग यह कहना शुरू कर देंगे कि हमारे पूर्वज थे ही नहीं, वे तो पैदा ही नहीं हुए थे, उनके पैदा होने का प्रमाण कुछ नहीं है। यदि 10 पुश्तों का पूर्व हिसाब मांगा जाए तो ये लोग यही कहेंगे कि हमारे पूर्वज पैदा हुये थे या नहीं उसका हमारे पास प्रमाण नहीं है।

राष्ट्र के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती संस्कारों का अभाव नजर आ रहा है। आज देश का युवा संस्कार विहीन होकर राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगने के स्थान पर नशा, ड्रग्स, अश्लीलता तथा व्यभिचारों की ओर आकर्षित हो रहा है। एक सर्वे के अनुसार देश का 15 वर्ष से 25 वर्ष आयु का अधिकांश युवा वर्ग नशे व ड्रग्स में अपना मानसिक सन्तुलन खोकर नशे की लत में लीन है। उसे यह नहीं सूझ रहा कि उसको आगे का मार्ग कहां ले जायेगा। सरकारों को उस वर्ग की चिन्ता करने की आवश्यकता है। यदि इस वर्ग का ध्यान नहीं रखा गया तो आने वाले समय में राष्ट्र निर्माण के कार्य को गति देने में प्रतिकूल असर निश्चित ही दिखाई देगा। देश के भीतर बढ़ रही बेकारी भी देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। कहावत है कि 'खाली दिमाग शैतान का घर'। बेरोजगार युवा को सही मार्ग नहीं दिखाया गया तो आने वाले समय में अपने देश में अपनों से ही चुनौती मिल सकती है।

आज देश के भीतर जो माहौल देखने को मिल रहा है वह बहुत ही चिंताजनक है। इस प्रकार की परिस्थिति में

आज क्षेत्रवाद, जातिवाद, इलाकावाद, आतंकवाद, नक्सलवाद सिर उठा-उठा कर देश के शासकदल को चुनौती दे रहा है लेकिन दुर्भाग्य है कि देश का शासक दल इन चुनौतियों का मुकाबला करने के बजाये आत्म समर्पण करता जा रहा है। इसके फलस्वरूप देश का स्वाभिमान टूट रहा है। आस्थायें बिखर रही हैं, विश्वास डगमगा रहा है।

भविष्य के लिए कोई शुभ संकेत भी नहीं दिखता। देश की सत्तासीन पार्टी वोट बैंक की खातिर सारी मर्यादाओं को दांव पर लगा रही है। मुस्लिम, ईसाई, तुष्टीकरण ने देश के जनमानस को अन्दर से झकझोर कर रख दिया है। भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ाई लड़ने के लिए कुछ समाज सेवक बाहर निकलते हैं लेकिन सत्ता के डंडे से उनको पीट कर जख्मी कर घर बिठा दिया जाता है। देश के शासक दल का तानाशाही रवैया भविष्य के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। आज क्षेत्रवाद, जातिवाद, इलाकावाद, आतंकवाद, नक्सलवाद सिर उठा-उठा कर देश के शासकदल को चुनौती दे रहा है लेकिन दुर्भाग्य है कि देश का शासक दल इन चुनौतियों का मुकाबला करने के बजाये आत्म समर्पण करता जा रहा है। इसके फलस्वरूप देश का स्वाभिमान टूट रहा है। आस्थायें बिखर रही है, विश्वास डगमगा रहा है। आवश्यकता है देश में एक ऐसे संगठन की जो राष्ट्र स्वाभिमान को जीवित रखने के लिए बलिदान की बेदी को चूमने को तैयार रहे। ❑

(लेखक मोनाल टाईम्स के प्रधान सम्पादक हैं)

भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन

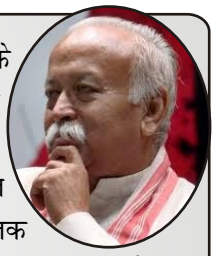

भ्रष्टाचार का विषय सिर्फ पैसे के घपले से सम्बंधित नहीं है। जांच से स्पष्ट हुआ है कि लगभग सभी बड़े मामलों में भ्रष्टाचारियों भ्रष्टाचारियों की धन की व्यवस्था में विदेशी गुप्तचर एजेंसियां अथवा अपराधिक गुट जुड़े हुए हैं।

संघ के स्ववंयसेवक भ्रष्टाचार के विरोध में चलने वाले सभी आन्दोलनों में सम्मान अथवा श्रेय की अपेक्षा छोड़कर स्वभावत: लगे ही हैं। परन्तु यह सभी को ध्यान में रखना होगा कि **केवल कानून से भ्रष्टाचार की समस्या समाप्त होने वाली नहीं है। भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देने वाली व्यवस्थाओं में भी आधारभूत परिवर्तन लाने होंगे।** सही जनप्रतिनिधित्व सामने लाने वाली धनबन से मुक्त चुनाव प्रणाली, बाजारीकरण से मुक्त संस्कारप्रद शिक्षा, सहन करने लायक सहज कर प्रणाली के लिये मुहिम के तौर पर जुटना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात समाज में सामाजिक दायित्व बोध, विशुद्ध चरित्र, सेवा व परोपकार के मूल्यों का संवर्धन आदि के संस्कार स्थापित करने होंगे। इसके बिना भ्रष्टाचार निर्मूलन असम्भव है। इस जड़ से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य पर केन्द्रित होकर संघ कार्य कर रहा है।❑

डॉ. दयानन्द शर्मा

राजनीति ने कूटनीति का रूपधारण कर लिया है। राजनेता अब जनसेवक कहां? वे आम जनता की पहुंच से बहुत दूर हैं। वे अब राजा से भी बढ़कर अपने आपको धरती के देवता समझने लगे हैं। भगवद्गीता में लिखा है कि जब मनुष्य अपने आपको धरती पर देवता समझने लगता है तो वह अपने मूल से सम्बंध विच्छेद कर लेता है और इस प्रकार अज्ञान द्वारा पथभ्रष्ट हो जाता है तब उसमें एक शैतानी विकृति या अहंकार उत्पन्न हो जाता है। वही अहंकार आज के अधिकांश राजनेताओं में कूट-कूट कर भरा है। आम जनता उनके लिये भेड़ बकरियों के समान हैं जिधर चाहा उधर हांक दिया।

व्यवस्था परिवर्तन : एक बड़ी चुनौती

प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक विशेष जीवन पद्धति अथवा शैली होती है। हर राष्ट्र के अतीत और वर्तमान में एक ऐसा प्रधान स्वर निरंतर गूंजता रहता है जो उस राष्ट्र को सांस्कृतिक एवं राजनीतिक चेतना प्रदान करता है। जहां दूसरे राष्ट्रों की संस्कृतियां प्राय: भौतिकवादी, भोग प्रधान और बहिर्मुखी रही है वहीं हमारी भारतीय संस्कृति मूलत: शाश्वत तत्त्वज्ञान पर आधारित रही है। यहां वाह्य औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए अन्तर्वृत्तियों के उत्कर्ष पर जोर दिया गया है, साथ ही नैतिक-आचरण एवं जीवनमूल्यों के प्रति सर्वदा दृढ़ आस्था रही है। प्राचीन काल से ही हमारे सनातन धर्म ने परिस्थिति एवं काल के अनुरूप लोक कल्याण हेतु नवचिंतन एवं विचारों को अपने में समेटते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है और वर्तमान में भी अपनी सहिष्णुता एवं उदारता का परिचय देते हुए स्वतंत्र भारत के प्रजातंत्र में बहुसंख्यक समाज को आस्थावान् बनाए रखा है।

भारत की यह विश्व वरणीय सांस्कृतिक परम्परा प्रत्येक भारतवासी का स्वाभिमान जगाती है तथा राजनीति और तमाम सामाजिक-आर्थिक विषमताओं से त्रस्त भारत के मन को अतीत के शिखर आदर्शों से जोड़ती है। धीरज भी देती है किंचित उत्साह भी।

भारत की यह विश्व वरणीय सांस्कृतिक परम्परा प्रत्येक भारतवासी का स्वाभिमान जगाती है तथा राजनीति और तमाम सामाजिक-आर्थिक विषमताओं से त्रस्त भारत के मन को अतीत के शिखर आदर्शों से जोड़ती है। धीरज भी देती है किंचित उत्साह भी। यह वही गौरवशाली धन्य-धरा है जिस पर हरिश्चन्द्र जैसे सत्यवक्ता, युधिष्ठर जैसे धर्मनिष्ठ और साक्षात् मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हुए। उपनिषद् काल के एक राजा अश्वपति का गर्वोद्गार तो देखिये–

न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यप:।
नानाहिताग्निर्नाविद्वान् न स्वैरी स्वैरिणी कुत:॥

छान्दोग्योपनिषद् 5.11.5

अर्थात् मेरे राष्ट्र में कोई चोर, कृपण, मद्यपायी, दैनिक साधना न करने वाला, मूर्ख और स्वेच्छाचारी व्यक्ति निवास नहीं करता। फिर स्वेच्छाचरण करने वाली स्त्री तो भला कैसे हो सकती है?चन्द्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल में ग्रीस के राजदूत मैगस्थनीज ने पाटलीपुत्र आकर यहां की राज्य व्यवस्था देख कर अपनी पुस्तक में लिखा है कि 'आश्चर्य है! भारत में अपने घरों में ताला-कुंजी लगाने की प्रथा नहीं है। रात्रि के समय भी वहां कोई अपने मकानों में ताला नहीं लगाता। यद्यपि उनका ज्ञान और वैभव गौरवशाली है, फिर भी छोटे से छोटे वर्ग में कूट-कूट कर ईमानदारी भरी पड़ी है। अन्य इतिहासकार स्ट्राबो ने कहा– सच में भारतीय इतने सच्चे हैं कि उन्हें अपने लेन-देन और व्यवहारों में लिखत-पढ़त नहीं करनी पड़ती। भारत के लिये राजधर्म सत्तासुख का पर्याय कदापि न था। राजा शिवि जैसे शरणागत वत्सल, एक पक्षी की प्राण रक्षा हेतु अपनी बोटी-बोटी कटवा लेते हैं। मोरध्वज जैसे नरेश अतिथि सत्कार के लिये पुत्र-बलि देने में भी नहीं हिचकते। एक ब्राह्मण पुत्रकी रक्षा हेतु कुन्ती माता अपने राजपुत्रों को काल-मुख में प्रवेश करने के लिये प्रोत्साहित करती है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां राजकुमार अपने शाही महलों को ठोकर मार कर साधना के कंटकाकीर्ण पथ पर चल पड़ते हैं। सिद्धार्थ (महात्मा बुद्ध), वर्धमान, भर्तृहरि आदि इसी मणिका के उज्ज्वल मोती हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में राजधर्म की समुचित व्याख्या की गई है जिसका एक श्लोक यहां उद्धृत

है– **'प्रजाकार्यं तु तत्कार्यं, प्रजा सौख्यं तु तत् सुखम्। प्रजाप्रियं प्रियं तस्य, स्वहितं तु प्रजाहितम्। प्रजार्थं तस्य सर्वस्वमात्मार्थं न विधीयते।।** महा. अनु.अ. -145'

अर्थात् प्रजाका कार्य ही राजा का कार्य है, प्रजा का सुख ही उसका सुख है, प्रजा का प्रिय ही उसका प्रिय है तथा प्रजा के हित में ही उसका अपना हित है, प्रजा के हित के लिये ही उसका सर्वस्व है। इस प्रकार की राजनीति एवं राजधर्म की परम्परा रही है भारत में। ऐसे भी बहुत से उदाहरण है जहां अयोग्य एवं चरित्रहीन राजा को अपदस्थ कर राजवंश से बाहर के व्यक्ति को राजगुरु और प्रबुद्ध अमात्य संस्था द्वारा राजगद्दी पर बिठाया गया। भारतीय इतिहास बताता है कि राजसत्ता पर हमेशा धर्म का अंकुश रहता था। इसलिये सत्तासीन रहते हुए भी राजा अपनी निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता का दुरुपयोग अपनी प्रजा पर नहीं कर सकता था।

आज सत्ता में राजनेता प्रशासक, कार्पोरेट जगत और मीडिया का ऐसा घाल-मेल है जिससे आम जनता परिचित नहीं। जो कुछ ये चाहते हैं वही आज इस देश में हो रहा है। देश की अर्थगत अथवा अन्य नीतियों का निर्णय यही लोग करते हैं। इनके वाक्जाल अथवा माया जाल में पूरा देश भ्रमित है। रही-सही कसर विश्व की महाशक्तियां पूरी करती हैं जिनके इशारे पर आर्थिक, सांस्कृतिक एवं विदेशनीति पर निरंतर प्रभाव पड़ता दिखाई देता है।

वर्तमान में स्वतंत्र भारत में नई लोकतंत्रात्मक प्रणाली है जिसे विश्व की श्रेष्ठतम शासन प्रणाली कहा जाता है। जहां आम जनता अपने प्रतिनिधि का चयन करती है। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से सरकार बनती है। राजनेता सर्वदलीय प्रणाली से अथवा निर्दलीय रूप में चुनाव पद्धति से चयनित होते हैं। अत: लोकतंत्र में मतदाता और मत (वोट) सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि आज राष्ट्रहित में न मतदाता अपने महत्त्व को आंक पाया है और न ही अपने मत का सदुपयोग कर पाया है। सत्ताप्राप्ति की होड़ में राष्ट्रीय दलों ने अपने मूल सिद्धांतों का परित्याग कर केवल वोट की राजनीति पर चलना प्रारम्भ कर दिया है। केन्द्रीय सत्ता में रहने के लिये उनके पास विपक्ष की आलोचना के अतिरिक्त कोई ऐसा कारगर हथियार नहीं जिससे वह राष्ट्र के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का मुकाबला कर सके। धर्म, सम्प्रदाय, जाति, भाषा, क्षेत्र एवं आरक्षण के नाम पर भारतीयों को इन राजनेताओं द्वारा उत्तरोत्तर विभाजित किया जा रहा है। रही-सही कसर क्षेत्रीय दल पूर्ण कर रहे हैं जो अपने-अपने राज्य के लोगों की क्षेत्रीय भावनाओं को भड़का कर अपना स्वार्थसिद्ध कर रहे हैं। अपने राज्य में तो राज कर ही रहे हैं किन्तु केन्द्रीय सत्ता में गठबंधन सरकार का हिस्सा बन कर राष्ट्रहित को अनदेखा कर केवल अपने और अपने राज्य के हित में ही नीतिगत निर्णयों का समर्थन करते हैं। राजनीति ने कूटनीति का रूपधारण कर लिया है। राजनेता अब जनसेवक कहां? वे आम जनता की पहुंच से बहुत दूर हैं। वे अब राजा से भी बढ़कर अपने आपको धरती के देवता समझने लगे हैं। भगवद्गीता में लिखा है कि जब मनुष्य अपने आपको धरती पर देवता समझने लगता है तो वह अपने मूल से सम्बंध विच्छेद कर लेता है और इस प्रकार अज्ञान द्वारा पथभ्रष्ट हो जाता है तब उसमें एक शैतानी विकृति या अहंकार उत्पन्न हो जाता है। वही अहंकार आज के अधिकांश राजनेताओं में कूट-कूट कर भरा है। आम जनता उनके लिये भेड़ बकरियों के समान हैं जिधर चाहा उधर हांक दिया। धर्म निरपेक्ष देश में उन पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं। धर्म परक मूल्यों पर उनका विश्वास नहीं। शास्त्र कहते हैं– **'धर्मएव हतोहंति, धर्मोरक्षति रक्षित:। तस्माद् धर्मो न हन्तव्य: पार्थिवेन विशेषत:।'** क्योंकि धर्म ही यदि उसका हनन किया जाए तो मारता है और धर्म ही सुरक्षित होने पर रक्षा करता है, अत: प्रत्येक मनुष्य विशेषत: सत्ताधारी को धर्म का हनन नहीं करना चाहिये। अब तो राजनीति व्यवसाय बन चुकी है। राजसत्ता हेतु धन बल भुजबल का सर्वाधिक प्रयोग हो रहा है। इसीलिये निरंतर नए-नए घोटाले उजागर हो रहे हैं। कमोबेश छुटभैय्ये नेताओं प्रशासनिक अधिकारियों, सर्वकारीय कर्मियों एवं प्रभावशाली लोगों की भी यही स्थिति है। उक्ति है कि **यथा राजास्तथा प्रजा:**। देश की यही शोचनीय स्थिति है। इससे कैसे राष्ट्र उभरे यह चिंतन करना आवश्यक है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन हो, यह अत्यावश्यक हो गया है। सर्वदलीय प्रणाली में अनेक क्षेत्रीय दल उभरकर सामने आ गए हैं जिनके कारण केन्द्रीय अथवा राष्ट्रीय दलों का प्रभाव निरंतर घटता जा रहा है साथ ही अपनी दोषपूर्ण नीतियों एवं अकर्मण्यताओं के कारण भी वे अशक्त होते जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि राष्ट्रीय दल अपने मूल सिद्धांतों से न भटके।

बहुमत के आधार पर केन्द्र में केवल उन्हीं की सरकार हो, क्षेत्रीय दलों को संख्या प्रतिशत अथवा औसत के आधार पर केन्द्रीय सत्ता में भागीदारी उपलब्ध हो। ऐसा किये जाने पर 'ब्लैक मेलिंग' नहीं होगी और न ही राष्ट्रहित में लिये जाने वाले निर्णय प्रभावित होंगे।

मतदान सब मतदाताओं के लिये अनिवार्य हो ऐसी व्यवस्था करना आज आवश्यक हो गया है। सभी जानते हैं कि औसतन 50 प्रतिशत के आसपास ही मतदान होता है उनमें भी 25 प्रतिशत वोट डलवाए जाते हैं। शेष बचे 25 प्रतिशत वोटों में भी 15 प्रतिशत मतदाता वे होते हैं जो किसी न किसी स्वार्थ से अथवा वैचारिक रूप से दल विशेष से जुड़े होते हैं। केवल 10 प्रतिशत लोग ही सम्भवत: स्वविवेक का उपयोग कर अपने मत का प्रयोग करते हैं। यदि शत प्रतिशत मतदान होगा तो निश्चिय से बुद्धिजीवी मतदाता वर्ग बढ़ेगा जो अपने विवेक से सही प्रतिनिधि का चयन करेगा।

हमारी चुनाव पद्धति दोषपूर्ण हो चुकी है। अतएव चुनाव आयोग को पूर्णत: स्वायतता मिले। चुनाव आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन हो। चुनाव प्रचार के लिये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में 'धन' का प्रयोग पूर्णतया वर्जित हो क्योंकि यह धनराशि ही कहीं न कहीं आगे चलकर जनप्रतिनिधि को अपने कर्त्तव्य से च्युत करती है। अतएव आज के इस सूचना, प्रसारण एवं संचार माध्यम के युग में चुनाव के समय दलों एवं राजनेताओं द्वारा की जाने वाली बड़ी जनसभाओं का आयोजन न हो केवल संचार माध्यमों का उपयोग कर व्यक्तिश: ही चुनाव प्रचार हो। बड़े-बड़े राजनेता रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि का प्रयोग कर आम जनता को अपने अथवा अपने दल के विचारों एवं नीतियों से अवगत करा सकते हैं। विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार केवल अपने वाहन में गांव-गांव जाकर प्रचार कर सकते हैं। बड़ी जनसभाएं होती नहीं करायी जाती हैं, जिनके आयोजन में वे प्रभावशाली एवं धनी लोग लाखों खर्च करते हैं जो सरकार बनने पर अपना पैसा सूद सहित वसूल करना जानते हैं। भ्रष्टाचार यहीं से पनपता है, जनप्रतिनिधियों की आम जनता से बेरुखी यहीं से प्रारम्भ होती है। अतएव चुनाव में धन की भूमिका नगण्य हो ऐसे प्रयास किये जाने चाहिये। समान नागरिक संहिता लागू हो। किसी भी धर्म सम्प्रदाय अथवा जाति को आधार न मानकर केवल आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर ही अतिरिक्त लाभ अथवा आरक्षण की व्यवस्था हो तभी समान रूप से देश का विकास हो सकता है।

आज सत्ता में राजनेता प्रशासक, कार्पोरेट जगत और मीडिया का ऐसा घाल-मेल है जिससे आम जनता परिचित नहीं जो कुछ ये चाहते हैं वही आज इस देश में हो रहा है। देश की अर्थगत अथवा अन्य नीतियों का निर्णय यही लोग करते हैं। इनके वाक्जाल अथवा माया जाल में पूरा देश भ्रमित है। रही-सही कसर विश्व की महाशक्तियां पूरी करती हैं जिनके इशारे पर आर्थिक, सांस्कृतिक एवं विदेशनीति पर निरंतर प्रभाव पड़ता दिखाई देता है। इसलिये लोकतंत्र के स्थिर स्तम्भ न्यायालय की आज प्रमुख भूमिका है वह निष्पक्ष व सशक्त हो उसमें त्वरित निर्णय लेने की क्षमता बढ़े ऐसे प्रयास हों। लोकपाल, लोकायुक्त की व्यवस्था हो, निष्पक्ष एवं स्वायत जांच एजेंसियां हों, तभी जनप्रतिनिधियों तथा अन्य प्रभावी वर्गों की पारदर्शिता उभर कर सामने आएगी।

इन सब प्रकार की उत्पन्न परिस्थितियों के लिये हम सब उत्तरदायी हैं। कारण यही है कि हम सब मतदाता जागरूक नहीं। हम सब में राष्ट्रीय भाव कहीं लुप्त हो गया है। यदि राष्ट्र सबल होगा तभी हम सबल होंगे। हम एक होंगे राष्ट्र एक होगा। हमें जागरूक होना होगा। उन्हीं के हाथों में देश की सत्ता सौंपनी होगी जिनके लिये राष्ट्रहित सर्वोपरि हो। जय भारत।❑

With best compliments from

WINSOME

Textile Industries Ltd.
sco#191-192, Sector 34-A,
Chandigarh - 160022 (INDIA)

Tel: +91-0172-2603966,
4612000, 4613000
Fax: +91-0172-4614000
website: www.winsomegroup.com

मीनाक्षी सूद

देश की सुरक्षा अत्यंत संवेदनशील विषय है। देश को खबरदार रहकर एकजुटता से आगे आना है तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। 1962 में हुए चीनी आक्रमण और उसके द्वारा धोखे से हथियाई गई हजारों वर्ग किलोमीटर भूमि और अब फिर से अरुणाचल प्रदेश में उसकी घुसपैठ देश के स्वाभिमान पर कुठाराघात है। चीनी खिलौनों और सस्ती इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक वस्तुओं ने भारतीय बाजार में अच्छी खासी पहचान बना ली है। इन सब खतरों को सरकार गम्भीरता से ले।

अवैध घुसपैठ

भारतवर्ष की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीन तरफ से घुसपैठ जारी है। चीन हमारा पड़ोसी है, दोनों देश एशिया के बड़े देश हैं। दोनों देशों को परस्पर मित्रवत् और पंचशील के सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार करना चाहिये। लेकिन चीन की दोगली नीति के कारण आज यह देश हमारे देश की सुरक्षा के लिये सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। भारत की सीमा की घेराबंदी कर रखी है। तिब्बत ही नहीं नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, वर्मा और लद्दाख तक अपनी सीमाओं को बढ़ाने की ताक में है। देश की सुरक्षा अत्यंत संवेदनशील विषय है। देश को खबरदार रहकर एकजुटता से आगे आना है तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। 1962 में हुए चीनी आक्रमण और उसके द्वारा धोखे से हथियाई गई हजारों वर्ग किलोमीटर भूमि और अब फिर से अरुणाचल प्रदेश में अपनी घुसपैठ देश के स्वाभिमान पर कुठाराघात है। चीनी खिलौनों और सस्ती इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक वस्तुओं ने भारतीय बाजार में अच्छी खासी पहचान बना ली है। इन सब खतरों को सरकार गम्भीरता से ले।

बंग्लादेशी घुसपैठिये बंग्लोदश की मदद से अलग मुस्लिम देश का षड्यंत्र कर रहे हैं। इन घुसपैठियों को निकालने की आवश्यकता है। भारत के विभाजन की पहली कल्पना थी– बंगाल का विभाजन। जिसने पहले बंगाल का विभाजन करके बताया कि हिन्दुस्तान के अंदर एक हिन्दू बंगाल है और एक मुस्लिम बंगाल। मगर उस बंगाल के बुद्धिजीवियों और विशेषत: वीर सावरकर के अथक प्रयासों का ही परिणाम था कि 1911 में लॉर्ड मिंटो को बंगाल का विभाजन वापिस लेना पड़ा था।

'देश' दुनिया के अन्दर प्रकृति के द्वारा दी गई एक इकाई है जिसकी सीमाएं होती हैं जिसकी राष्ट्रीयता होती है, जिसकी पहचान होती है। घूम फिर कर पाकिस्तान उत्तर में जाए, दक्षिण में जाए, पूर्व में जाए, सब तरफ भारत ही दिखता है। पाकिस्तान की कोई सीमा नहीं है। जो प्राकृतिक नहीं है, भला वह कैसे टिकेगा। कश्मीर की समस्या व घुसपैठ का आधार मजहबी कट्टरवाद और सीमा पार की आतंकवादी गतिविधियां हैं। देश का नंदन वन कहलाने वाली कश्मीर घाटी आज पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की आग में जल रहा है। इन अलगाववादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाकर इनके नेताओं पर देशद्रोह के मुकद्दमे चलाने चाहिये। कश्मीर में अपने घरों से उजाड़े गए चार लाख से ज्यादा हिन्दुओं की घर वापसी सुनिश्चित हो। देश की समृद्धि से पहले सुरक्षा ज्यादा आवश्यक है। ❑

'देश' दुनिया के अन्दर प्रकृति के द्वारा दी गई एक इकाई है जिसकी सीमाएं होती हैं जिसकी राष्ट्रीयता होती है, जिसकी पहचान होती है। घूम फिर कर पाकिस्तान उत्तर में जाए, दक्षिण में जाए, पूर्व में जाए, सब तरफ भारत ही दिखता है। पाकिस्तान की कोई सीमा नहीं है। जो प्राकृतिक नहीं है, भला वह कैसे टिकेगा।

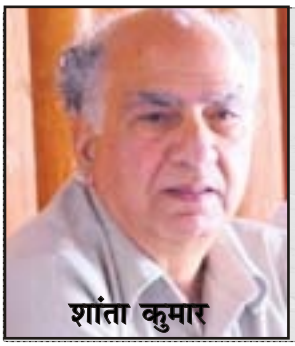

शांता कुमार

देश में हो रहे विकास के अनुपात में गरीबी बहुत कम घट रही है। 110 करोड़ लोगों के इस देश में 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो केवल बीस रुपये प्रतिदिन की कमाई पर अपनी जिन्दगी बसर कर रहे हैं जबकि देश के रहनुमा आम आदमी के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिये किये गए कार्यों का लम्बा-चौड़ा बखान करते हुए थकते नहीं। देश की आधे से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। हैरानी तो इस बात की है कि देश की विभिन्न सरकारों के अनथक प्रयास के बावजूद गरीबी, भुखमरी और पिछड़ापन निरंतर बढ़ते जा रहे हैं।

विदेशों में जमा काले धन की वापसी से हो सकता है देश का कायाकल्प

वाशिंगटन की वित्त विश्वसनीयता पर सर्वेक्षण करने वाली प्रसिद्ध संस्था ग्लोबल फायनांसियल इंटेंग्रिटी ने भारत से अवैध धन के विदेश प्रवाह के विषय में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पिछले आठ वर्षों में भारत से पांच लाख करोड़ रुपये विदेशी बैंकों के गुप्त खातों में जमा कराया गया। संस्था के कनिष्ठ अर्थशास्त्री कार्ली कुरसियो ने अपनी रिपोर्ट में कहा है यह धन भ्रष्टाचार से अर्जित होता है और कर-चोरी द्वारा इकट्ठा किया होता है।

इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में सम्पन्नता बढ़ रही है परन्तु बहुत सा धन विदेशों में चला जाने के कारण यह धन विकास में नहीं लग रहा। इसलिये गरीबी, भुखमरी, पिछड़ापन और अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अब गरीब के लिये गरीबी मानव-जनित कारण नहीं अपितु नियति बनकर रह गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में हो रहे विकास के अनुपात में गरीबी बहुत कम घट रही है। 110 करोड़ लोगों के इस देश में 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो केवल बीस रुपये प्रतिदिन की कमाई पर अपनी जिन्दगी बसर कर रहे हैं जबकि देश के रहनुमा आम आदमी के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिये किये गए कार्यों का लम्बा-चौड़ा बखान करते हुए थकते नहीं। देश की आधे से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। हैरानी तो इस बात की है कि देश की विभिन्न सरकारों के अनथक प्रयास के बावजूद गरीबी, भूखमरी और पिछड़ापन निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा कौन-सा कारण है जिसकी वजह से गरीबी उन्मूलन के छह दशकों से किये जाने वाले प्रयासों पर निरंतर पानी फिरता जा रहा है, इस मुद्दे को देश के अर्थशास्त्री निरंतर खंगालते रहते हैं। इतिहास गवाह है भारत कई बार लुटा। चंगेज, हिलाकू, गजनवी, गौरी जैसे विदेशी लुटेरे भारत के मंदिरों तक को भी लूटते रहे। उनकी लूट की कहानियां आज भी दिल दहला देती हैं। पर आज की लूट उससे कई गुना अधिक है और यह लूट विदेशी लुटेरे नहीं कर रहे, अपने ही देश के पढ़े-लिखे, सम्भ्रांत नेता अधिकारी व उद्योगपति कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि विदेशी लुटेरों ने भारत को उतनी निर्दयता से नहीं लूटा था जितनी निर्दयता से अपने लुटेरे लूट रहे हैं। विश्व की बहुत सी संस्थाओं ने देश से इस लूट का हिसाब लगाने की कोशिश की है जिसे पढ़ कर दिल दहल जाता है। विश्व की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिये गठित 33 देशों की संस्था आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (आईसीडी) के अनुसार विकासशील देशों का 600 लाख करोड़ रुपया विदेशों में जमा है। टैक्स जस्टिस नेटवर्क के अनुसार भारत का एक लाख करोड़ रुपया विदेशी बैंकों में जमा है। भारतीय अर्थ विशेषज्ञ अरुण कुमार ने अपनी पुस्तक दी ब्लैक इकोनॉमी इन इंडिया में लिखा है कि भारत का पांच लाख करोड़ रुपया विदेशी गुप्त खातों में जमा है।

स्विस बैंकर्स एसोसिएशन की वर्ष 2006 की रिपोर्ट के

अनुसार भारत, रूस, ब्रिटेन, यूक्रेन व चीन पांच देशों का स्विस बैंक में 2512 मिलियन डॉलर जमा है जिसमें से भारत की 1456 बिलियन डॉलर राशि है। यह राशि बाकी चार देशों की कुल राशि को मिलाकर सबसे अधिक है। जर्मन सरकार ने अधिकारिक तौर पर मई 2008 में भारत सरकार को पत्र लिखकर सूचित किया था कि स्विस बैंक में जमा 70 लाख करोड़ रुपये का ब्यौरा जर्मन सरकार भारत को सौंप सकती है। भारत से प्रतिवर्ष 80 हजार लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं इनमें से 25 हजार लोग ऐसे हैं जो बार-बार स्विट्जरलैंड का दौरा करते हैं। जाहिर है ये लोग केवल स्विस बैंक में काले धन के अपने खाते की देखभाल के लिये स्विट्जरलैंड जाते हैं।

हरियाणा के भूतपूर्व पुलिस महानिदेशक बीआर लाल जो सीबीआई के पूर्व संयुक्त निदेशक भी रहे हैं ने अपनी पुस्तक 'हू केयर्स सीबीआई : वी मेकड् ट्रूथ' में लिखा है कि भारतीयों के स्विस खातों में 5 लाख करोड़ रुपये जमा है। स्विट्जरलैंड विश्व में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर दूसरे नम्बर पर है। यह सब भारत के बेईमान लोगों द्वारा जमा कराए गए धन के कारण है। बेईमानी की पराकाष्ठा का एक उदाहरण हसन अली द्वारा टैक्स चोरी और स्विस बैंक में जमा कराए गए काले धन का ब्यौरा है। पुणे के घोड़ा फार्म के मालिक हसन अली के स्विस बेंक में 10 खातों का पता लगा है। भारत सरकार के अनुसार हसन अली पर 31 मार्च, 2009 तक 50 हजार 345 करोड़ रुपये आयकर की देनदारी है। हसन अली के घर पर छापा मारने पर पता चला कि केवल एक स्विस खाते में एक लाख करोड़ जमा है। उसे गिरफ्तार किया गया, जांच चली आयकर ने नोटिस भी दिया। तभी महाराष्ट्र विधानसभा में एक सीडी दिखाई गई जिसमें हसन अली देश के बड़े नेताओं से सौदेबाजी की बातें कर रहा है। अब हसन अली का मामला पूरी तरह दबा दिया गया।

हसन अली मामले में सरकार ने जिस तरह चुप्पी साध रखी है वह संदेहास्पद है। 110 करोड़ लोगों में अगर एक हजार हसन अली भी हुए तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत का कितना पैसा जमा होगा। भारत सरकार के पूर्व कैबिनेट सचिव श्री बी. रमण जो वर्तमान में इंस्ट्टीयूशनल ऑफ ट्रॉपिकल स्टडिज के निदेशक हैं, ने रहस्योद्घाटन किया है कि वर्ष 1994 तक स्विस सरकार भारतीयों के खातों में कितना धन जमा है, इसकी सूचना भारत सरकार को देती रही है लेकिन नामों की जानकारी नहीं देती थी। फोर्ड फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2002-2006 तक 136 लाख करोड़ रुपये स्विस बैंकों में जमा है। विश्व में 69 ऐसे देश हैं जो 'टैक्स-स्वर्ग' के नाम से जाने जाते हैं। यहां जमा धन पर टैक्स की छूट होती है, टैक्स नहीं लगता है। मात्र स्विस बैंकों में 70 लाख करोड़ रुपये जमा है तो अन्य 69 देशों के बैंकों में कितना पैसा जमा हो सकता है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।

अर्थशास्त्रियों का मत है यदि केवल स्विस बैंक में जमा 70 लाख करोड़ रुपये भारत वापिस लाए जाएं तो इस राशि से देश का विदेशी ऋण 13 बार चुकता किया जा सकता है। विदेशों में जमा अकूत काले धन से देश के 45 करोड़ गरीब परिवारों को एक लाख रुपये प्रति परिवार दिया जा सकता है। इतना ही नहीं 70 लाख करोड़ रुपये के मात्र ब्याज से केन्द्र का वार्षिक बजट संचालित किया जा सकता है और बिना किसी टैक्स के देश का प्रत्येक नागरिक आरामदेह जिन्दगी बसर कर सकता है। देश के हितों को ताक पर रख कर निजी हितों की पूर्ति देशद्रोह है। भारत से यह पैसा स्विस बैंक में कैसे पहुंचा और इस धन का स्रोत क्या है?यह प्रश्न विचारणीय है। पिछले साठ बरसों में हमारे देश में भ्रष्टाचार की जो महामारी फैली है इसने देश को खोखला करके रख दिया है। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां भ्रष्टाचार ने पांव न पसारे हा। रोजमर्रा की जिन्दगी में शायद ही कोई ऐसा काम होगा जो बिना रिश्वत के पूरा होता हो। बेईमान अफसरों ने राजनीतिज्ञों के साथ मिलकर विकास के हर काम में चांदी कूटी और इस तरह इकट्ठा किया अवैध धन स्विस बैंक में जमा करवाते रहे। स्विस सरकार की विदेश मंत्री मिशेलीन कैमी रे के अनुसार स्विस बैंकों में भारत का 1.4 लाख करोड़ रुपये काला धन जमा पड़ा है। प्रसिद्ध अधिवक्ता एवं सांसद रामजेठमलानी का तो **(शेष पृष्ठ 49 पर)**

अर्थशास्त्रियों का मत है यदि केवल स्विस बैंक में जमा 70 लाख करोड़ रुपये भारत वापिस लाए जाएं तो इस राशि से देश का विदेशी ऋण 13 बार चुकता किया जा सकता है। विदेशों में जमा अकूत काले धन से देश के 45 करोड़ गरीब परिवारों को एक लाख रुपये प्रति परिवार दिया जा सकता है। इतना ही नहीं 70 लाख करोड़ रुपये के मात्र ब्याज से केन्द्र का वार्षिक बजट संचालित किया जा सकता है और बिना किसी टैक्स के देश का प्रत्येक नागरिक आरामदेह जिन्दगी बसर कर सकता है।

चुनावों में काले धन का फंड के रूप में प्रयोग राजनैतिक भ्रष्टाचार का कारण है। अत: चुनावों में सीमित खर्च का राज्य द्वारा प्रावधान करना चाहिए। राजनैतिक दलों के खातों का हिसाब, निरंतर ऑडिट व आयकर रिर्टन को आवश्यक करना व आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को चुनाव न लड़ने देने का कड़ा कानून बनना चाहिए। सुशासन के लिए रीढ़ की हड्डी मानी जाने वाली नौकरशाही को और ज्यादा उत्तरदायित्वपूर्ण, जनता के प्रति जवाबदेह व नीतिवान व पारदर्शितापूर्ण कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध करना आवश्यक है।

राष्ट्र के विकास में अत्यंत बाधक है भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार एक सामाजिक बुराई है। वर्तमान समय में भ्रष्टाचार एक ऐसा शब्द बन चुका है जिससे समाज में न केवल व्यस्क व्यक्ति ही अपितु छोटे बच्चे भी परिचित हो चुके हैं। यद्यपि भ्रष्टाचार की व्याख्या पहले केवल घूसखोरी तक ही सीमित रखी जाती थी परंतु वर्तमान संदर्भ में यह व्याख्या अपने चलने के स्तर या पैरों तक सीमित अर्थात् घूसखोरी तक ही न रह कर अपने पंख फैलाकर उड़ने के स्तर अर्थात् पद एवं सत्ता के दुरुपयोग तथा सामाजिक सद्व्यवहार एवं नीतियों के पतन व भ्रष्ट आचरण तक पहुंच गई है। भारतवर्ष में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् गत दो दशकों में भ्रष्टाचार में यकायक ही तीव्र गति से वृद्धि हुई है। भ्रष्टाचार रूपी नदी समाज के ऊपरी स्तरों से निचले स्तर तक अविरल एवं द्रुत गति से आगे बढ़ती जा रही है। जिसके परिणामस्वरूप भारतवर्ष विश्व के तीन सर्वाधिक भ्रष्ट देशों की सूची में स्थान पा चुका है।

बड़े स्तर के नेता व नौकरशाह बड़े-बड़े घोटालों में संलिप्त हैं तो छोटे स्तर के कर्मचारी भी घूसखोरी में पीछे नहीं हैं। रक्षा सौदों में घोटाले, खाद्य सामग्री में घोटाले, ठेकों के आबंटनों में घोटाले, शेयर मार्केट के घोटाले, चारा घोटाले, प्लॉट आबंटन में घोटाले, भर्तियों में घोटाले आज शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जो कि भ्रटाचार की आंधी की चपेट में न आया होगा

'भ्रष्टाचार' रूपी कैंसर सामाजिक जीवन, राजनीति, नौकरशाही, संस्कारों, व्यापार, उद्योग, सरकारी कार्यालयों, सरकारी भर्तियों और यहां तक की स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे अस्पतालों तक में भी बुरी तरह से फैल चुका है। जहां कुछ समय पहले केवल गलत कार्य करवाने के लिए भ्रष्ट तरीके अपनाए जाते थे, वहीं अब स्थिति इतनी भयंकर हो चुकी है कि प्राय: सही कार्य करवाने के लिए भी भ्रष्ट तरीकों का बोलबाला होने लगा है। अब जनता प्रतिदिन ही घूसखोरी और घोटालों सम्बंधी समाचार पढ़ने की आदी हो चुकी है। भ्रष्ट तरीके हमारी दिन प्रतिदिन की आदतों जैसे हो चुके हैं तथा प्राय: यही कहा जाता है कि भ्रष्ट तरीकों के बिना हम न तो अस्तित्व में रहेंगे और न ही क्रियाशील रहेंगे तथा अब स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है जिस का सुधरना अत्यधिक कठिन प्रतीत हो रहा है।

बड़े स्तर के नेता व नौकरशाह बड़े-बड़े घोटालों में संलिप्त हैं तो छोटे स्तर के कर्मचारी भी घूसखोरी में पीछे नहीं हैं। रक्षा सौदों में घोटाले, खाद्य सामग्री में घोटाले, ठेकों के आबंटनों में घोटाले, शेयर मार्केट के घोटाले, चारा घोटाले, प्लॉट आबंटन में घोटाले, भर्तियों में घोटाले आज शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जो कि भ्रटाचार की आंधी की चपेट में न आया होगा अथवा अछूता रहा हो। अभी तक हुए घोटालों के नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी मछलियां बड़ी मात्रा में चारा खाती हैं तो छोटी कम मात्र में भी संतोष कर रही हैं। जहां एक ओर करोड़ों के हिसाब से भ्रष्ट तरीकों अथवा घूसखारी से अर्जित आय के बारे में प्राय: सुनने को मिलता है वहीं दूसरी ओर लगभग प्रतिदिन ही छोटे स्तर के कर्मचारियों द्वारा चंद रुपयों के लिए ही अपना ईमान बेचे जाने के समाचार आम हो गए हैं। भारतीय समाज इस कद्र भ्रष्ट हो चुका है कि भ्रष्टाचार को अब ऐसी दवा माना जाने लगा है जिसके बिना अब जीवन सम्भव नहीं लगता है।

भ्रष्टाचार के पनपने के कई मिश्रित कारण हैं। सर्वप्रथम उन राजनीतिज्ञों के कारण भ्रष्टाचार को हवा मिलती है जो कि निजी स्वार्थपूर्ति को राष्ट्रहित अथवा जनता से ऊपर मानते हुए उन योजनाओं को बनाए जाने पर बल देते हैं जिनसे उनकी

अपनी स्वार्थपूर्ति अधिक हो।

आर्थिक स्तर पर कालाबाजारी के कारण वस्तुओं का झूठा अभाव भ्रष्टाचार पनपने में सहायक बनता है। शासन करने वाले व्यक्तियों में नैतिकता का पतन व मूल्यों का अवमूल्यन होना भ्रष्टाचार के पैदा होने का सबसे बड़ा कारण है। पुराने जमाने में नैतिक मूल्य माने जाने वाले सेवा-भाव ईमानदारी अब पुराने ख्याल माने जाते हैं। भ्रष्टाचार को सहना व इसके विरुद्ध जनता में उग्र भावना की कमी व इसका विरोध करने वाली शक्तिशाली जन-अदालत का अभाव भी भ्रष्टाचार का लोगों पर राज करने का कारण है। भारी जनसंख्या, व्यापक अनपढ़ता व खराब आर्थिक मूल-भूत ढांचा सर्वव्यापक भ्रष्टाचार के पनपने के कारण हैं।

अत्याधिक बढ़ती महंगाई के युग में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला कम वेतन भी एक कारण है। प्राय: यही देखा जाता है कि भ्रष्ट तरीकों में सरकारी कर्मचारियों की संलिप्तता का आंकड़ा ज्यादा होता है। इसका एक कारण यह है कि सरकारी क्षेत्र में वेतन प्राईवेट सैक्टर के मुकाबले बहुत कम है। समाज में झूठी प्रतिष्ठा हेतु वे भ्रष्ट तरीके अपनाने से पीछे नहीं हटते हैं। परंतु अब स्थिति इतनी भयावह है कि अब आम लोग भी भ्रष्टाचार में पीछे नहीं हैं। इससे यही साबित होता है कि दिखावे की जिंदगी जीने के विषाणु हम में बुरी तरह फैल चुके हैं व हम दिलो-दिमाग से भ्रष्टाचार को ग्रहण कर चुके हैं।

भ्रष्टचार भारतीय समाज में मधुमेह रोग की तरह ठीक उसी तरह फैल चुका है जिसे काबू तो किया जा सकता है परंतु पूर्णतया समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है कि साफ सुथरी बेदाग एवं ईमानदार छवि वाले राजनीतिज्ञों के हाथों में बागडोर सौंपी जाए जो कि बिना स्वार्थपूर्ति से लोगों व देश की भलाई को सर्वोपरि मानें।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध पर्याप्त एवं कठोर कानून का अभाव भी एक कारण है। समाज में तो यह धारणा व्याप्त है कि घूसखोरी में फंसने पर घूस देकर छूट जाओ। वास्तव में उचित दंड व्यवस्था न होने के कारण लोगों में भय नहीं रह जाता है।

काले धंधे करने वालों से भ्रष्टाचार को सबसे अधिक शह मिलती है। राजनेताओं, नौकरशाहों व अपराधियों की आपसी मिलीभगत का कुचक्र भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। उदाहरणार्थ यदि कोई भ्रष्ट उद्योगपति अथवा कोई अपराधी मतदान के समय अपने काले धन को किसी राजनेता पर खर्च करे तो वह भी बदले में बाद में राजनेता से कुछ अपेक्षा रखता है। इसी प्रकार नौकरशाहों की भागीदारी से भ्रष्टचार के विष वृक्ष को फलने फूलने से कोई भी नहीं रोक पाता है। क्या भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है? भ्रष्टचार भारतीय समाज में मधुमेह रोग की तरह ठीक उसी तरह फैल चुका है जिसे काबू तो किया जा सकता है परंतु पूर्णतया समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है कि साफ सुथरी बेदाग एवं ईमानदार छवि वाले राजनीतिज्ञों के हाथों में बागडोर सौंपी जाए जो कि बिना स्वार्थपूर्ति से लोगों व देश की भलाई को सर्वोपरि मानें।

कुछ मान्यताओं को भंग किए जाने की आवश्यकता है, जैसे कि माना जाता है कि भ्रष्टाचार जीवन का अंग बन चुका है व इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है अथवा माना जाता है कि विकसित देशों में भ्रष्टाचार नहीं है व अविकसित व विकासशील देश इस से ग्रसित हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि आदमी की सोच ही उसे भ्रष्ट अथवा ईमानदार बनाती है। एक-एक व्यक्ति से मिलकर ही राष्ट्र बनता है व जहां पर अनुचित सोच के लोग ज्यादा हो जाएं तो उस राष्ट्र का बचाव मुश्किल हो जाता है। सर्वाधिक प्रभावशाली कदम यह है कि सशक्त कानून बनाएं जाएं ताकि देश भ्रष्ट राजनीतिज्ञों अथवा नौकरशाहों के हाथों की कठपुतली न रहे। राजनीतिज्ञों की भूमिका को कम करना चाहिए। जनहित की नीतियों के निर्माण व क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र कमीशन या एजेंसियों को बनाया जाना चाहिए और इनके निर्णयों के विरुद्ध दावा करने के लिए केवल न्यायालयों को ही मान्य करना चाहिए।

इसी प्रकार भ्रष्टाचार को सफलतापूर्वक समाप्त करने हेतु लोगों का सहयोग सर्वाधिक आवश्यक है। लोगों को उन चुने जनप्रतिनिधियों को हटाए जाने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाते हैं। चुनावों में काले धन का फंड के रूप में प्रयोग राजनैतिक भ्रष्टाचार का कारण है। अत: चुनावों में सीमित खर्च का राज्य द्वारा प्रावधान करना चाहिए। राजनैतिक दलों के खातों का हिसाब, निरंतर ऑडिट व आयकर रिर्टन को आवश्यक करना व आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को चुनाव न लड़ने देने का कड़ा कानून बनना चाहिए। यद्यपि भ्रष्टाचार एक वैश्विक समस्या है तथा सभी देशों को इससे लड़ना पड़ रहा है, परंतु इसे समाप्त करने के लिए पग, मापदंड व उपाय अपने-अपने स्तर पर अपनाए जाने आवश्यक है तथा अब समय आ गया है कि भ्रष्टाचार को जड़ से ही समाप्त किया जाए।❑

भ्रष्टाचार मिटाना है तो शिक्षा को बदलना होगा

❑ अतुल कोठारी

देश में भ्रष्टाचार ने शिष्टाचार का रूप ले लिया है। कुछ समय पूर्व देश में यह धारणा बनाई गई थी कि भ्रष्टाचार आंदोलन का विषय नहीं बन सकता लेकिन सं.प्र. गठबंधन सरकार के दूसरे कार्यकाल में लगातार भ्रष्टाचार के कौभांडों का उजागर होना और उसमें लिप्त नेता तथा उसका बचाव करने वाले नेताओं ने बेशर्मी की भी सारी हदें पार कर दी हैं। इसके विरुद्ध जन आक्रोश को प्रकट रूप देने का कार्य बाबा रामदेव, अन्ना हजारे ने किया। इन महापुरुषों को जनता का अकल्पनीय समर्थन भी मिला है। वर्तमान में इस प्रकार के आंदोलनों की अत्यंत आवश्यकता है। समाज में जो धारणा बनाई गई थी कि भ्रष्टाचार आंदोलन का विषय नहीं है वह बदल गई। इन आंदोलनों के कारण जनता में व्यापक जागरुकता भी आई। इसी प्रकार इन भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजने में बड़ी भूमिका सुब्रह्मण्यम स्वामी ने न्यायालयों का आधार लेकर निभाई। उच्चतम न्यायालय का भी इसमें बड़ा योगदान है। इस माध्यम से कुछ भ्रष्टाचारी जेल में गए, लेकिन जितने जेल में गए इससे कई गुना अधिक गुनहगार आज भी सत्ता का सुख भोग रहे हैं। इस हेतु भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में एक नए कानून बनाने की भी मांग उठी है। शायद लोकपाल जैसा कानून बन भी सकता है। इस प्रकार के कानून बनने से भी कुछ मात्रा में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकती है। उत्तर प्रदेश कर्नाटक में लोकायुक्त की व्यवस्था नहीं होती तो वहां के शासकों को शासन से बेदखल करके उस पर न्यायालय में कार्यवाही चलाना शायद सम्भव नहीं होता।

समाज में जो धारणा बनाई गई थी कि भ्रष्टाचार आंदोलन का विषय नहीं है वह बदल गई। इन आंदोलनों के कारण जनता में व्यापक जागरुकता भी आई। इसी प्रकार इन भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजने में बड़ी भूमिका सुब्रह्मण्यम स्वामी ने न्यायालयों का आधार लेकर निभाई। उच्चतम न्यायालय का भी इसमें बड़ा योगदान है। इस माध्यम से कुछ भ्रष्टाचारी जेल में गए, लेकिन जितने जेल में गए इससे कई गुना अधिक गुनहगार आज भी सत्ता का सुख भोग रहे हैं।

परंतु प्रश्न उठता है कि इन सारे प्रयासों के बाद भी जन-जन के मन में जो भ्रष्टाचार स्थापित हो गया है उसको समाप्त किया जा सकेगा क्या?एक घटना स्मरण में आ रही है, मैं राजधानी एक्स. में नागपुर से दिल्ली आ रहा था। चार-पांच लोग बैठे थे, सुबह-सुबह भ्रष्टाचार की चर्चा शुरू हो गई, कौन-नेता सबसे अधिक भ्रष्ट है। सभी राजनीतिक पक्ष भ्रष्टाचार में समान रूप से लिप्त हैं आदि। बाद में अल्पाहार आया सबने अल्पाहर किया। इसके बाद एक सज्जन ने सबके सामने एक प्रश्न रखा कि अनेक वार अचानक प्रवास पर जाना पड़ता है उस प्रकार की स्थिति में आप लोग क्या करते हैं?बड़ी परेशानी होती है एजेंट या टीटी के पीछे घूमते रहे फिर भी कई बार टिकट कन्फर्म नहीं मिलता। इस सज्जन के प्रश्न का उत्तर जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के लिये राजनेताओं को जिम्मेदार बताकर सबसे अधिक कोस रहा था उन्होंने तुरंत कहा एजेंट, टीटी अथवा सब झंझट में न पड़कर बोगी के एटेंडेंट को 500 रुपये दे दो तो समस्या समाप्त। इसी प्रकार कई बार बालकों के मन में अप्रमाणिकता, असत्य, भ्रष्टाचार का बीज बोने का कार्य अभिभावक ही करते हैं। घर में किसी लेनदार का फोन आ गया, फोन बालक उठाता है तब हम उन्हें कहते हैं कि कह दो पिताजी घर में नहीं हैं। बालक उत्तर तो दे देता है लेकिन उसके मन में प्रश्न उठता है कि पिताजी घर में हैं फिर घर में नहीं है ऐसा क्यों कह रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व की बात है एक विद्यार्थी मित्र के घर गया था उनकी बहन की सगाई हुई थी, उनके पिताजी से मैंने पूछा की जमाई क्या कर रहे हैं?उन्होंने उत्तर दिया कि पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर हैं। वेतन 12 हजार है लेकिन ऊपर से हर माह 15 से 20 हजार रुपये प्राप्त कर लेता है। रोज-बरोज के जीवन व्यवहार में ऐसी घटनाएं घटना स्वाभाविक हो गया है। इसमें सम्मिलित व्यक्तियों को कुछ गलत नहीं लगता है। इसी प्रकार भ्रष्टाचार के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले भ्रष्टाचार के लेन-देन से मुक्त हैं क्या?कहना कठिन है। यह भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा?जब तक किसी भी समस्या का कारण या उद्‌भव स्थान ढूंढकर उसको ठीक नहीं किया जाता तब तक स्थायी समाधान असम्भव है।

हमारे यहां शिक्षा (संस्कार) तीन केन्द्रों से प्राप्त होती थी- 1. परिवार, 2. विद्यालय, 3. समाज। जब अंग्रेजी

(मैकाले) शिक्षा शुरू में आई तब इतना परिणाम नहीं हुआ क्योंकि परिवार एवं समाज से वही संस्कार प्राप्त होते थे, लेकिन जैसे-जैसे अंग्रेजों की दी हुई शिक्षा आगे बढ़ती गई उसी शिक्षा को प्राप्त किये हुए अभिभावक बन गए। आज तो दादा-दादी, परदादा तक बन गए तब परिवार एवं समाज में भी इसका प्रभाव हो गया और तीनों केन्द्रों से जिस प्रकार की शिक्षा (संस्कार) प्राप्त होती थी, वह बंद हो गई जिसके परिणामस्वरूप आज की सारी समस्याएं निर्माण हुई हैं। इसलिये इन समस्याओं का सबसे प्रमुख कारण देश की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है। जिस देश की शिक्षा में संस्कार, चरित्र, मूल्य, नैतिकता एवं आध्यात्मिकता आदि बातें नहीं होगी उसका परिणाम जो वर्तमान में हम भुगत रहे हैं वही होगा। अभी इस दिशा में ठोस प्रयास नहीं किया गया तो आज जो स्थिति है उससे भी भयानक परिणाम भुगतने के लिये तैयार रहना होगा।

सामान्य रूप से देश में आज अनुभव आता है कि जितना अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति उतना अधिक भ्रष्ट। वर्तमान में उजागर भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े कौभांड करने वाले कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं है। अनेक बार अनुभव आता है कि कम पढ़ा व्यक्ति आज भी कम भ्रष्ट है।

देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना होगा। जब देश की शिक्षा में संस्कार, नैतिकता, मूल्यों का समावेश था तब देश समृद्ध एवं लोग संस्कारवान थे। पुराने जमाने की एक कहानी है राका और बांका की। दोनों पति-पत्नी एक गांव से दूसरे गांव चलकर जा रहे थे पति ने रास्ते में सोने का गहना देखा, उनको लगा कि पत्नी को सोने का लालच हो सकता है, इसलिये उन्होंने गहने पर मिट्टी डाल दी। पत्नी पीछे थी उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो तुम?उस समय लोग झूठ नहीं बोलते थे। पति ने सच बात बता दी। पत्नी ने प्रत्युत्तर में कहा क्या, तुम भी मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो। हमारे यहां कहावत है पराया धन मिट्टी समान यह मात्र कहावत नहीं थी जीवन के व्यवहार में था। दूसरी कहानी वर्तमान संदर्भ की है कुछ महाविद्यालयीय छात्र गांव देखने गए। वहां खेत देखने गए तब खेत में देखा बैल घूम रहा था, कुएं से पानी निकल रहा था। बाद में वह दूर काम कर रहे किसान को मिले उन्होंने किसान से प्रश्न किया कि आप इतने दूर काम कर रहे हैं अगर बैल रुक गया तो आपको कैसे जानकारी होगी। किसान ने कहा उसकी गर्दन में घंटी बंधी है, आवाज बंद होने से मालूम हो जाएगा। छात्रों ने दूसरा प्रश्न किया कि अगर बैल खड़ा रहकर गर्दन हिलाने लगेगा तब?किसान ने उत्तर दिया कि हमारा बैल आज के महाविद्यालय में पढ़ा हुआ नहीं है। इसमें दोष उन छात्रों का नहीं उनको दी गई शिक्षा का यह परिणाम है।

सामान्य रूप से देश में आज अनुभव आता है कि जितना अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति उतना अधिक भ्रष्ट। वर्तमान में उजागर भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े कौभांड करने वाले कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं है। अनेक बार अनुभव आता है कि कम पढ़ा व्यक्ति आज भी कम भ्रष्ट है। मैं कुछ माह पूर्व गुजरात के जामनगर शहर में गया था तब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना था। मेरे साथी कार्यकर्ता को अन्य काम से कहीं जाना था इसलिये उन्होंने मुझे ऑटो में बिठा दिया। तीन-चार मिनट बाद मैंने ऑटो को रोकते हुए कहा कि यहां से बाएं लेकर गुरु दत्तात्रेय के पास की गली में ले लो। उन्होंने कहा कि आपके सहयोगी ने गुरुद्वारा ले जाने को बताया था। मैंने कहा कुछ गैर समझ हो गई होगी। लेकिन मुझे यहीं गुरुदत्तात्रेय के पास जाना है। उन्होंने ऑटो मोड़ लिया। गली के अन्दर रास्ता खराब था, मैंने ऑटो चालक को बताया कि जहां तक सम्भव है वहां तक ले जाना। बाद में घर नजदीक है मैं चला जाऊंगा। रास्ता खराब होने के बाद भी ऑटोवाला घर के दरवाजे तक ले गया। मैंने तय किये अनुसार 20 रुपये देने का प्रयास किया, तब ऑटो चालक का उत्तर आश्चर्यजनक था, उन्होंने कहा कि भाईसाहब 20 रुपये गुरुद्वारा के थे, गुरुदत्ता के 10 रुपये दीजिये। मैंने कहा जो तय हुआ है वह ले लो, उन्होंने कहा भाईसाहब हराम का पैसा नहीं चाहिये। आप 10 रुपया दीजिये, मैंने 10 रुपये देकर उनका धन्यवाद किया।

इसलिये मात्र भ्रष्टाचार ही नहीं देश की सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना है, तब शिक्षा को बदलना होगा। आईये, हम सब मिलकर तात्कालिक भ्रष्टाचार को रोकने हेतु चलाए जा रहे आंदोलन में सक्रिय सहभागिता अवश्य करें लेकिन जड़ से इस समस्या के समाधान हेतु देश की शिक्षा को बदलने हेतु संकल्प करें। ❑

(लेखक शिक्षा बचाओ आंदोलन के राष्ट्रीय सह संयोजक हैं।)

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश : गुलामी का जाल

❑ **ए.के. सेन**

नब्बे के दशक में सोवियत संघ के बिखराव के बाद दुनियाभर की सारी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं ने विकास का पूंजीवादी मॉडल अपना लिया था। चूंकि तीसरी दुनिया की समस्याएं विकसित देशों से पूरी तरह अलग हैं, लिहाजा पूंजीवाद को नया तड़का लगाकर विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन (आईएमएफ) जैसी पश्चिमी वर्चस्व वाली वैश्विक संस्थाओं के जरिये गरीब व विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर थोपा गया। अर्थशास्त्र की भाषा में इस फेरबदल को 'नव उदारवाद' कहा जाता है। 1950 के दशक में आजाद हुए तीसरी दुनिया के ज्यादातर देश बुनियादी दिक्कतों में ही उलझे हुए थे। आधुनिक तकनीक के अभाव में संसाधनों का दोहन भी नहीं हो पा रहा था। ऐसे में पूंजीवाद के पैरोकार पश्चिमी देशों ने गरीब देशों को शुरुआती दौर में भारी-भरकम निवेश करके संसाधनों को विकसित करने का सपना दिखाया। सामाजिक कल्याण योजनाओं का बढ़ता बोझ, भुगतान संतुलन का संकट, बेरोजगारी और खाली खजाने जैसी साझा समस्याओं से जूझ रहे तीसरी दुनिया के देशों के पास विकसित देशों की इस पेशकश को स्वीकार करने के सिवाए दूसरा कोई रास्ता नहीं था।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियां लम्बी रणनीति के साथ बाजार में उतरती हैं। एफडीआई के नाम पर पहले चरण में छोटी रकम खर्च करके बाजार से छोटे खिलाड़ियों को बाहर कर दिया जाता है। बाजार पर एकाधिकार होने के बाद यह कम्पनियां अपने विशाल भंडारण क्षमता से वस्तुओं की कृत्रिम मांग पैदा करती है। दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी करके जनता की जेब पर डाका डालती है।

भारत का नाम भी उन देशों में शुमार था, जो नब्बे के दशक में खाली खजाने और खस्ताहाल अर्थव्यवस्था से तबाही के कगार पर खड़े थे। पूंजीवादी देशों की लॉबिंग और हालातों से मजबूर गरीब देशों ने कानूनों में तबदीली करना शुरू कर दिया, मगर कई बुद्धिजीवियों ने इन सुधारों का विरोध करना शुरू कर दिया। भारत समेत कई देशों में अर्थव्यवस्था के दरवाजे विकसित देशों के लिये खोलने की कवायद का कड़ा विरोध हुआ और जनता को लामबंद होते देख सत्तारूढ़ सरकारों की चूलें हिल गई। आर्थिक उदारीकरण का विरोध करने वालों को शांत करने के लिये बीच की गली निकाली गई, जिसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी 'एफडीआई' कहा गया। दरअसल, एफडीआई उपनिवेशवाद का ही नया अवतार था और इसके कई लक्षण आज दो दशक बाद दिखाई पड़ने लगे हैं।

शुरुआती दौर में भारत समेत कई देशों में एफडीआई का नियमन करने के लिये कई क्षेत्रों में अधिकतम निवेश की सीमाएं तय की गई, लेकिन वक्त बीतने के साथ पूंजी के दबाव में यह कागजी अंकुश खोखले साबित हुए और आज एफडीआई अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन माना जा रहा है। किसी भी देश में एफडीआई के प्रवाह से ही अर्थव्यवस्था की बेहतरी का अनुमान लगाया जाता है। पिछड़े और विकासशील देशों के विपरीत विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं 21वीं सदी आते-आते अधिकतम परिपक्वता स्तर (मैक्सिमम मैच्योरिटी लेवल) पर पहुंच चुकी थी। विकसित देशों के बाजारों का दोहन भी लगभग पूरा हो चुका है। बीते एक दशक से खपत में कमी आने के संकेत मिलने लगे हैं। जाहिर है, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का भविष्य विकासशील और पिछड़े देशों के बाजार ही हैं। इन बाजारों को हथियाने के लिये कम्पनियां लगातार तीसरी दुनिया की सरकारों पर दबाव बनाए हुए हैं। असल में एफडीआई को दीर्घकालीन निवेश माना जाता है। पहले विकसित देशों की सरकारों के मार्फत निवेश के नाम पर तीसरी दुनिया के देशों में तमाम सहूलियतें हासिल की जाती हैं। उसके बाद संसाधनों का विकास करने के नाम पर एफडीआई का पासा फेंका जाता है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियां लम्बी रणनीति के साथ बाजार में उतरती हैं। एफडीआई के नाम पर पहले चरण में छोटी रकम खर्च करके बाजार से छोटे खिलाड़ियों को बाहर कर दिया जाता है। बाजार पर एकाधिकार होने के बाद यह कम्पनियां अपने विशाल भंडारण क्षमता से वस्तुओं की कृत्रिम मांग पैदा करती है। दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी करके

जनता की जेब पर डाका डालती है। एफडीआई के जाल में फंसकर घरेलू कम्पनियां बाजार से बाहर हो चुकी होती हैं, इसी कारण लोगों के पास बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है।

एफडीआई के नाम पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियां विकासशील और गरीब देशों का आर्थिक शोषण कर रही हैं। नोकिया, वालमार्ट, सोनी, मैकडोनल्ड, जनरल मोटर्स और कोकाकोला जैसी कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का टर्नओवर ही जीडीपी के लिहाज से दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत के सालाना बजट से ज्यादा है। कई देशों में ये कम्पनियां मनमाफिक नीतियां नहीं बनने पर सरकारों को अस्थिर कर देती हैं। दक्षिण कोरिया और फिनलैंड के बारे में कहा जाता है कि इन देशों की सरकारें सैमसंग और नोकिया के मुख्यालय से चलाई जाती हैं।

जिन क्षेत्रों में घरेलू कम्पनियां मजबूती से डटी हुई हैं, उन क्षेत्रों में एफडीआई की रफ्तार बेहद कम हो गई है। लेकिन हरेक क्षेत्र में ऐसा नहीं है। ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी (फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स), रिटेल, फार्मास्युटिकल्स और मीडिया जैसे क्षेत्रों में घरेलू कम्पनियां बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगे घुटने टेक चुकी हैं।

कहा जा सकता है कि एफडीआई से मोटी रकम घरेलू अर्थव्यवस्था में आती है और बड़े स्तर पर रोजगार पैदा होते हैं लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था को सामने रखकर इन दावों की शिनाख्त की जाए, तो निराशा ही हाथ लगती है। मिसाल के तौर पर भारत में खनन क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र को लिया जाता है।

खनन में अधिकतम 74 फीसदी एफडीआई की अनुमति है और विनिर्माण क्षेत्र में 100 फीसदी विदेशी निवेश किया जाता है। भारी मुनाफे की सम्भावना, ढीली नियमन प्रणाली और लचर कानूनों के चलते खनन क्षेत्र स्टरलाइट, सेसा गोवा, वेदांत रिसोर्सेज जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के रडार पर है।

झारखंड से लेकर कर्नाटक और राजस्थान से लेकर गोवा तक पूरे देश में खनन लूट की तस्वीर एक जैसी ही है। स्थानीय लोगों के विरोध को गोली से दबाकर देश के बेशकीमती खनिज संसाधन औन-पौन दामों पर वैश्विक बाजार में बेचे जा रहे हैं।

दूसरी ओर, विनिर्माण क्षेत्र में जोखिम की सम्भावना, ज्यादा लागत और कम मुनाफे के कारण इक्का-दुक्का कम्पनियों को छोड़कर कोई विदेशी कम्पनी आगे नहीं आ रही है। एम्मार जैसी एक-दो इंफ्रांस्ट्रक्चर कम्पनियों ने विनिर्माण क्षेत्र में निवेश करने से पहले भारतीय जोड़ीदार खोजा है और पूरा देश तो दूर, ये कम्पनियां आज तक मुम्बई व दिल्ली से बाहर नहीं निकल पाई हैं।

दोहराने की जरूरत नहीं है कि एफडीआई प्रवाह कम जोखिम और कम समय में अधिक मुनाफे की सम्भावना वाले क्षेत्रों में ही हो रहा है। जिन क्षेत्रों में घरेलू कम्पनियां मजबूती से डटी हुई हैं, उन क्षेत्रों में एफडीआई की रफ्तार बेहद कम हो गई है। लेकिन हरेक क्षेत्र में ऐसा नहीं है। ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी (फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स), रिटेल, फार्मास्युटिकल्स और मीडिया जैसे क्षेत्रों में घरेलू कम्पनियां बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगे घुटने टेक चुकी हैं।

जब कोई निवेशक (निवेश करने वाला) या निवेशकों का समूह अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था से बाहर किसी दूसरे देश की कम्पनी में हिस्सेदारी, मालिकाना हक, प्रबंधन या नीति-निर्माण में भागीदारी करने के लक्ष्य से पैसा लगाता है, तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या एफडीआई कहा जाता है। यह निवेश सीधा या प्रत्यक्ष है। क्योंकि निवेशक सम्बंधित कम्पनी के नफे-नुकसान में बराबर का भागीदार होता है। मुनाफे की रकम अपने मूल देश में ले जाने के लिये स्वतंत्र है।

अर्थव्यवस्थाओं के उदारीकरण, दूरसंचार व यातायात की आधुनिक सुविधाएं, वैश्वीकरण के कारण एक जैसे उत्पादों की कई देशों में मांग और अलग-अलग संस्कृतियों के बीच मिटती दूरियों ने एफडीआई के जरिये बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का व्यापार आसान कर दिया है। **विकासशील और पिछड़े देशों में 1970 के दशक में एफडीआई महज 20 अरब डॉलर पर अटका हुआ था, वहीं 2009 में यह आंकड़ा 800 अरब डॉलर को पार कर गया है।** ❑

आज सबसे बड़ा मुद्दा देश के सामने खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश है, वास्तव में ही खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश को लाना अत्यंत खतरनाक है। इससे देश के पांच करोड़ लोगों का रोजगार ही नहीं छीन जाएगा बल्कि उनके परिवारजनों की संख्या जो कि अनुमानित पचीस करोड़ है, उनका मुंह का निवाला छिन जाएगा। सरकार वालमार्ट जैसे बड़े विदेशी व्यापारिक संस्थानों को भारत के परचून व्यापार में अनुमति देना चाहती है जोकि बिल्कुल गलत है। स्वदेशी जागरण मंच खुदरा व्यापार में पूरी तरह निवेश को समाप्त करने का सदा से ही पक्षधर रहा है।

खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश अत्यंत खतरनाक

चीन से खतरा भयावह और कृषि बेहाल

आज देश में चाहे कुछ अच्छे काम भी हो रहे हैं लेकिन इस पत्रिका के माध्यम से जो पत्रिका हिमाचल की एक सशक्त आवाज बन चुकी है। मैं कहना चाहूंगा कि कई खतरे देश के सामने मुंह खोले खड़े हैं। यदि सिर्फ हिमाचल की बात की जाए तो पर्यावरण बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस ढंग से पेड़ अंधाधुंध कट रहे हैं, विकास के नाम पर नए-नए प्रोजेक्ट कुकरमुत्ते की तरह उभर रहे हैं, स्कीविलेज जैसी योजनाएं निरस्त नहीं हो रही हैं, लगता है कि एक नहीं कई किंकरी देवियों की प्रांत को जरूरत है। ध्यान रहे किंकरी देवी वो अनपढ़ और गरीब महिला है जिसने प्रांत में हो रहे अनाप-शनाप खनन को रोकने के लिये हाईकोर्ट और बाहर एक सशक्त लड़ाई लड़ी थी। छठा महिला सशक्तिकरण सम्मेलन जो कि चीन में सम्पन्न हुआ था, उसमें इस महिला को एक सम्मान इस पर्यावरण की लड़ाई के लिये मिला था और भारत में भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने उन्हें महारानी लक्ष्मी बाई सम्मान से नवाजा था। लेकिन एक बात सुखद नजर आती है और वो है पॉलीथीन के प्रयोग को सख्ती से बंद करवाना। मैं ऐसे कई प्रदेशों में गया हूं जहां पर ऐसा प्रतिबंध कागजों पर लागू है, लेकिन जमीन पर उसकी सरेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं। हिमाचल की जनता और सरकार इस बात के लिये बधाई की पात्र है कि पॉलीथीन बैग का प्रतिबंध यहां अपेक्षाकृत अच्छी तरह से पालन हो रहा है। अगर ऐसी ही चेतना और विषयों पर भी आ जाए तो ये प्रदेश कार्बन क्रेडिट से आगे जाकर बहुत कुछ कमा लेगा। इतना ही नहीं तो देश का फेफड़ा बन कर प्रशंसा का पात्र बन सकता है। खैर खतरे और भी हैं।

परचून या खुदरा व्यापार के बहु ब्रांड में विदेशी निवेश

आज सबसे बड़ा मुद्दा देश के सामने खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश है, वास्तव में ही खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश को लाना अत्यंत खतरनाक है। इससे देश के पांच करोड़ लोगों का रोजगार ही नहीं छीन जाएगा बल्कि उनके परिवारजनों की संख्या जो कि अनुमानित पचीस करोड़ है, उनका मुंह का निवाला छिन जाएगा। सरकार वालमार्ट जैसे बड़े विदेशी व्यापारिक संस्थानों को भारत के परचून व्यापार में अनुमति देना चाहती है जोकि बिल्कुल गलत है। सरकार ने अभी जन दबाव में इसे ठंडे बस्ते में डालने की बात कही है परन्तु सरकार का ऐसा बयान बहुत राहत देनेवाला नहीं है। इस प्रावधान को पूर्णतया समाप्त करना चाहिये। स्वदेशी जागरण मंच खुदरा व्यापार में पूरी तरह निवेश को समाप्त करने का सदा से ही पक्षधर रहा है। हां, मंच उन सभी व्यापारिक संस्थानों, किसानों, नेताओं, हॉकर संस्थाओं, राजनेताओं व आम जनता का धन्यवादी है जिन्होंने

अभी 10 फरवरी को दिल्ली में आयोजित खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश के खिलाफ राष्ट्रीय सम्मेलन में भागीदारी की है। पहले भी इस मुद्दे पर 1 दिसम्बर के बंद को सफल बनाने में सारे देश का सहयोग रहा है।

मंच सरकार की फूट डालो राज करो की नीति की तीव्र भर्त्सना करता है जिसके तहत खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश को किसानों व छोटे उद्यमियों के लिये लाभदायक होने का भ्रम फैलाया जा रहा है। यह वक्तव्य एकदम तथ्यों से परे है। अमरीका जैसे शिखर देशों में जहां 'वालमार्ट' जैसे संगठित रिटेलर हैं, वहां के किसान सरकारी सब्सिडी पर ही जिंदा हैं। अगर किसानों की हालत वहां अच्छी होती तो वहां इतनी बड़ी मात्रा में सब्सिडी देने की क्या जरूरत थी?ध्यान रहे, अमरीका में अब केवल 70 हजार किसान ही बचे हैं। यही नहीं वहां पिछले 14 वर्षों में सर्वाधिक भुखमरी छाई है। पूरे यूरोप, जहां इन खुदरा कम्पनियों का सर्वाधिक प्रभाव है, प्रति मिनट एक किसान कृषि छोड़ रहा है। फ्रांस में केवल 2009 में किसानो की आमदनी 39 प्रतिशत घटी है। समझ नहीं आता कि ये विदेशी कम्पनियां किसानों का भला भारत में कैसे करेंगी। वैसे भी इन रिटेल कम्पनियों का नारा है- 'ईडीएलसी' यानी एवरी डे लो कॉस्ट अर्थात् हर रोज कम लागत मूल्य करना। समझ में नहीं आता कि प्रचलित मूल्य से ज्यादा ये किसानों को क्यों देंगी?

आज देश की खेती की हालत बहुत खस्ता है। कृषि पर होने वाला बजट का खर्च लगातार घट रहा है। दूसरी तरफ हमारी खेती की उपज के कारण भोजन की सुरक्षा घट रही है। लेकिन हमारा मानना है कि इस से भी बढ़कर एक समस्या और है वो है कृषि क्षेत्र में संसद में आने वाले तीन बिल भी किसानों के लिये संकट की घंटी है।

दूसरी तरफ किसानों को तभी लाभ हो सकता है जब उनके सामानों पर बोली लगाने वालों की ज्यादा संख्या हो। ये कम्पनियां तो पहला काम ही प्रतियोगियों को बाहर करने का करती है, और अपना एकाधिकार मंडी पर करती है। भारतीय छोटे उद्योगों से तीस प्रतिशत माल खरीदने की बात भी बिल्कुल बेबुनियाद है। अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत ऐसा करवा पाना किसी भी सरकार के बस में नहीं है। तो ऐसे में श्री अन्ना हजारे का इस बारे में कथन बहुत सटीक लगता है, 'जब विदेशी कम्पनियां आएंगी तो वे सेवा करने नहीं बल्कि मेवा खाने आएगी।' अत: किसानों या छोटे उद्यमियों का उनसे भला कभी नहीं होगा।

ऐसे ही आम व्यक्ति अर्थात् उपभोक्ता को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। तीसरे, यदि सारे आपूर्ति के स्रोत विदेशी कम्पनियों के हाथ आ गए तो देश की सुरक्षा को भी बड़ा खतरा है। इन विदेशी खुदरा कम्पनियों द्वारा रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने की बात भी सच्चाई से कोसों दूर है। इस संदर्भ में एक उदाहरण पर्याप्त होगा। गत दो वर्षों में टेस्को और सेंसबरी जैसी खुदरा कम्पनियों ने क्रमश: ग्यारह और 13 हजार नए रोजगार देने का दावा किया था इंग्लैंड में। पर हकीकत ये है कि क्रमश: 726 रोजगार दिये टेस्को ने और सेंसबरी ने पहले से नौकरी में लगे सोलह सौ लोगों को भी हटा दिया। यही हाल कमोबेश सभी बड़ी रिटेलर कम्पनियों का है। अत: स्वदेशी जागरण मंच आगामी दिनों में सारे देश में अभियान चलाकर इस विषय को आगे बढ़ाएग और खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश का विरोध करेगा। विशेष रूप से सारे देश में प्रांत व जिला स्तर पर दिल्ली के राष्ट्रीय सम्मेलन की तर्ज पर सम्मिलित पक्षों के सम्मेलन, गोष्ठियां और धरने प्रदर्शन आदि से देश को लामबंद किया जाएगा।

चीन का भारत को संकट

मंच 14 से 30 मार्च तक पूरे देश में चीन द्वारा भारत के समक्ष चुनौतियों के लिये जनजागरण करेगा। पायलट प्रोजेक्ट के नाते राजस्थान में 15 से 30 सितम्बर तक एक अभियान चलाया गया जिसमें 20 हजार पुस्तकों व 5 लाख पत्रकों का सफल वितरण हुआ और बड़ी मात्रा में विचार गोष्ठियां हुई। जनजागृति के अन्य तरीके भी सफलतापूर्वक अपनाए गए। मंच का मानना है कि श्री नेहरू का पंचशील सिद्धांत भारत के लिये 'पंच शूल' बन गया। आज चीन भारत की सीमाओं पर एक दशक में 1500 बार घुसपैठ कर चुका है। अन्य गैर परम्परागत ढंग से भी सैनिक दबाव भी बना रहा है। चीन का रक्षा खर्च भी भारत से पांच गुना है और सामरिक शक्ति कई गुना। दूसरा शूल है भारत के पड़ोसी देशों के साथ सैन्य समझौते करके भारत की घेरेबंदी की जा रही है। एशिया का सबसे बड़ा राडार कोको द्वीप पर है जिस द्वीप को भारत ने बर्मा को दिया था। तीसरा खतरा भारत के भीतर जनआक्रोश फैलाकर व माओवादी यानी नक्सलियों की पैसे व हथियारों से सहायता करना। आज देश के 150 जिलों, जिनमें नक्सलियों के प्रभाव है, उनके पीछे चीन का

सीधा-सीधा हाथ है। यही हाल भारत में अन्य अराजक तत्वों को चीन द्वारा पृष्ठ पोषण का है। खतरा है पर्यावरण प्रदूषण का, जो चीन द्वारा फैलाया जा रहा है। दुनिया का 21 प्रतिशत प्रदूषण केवल चीन फैला रहा है। तिब्बत के वनों का बेतहाशा सफाया भी हमारे देश के पर्यावरण के लिये खतरा है। दुनिया की आधी आबादी चीन से निकलने वाली उन 10 नदियों पर निर्भर है जो वास्तव में तिब्बत से निकलती हैं। इन नदियों के स्रोतों के पास ही चीन आणविक अवशिष्ट को जमा कर रहा है। इसका रिसाव दुनिया के लिये बड़े खतरे की घंटी है और अंतिम पांचवां शूल भारत की अर्थव्यवस्था पर हमला है। हमारा कच्चा माल कपास, लौह अयस्क व रबर चीन जा रहा है और वहां से तैयार माल भारत के कारखानों को तबाह कर रहा है। प्रतिवर्ष 2.5 से 3.5 लाख करोड़ रुपये की वस्तुएं व सेवाएं खरीदकर हम 30 से 40 हजार करोड़ का मुनाफा उसे प्रदान करते हैं। भारत के रक्षा सलाहकार की गुप्त रिपोर्ट से जो अधिकांश अखबारों में छपी है, खुलासा हुआ है कि चीन भारत को बेचे जाने वाले मौसम जानने के उपकरणों और टेलीफोन एक्सचेंजों द्वारा जासूसी करने का जाल भी बिछा रहा है। हर देशभक्त नागरिक को सोचना है कि चीन का सामान खरीदकर उसका सशक्तीकरण नहीं करना चाहिये।

कृषि क्षेत्र की चुनौतियां

आज देश की खेती की हालत बहुत खस्ता है। कृषि पर होने वाला बजट का खर्च लगातार घट रहा है। दूसरी तरफ हमारी खेती की उपज के कारण भोजन की सुरक्षा घट रही है।

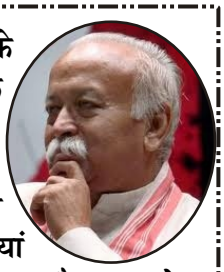

बढ़ती हुई जनसंख्या के भविष्य के लिये आवश्यक कृषि, व वन भूमि को बचाने की बजाए विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण के नाम पर कृषि भूमि को किसानों पर गोलियां चलाकर जबरदस्ती छीना जा रहा है। एक ओर चीजों के भाव आसमान को छू रहे हैं और दूसरी तरफ सांसद व विधायकों के वेतन बार-बार बढ़ रहे हैं। सीमित आय में परिवार का पालन-पोषण करनेवाला आम आदमी इस दुविधा में फंसा है कि बच्चों को महंगी शिक्षा का खर्च कैसे उठाए।

भारतीय जैव-तकनीकी नियमन अधिकरण विधेयक विदेशी बीज कम्पनियों को लाभ पहुंचने का षड्यंत्र है। इसमें ये धारा है कि जैव तकनीकी का बिना प्रमाण विरोध करने वाले व्यक्ति को दो साल के लिये कारावास और या दो लाख रुपये के दंड का विधान है। वास्तव में ये प्रावधान एक काला कानून ही माना जाएगा। इसी प्रकार प्रस्तावित बीज अधिनियम 2010 भी भारतीय किसानों के प्रति अति कठोर और विदेशी निगमों के प्रति अति उदार है।

लेकिन हमारा मानना है कि इस से भी बढ़कर एक समस्या और है वो है कृषि क्षेत्र में संसद में आने वाले तीन बिल भी किसानों के लिये संकट की घंटी है। पहला अधिनियम 'भू अधिग्रहण एवं पुनर्वसन एवं पुर्नबंदोबस्त अधिनियम है। Land acquisition and rehabitation and resettlement Bill का संकट भी कृषि के लिये बड़ा संकट है। इस बिल में सार्वजनिक हित को अस्पष्ट रखा गया है और मुआवजा भी एकदम अपर्याप्त है। Bio-technology Regulatory Authority of India अर्थात् भारतीय जैव-तकनीकी नियमन अधिकरण विधेयक विदेशी बीज कम्पनियों को लाभ पहुंचने का षड्यंत्र है। इसमें ये धारा है कि जैव तकनीकी का बिना प्रमाण विरोध करने वाले व्यक्ति को दो साल के लिये कारावास और या दो लाख रुपये के दंड का विधान है। वास्तव में ये प्रावधान एक काला कानून ही माना जाएगा। इसी प्रकार प्रस्तावित बीज अधिनियम 2010 भी भारतीय किसानों के प्रति अति कठोर और विदेशी निगमों के प्रति अति उदार है। ऐसा लगता है कि सरकार किसानों की और दुर्दशा करने पर उतारू है। शायद सरकार पिछले दस साल में 256713 किसानों की हृदय विदारक आत्महत्याओं से कोई सबक नहीं ले रही। स्वदेशी जागरण मंच सभी कृषि विद्यालयों, कृषि विशेषज्ञों के मध्य यह विषय रखेगा और भू-अधिग्रहण पर एक खोजी दस्तावेज मई 2012 तक प्रस्तुत करेगा।

इस प्रकार मंच स्थान-स्थान पर कालेधन की वापसी भ्रष्टाचार उन्मूलन और व्यवस्था परिवर्तन के लिये देश के मुख्य स्थानों पर स्वदेशी जुटान करेगा, जिसका एक सफल प्रयोग दिल्ली में हो चुका है। ❑ (लेखक स्वदेशी जागरण मंच के अ.भा. संगठन मंत्री हैं) kashmirilalkamail@gmail.com

सचिन शर्मा

तुलनात्मक दृष्टि से चीन की अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था से हर मायने में अग्रणी रही है। चीन की सरकार द्वारा नीतियों के त्वरित कार्यान्वयन ने तुलनात्मक रूप से भारतीय राजनीतिक तंत्र को अपेक्षाकृत शिथिल व अव्यवस्थित सिद्ध किया है। चाहे वो बीजिंग का नवनिर्मित हवाई अड्डा हो या फिर सुगम यातायात हेतु चौड़े राष्ट्रीय मार्ग ये सब आधुनिक विकास की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। वहीं भारतीय विकास की तस्वीर इसकी विरोधाभासी है जो भारत के दिल्ली और मुम्बई जैसे महानगरों में दिखाई देती है।

भारत के सम्मुख आर्थिक चुनौतियां - चीन का बढ़ता प्रभाव

यह सर्वविदित तथ्य है कि भारत व चीन वैश्विक परिदृश्य में सर्वोच्च अर्थव्यवस्था बनने के पथ पर अग्रसर है। कुछ विद्वानों का मत है कि भारतीय लोकतंत्र, सुस्थापित संस्थाएं, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान और तकनीकी निपुणता के बल पर भारत चीन की आर्थिक श्रेष्ठता को पार कर सकता है। वहीं अन्य का विचार है कि जहां एक ओर चीन भारत से कहीं आगे हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय नौकरशाही, भ्रष्टाचार, बुनियादी सुविधाओं की सीमितता निस्संदेह ही भारत को चीन के समानांतर पहुंचने के प्रयास में बाधक है।

चीन अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्जीवित व सक्रिय रखने के लिये तत्परता से राहत पैकेज का सहारा लेता है, वहीं इस संदर्भ में भारतीय प्रयास अत्यंत शिथिल हैं। गोल्ड मैन रैक्स के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में भारतीय सरकार द्वारा 36 बिलियन डॉलर और जी.डी.पी. की तीन प्रतिशत राशि को अर्थव्यवस्था में प्रोत्साहन के लिये संचारित किया जाएगा, वहीं दूसरी ओर चीन का द्विवर्षीय पैकेज जो 585 बिलियन डॉलर है, अपनी अर्थव्यवस्था में निवेशित किया गया है। यह चीन की कुल जीडीपी का 6 प्रतिशत है जो स्पष्टतया भारतीय निवेश का दुगना है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पश्चिम की वैश्विक मंदी से कम प्रभावित हुई वहीं चीन को इस प्रभाव के निषेध हेतु अनेक सक्रिय प्रयास कर अमरीका की तरफ से आयात घाटे का समाधान करना पड़ा। यहां यह भी महत्त्वपूर्ण है कि भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था ने चीन के मुकाबले इस वैश्विक संकट को सम्भालने में बेहतर सहयोग किया। भारत का घरेलू उपभोग जहां जीडीपी का 57 प्रतिशत है वहीं चीन का 35 प्रतिशत है।

एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को स्पष्ट देखा जा सकता है। चीन नवनिर्मित सैन्य शक्ति और कुशल कूटनीतिक क्षमता के द्वारा अपनी इच्छा को प्रभावपूर्ण ढंग से स्वीकार्य करवाने में सक्षम हो गया है। चीन के प्रमुख क्षेत्रीय लक्ष्यों में सर्वोच्च प्राथमिकता यह है कि अपना प्रभाव क्षेत्र विस्तारित किया जाए। ताइवान को राजनीतिक रूप से अलग-थलग कर दिया जाए, जापान को हाशिये पर ले जाया जाए, ऊर्जा सुरक्षा अर्जित की जाए और यूएस के प्रभाव को इस प्रकार कम किया जाए कि उसके द्वारा प्रतिक्रियात्मक कार्यवाही से बचा जा सके। अधिकतर पूर्व एशियाई देशों द्वारा चीन को प्रमुख व्यापारिक भागीदार और आर्थिक सुअवसर प्रदान करने वाले देश की दृष्टि से देखा जाता है न कि एक खतरे की तरह। चीन की उपलब्धियों में तिब्बत में रेललाईन का निर्माण, पाकिस्तान में रेल निर्माण, सीमा पार सड़क निर्माण आदि में भारी निवेश, वर्मा के पत्तन, तेल गैस क्षेत्र में वृहद निवेश और श्रीलंका में पतन निर्माण के प्रयास में सहयोग समेकित है। भारत की एशिया में प्रभाव जमाने की रणनीति में उत्साह व आवश्यक जुनून की अत्यंत कमी है।

मध्य एशिया में भी चीन अपने विस्तार के प्रयासों में लगा हुआ है। यहां उसके द्वारा भारी मात्रा में धन ऋण के रूप में स्थानीय सरकारों को प्रदान कर ऊर्जा क्षेत्र के महत्वपूर्ण अधिकार विशेषत: कजाकिस्तान व तुर्कमेनिस्तान क्षेत्र में अर्जित किये जा चुके हैं। दिसम्बर माह में चीन नेशनल पेट्रोलियम कम्पनी एनपीसी के नेतृत्व वाले एक संघ द्वारा तुर्कमेनिस्तान के दक्षिण योलोटन क्षेत्र के विकास का अधिकार प्राप्त किया गया। यह क्षेत्र विश्व के बेशकीमती तेल क्षेत्रों में से एक है। चीन मध्य एशिया क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कजाकिस्तान के जेल व यूरेनियम

क्षेत्र में भी सक्रिय है। यहां चीन द्वारा आधुनिक सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। ये देश न केवल चीनी उत्पादों के लिये बाजार उपलब्ध करवाएंगे अपितु इन उत्पादों को अन्य देशों तक ले जाने में भी मदद करेंगे।

चीन का वैश्विक शक्ति के रूप में उभरना एशिया के साथ-साथ अफ्रीका का भी ध्यान आकर्षित करता है। चीन की अफ्रीका के साथ सामरिक भागीदारी अत्यंत महत्वाकांक्षी है। आज के दौर में चीन की अफ्रीका नीति अत्यंत उच्च स्तर पर है और बृहद रूप से बनाई गई है।

चीन द्वारा हजारों एकड़ कृषि भूमि का अधिग्रहण अफ्रीका में किया गया है। साथ ही साथ उसके द्वारा कोयला, ताम्बा व अन्य धात्विक खनिजों में भारी निवेश किया गया है। जहां एक ओर अफ्रीका के तेल क्षेत्रों में चीन द्वारा अपने अधिकार सुरक्षित किये गए हैं वहीं अफ्रीकी देशों को अपने यहां अनेकों प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में प्रविष्ट कराया गया है जिससे की चीन अफ्रीकी देशों के राजनीतिक हलकों में अपनी पैठ बढ़ा सके। वहीं चीन की तुलना में अफ्रीका के संदर्भ में भारतीय प्रयास काफी शिथिल है।

चीन द्वारा वैश्विक परिदृश्य में अपने आर्थिक प्रभाव को बढ़ने के लिये जहां एक ओर चीन निवेश निगम (नवीन सम्प्रभु निधि) तथा राज्य सरकार के स्वामित्व वाले अनेक उद्यम बनाए गए हैं, जिनका कार्य नवसृजित बाजारों में निवेश करना है वहीं दूसरी ओर ऐसी नीतियों का निर्माण चीन द्वारा किया जा रहा है जो युआन के वैश्विक विस्तार को समर्पित करे।

तुलनात्मक दृष्टि से चीन की अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना में हर मायने में अग्रणी रही है। चीन की सरकार द्वारा नीतियों के त्वरित कार्यान्वयन ने तुलनात्मक रूप से भारतीय राजनीतिक तंत्र को अपेक्षाकृत शिथिल व अव्यवस्थित सिद्ध किया है। चाहे वो बीजिंग का नवनिर्मित हवाई अड्डा हो या फिर सुगम यातायात हेतु चौड़े राष्ट्रीय मार्ग ये सब आधुनिक विकास की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। वहीं भारतीय विकास की तस्वीर इसकी विरोधाभासी है जो भारत के दिल्ली और मुम्बई जैसे महानगरों में दिखाई देती है। जहां एक ओर वैश्विक

आर्थिक व सामाजिक घटक	माप की इकाई	चीन	भारत
कुल क्षेत्रफल	वर्ग किमी (मिलियन में)	9.60 (2.8%)	3.29 (9.5%)
उपजाऊ भूमि	वर्ग किमी (मिलियन में)	1.48	1.79
सिंचित भूमि	वर्ग किमी (मिलियन में)	0.53	0.61
रेलमार्ग (लम्बाई)	किमी (हजार में)	71.90	63.23
सड़क मार्ग (पक्की)	किमी (हजार में)	1.447	2.411
जलमार्ग	किमी (हजार में)	12.3	14.5
प्राकृतिक गैस-प्रमाणित भंडार	घन मीटर (बिलियन में)	2.530	854
तेल-प्रमाणित भंडार	बिलियन बैरल लीटर	18.60	5.70
इस्पात उत्पादन	मिलियन टन/वर्ष	280	45
खाद्यान्न उतपादन	मिलियन टन/वर्ष	418	210
सीमेंट उत्पादन	मिलियन टन/वर्ष	650	150
कच्चे तेल का उत्पादन	मिलियन टन/वर्ष	180	40
कोयला उत्पादन	मिलियन टन/वर्ष	1.300	300
विद्युत उत्पादन	मिलियन टन किलोवाट	2.190	557
कुल टेलीफोन	मिलियन	311	67
घरों में टी.वी. सेट	मिलियन	500	85
मोबाइल फोन	मिलियन	400	100
इंटरनेट उपयोगकर्ता	मिलियन	111	51
विदेश व्यापार (चीन-हांगकांग)	बिलियन डॉलर/वर्ष	961	260
निर्यात (चीन-हांगकांग)	बिलियन डॉलर/वर्ष	1038	120
पर्यटक आगमन	मिलियन/वर्ष	87	4
टी.वी. प्रसारण केन्द्र	संख्या	3240	562
एफडीआई (चीन-हांगकांग)	बिलियन डॉलर/वर्ष	106	8
विदेशी मुद्रा भंडार (चीन-हांगकांग)	बिलियन डॉलर	1139	175
सकल घरेलू उत्पाद (चीन-हांगकांग)	बिलियन डॉलर	2281	750
जनसंख्या	मिलियन	1.314	1.095
प्रति व्यक्ति आय	यूएस डॉलर प्रति वर्ष/व्यक्ति	1.498	658
निवेश	सकल घरेलू उत्पाद का %	44	25
जनसंख्या वृद्धि दर	जनसंख्या का प्रतिशत	0.59	1.38
साक्षरता दर	प्रतिशत (पढ़ना/लिखना)	91	60
सरकारी बजट (राजस्व-व्यय)	बिलियन यूएस डॉलर	392/424	111/126

अर्थव्यवस्था महामंदी से उभरती दिख रही है वहीं भारत इसके आघात से जूझता नजर आ रहा है। अर्थव्यवस्था के विद्वानों द्वारा इस वैश्विक मंदी के दौर में चीन की आर्थिक नीतियों की भूरी-भूरी प्रशंसा की जा रही है और उसे इस बात का श्रेय भी दिया जाता है कि उसने वैश्विक अर्थव्यवस्था विशेषत: एशिया क्षेत्र को पुन: विकासमान होने में योगदान दिया है।

आज का चीन विनिर्माण क्षेत्र के केन्द्र के रूप में तथा अंतर् एशियाई व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो की प्रधानतया विकसित राष्ट्रों को होता है, के महत्त्वपूर्ण ध्रुव के रूप में उभरा है। चीन ने स्वयं को भी इस्पात व अन्य धातुओं, सीमेंट, पोतनिर्माण, कार निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक व तक्सितले के उच्च पदस्थ उत्पादक के रूप में स्वयं को स्थापित किया है। चीन विश्व के अग्रज कच्चे माल उपभोक्ता राष्ट्रों में से एक है।

एशिया में चीन अपने मुख्य पड़ोसियों यथा ताइवान, दक्षिणी कोरिया, जापान और कुछ दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का प्रमुख व्यापारिक सहयोगी है। चीन द्वारा 600 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा का सुरक्षित कोष संचित किया गया है जो वैश्विक परिदृश्य में डॉलर के समक्ष युयान के मूल्य को स्थिर रखने में सहयोग देता है। यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टि से अवास्तविक जान पड़ता है परन्तु व्यवहार में उपादेय सिद्ध होता है।

बीजिंग का विकास मॉडल जो राज्य उत्प्रेरित था उसके विपरीत भारतीय विकास स्वयं में ही सशक्त व स्थिर रहा जिसका सर्वाधिक श्रेय भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्विक अर्थव्यवस्था से सीमित व संतुलित सम्पर्क को जाता है। 2008 में जहां चीन का व्यापार जीडीपी का 35 प्रतिशत था वहीं भारतीय व्यापार जीडीपी का 24 प्रतिशत रहा। भारतीय अर्थव्यवस्था पश्चिम की वैश्विक मंदी से कम प्रभावित हुई वहीं चीन को इस प्रभाव के निषेध हेतु अनेक सक्रिय प्रयास कर अमरीका की तरफ से आयात घाटे का समाधान करना पड़ा। यहां यह भी महत्त्वपूर्ण है कि भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था ने चीन के मुकाबले इस वैश्विक संकट को सम्भालने में बेहतर सहयोग किया। भारत का घरेलू उपभोग जहां जीडीपी का 57 प्रतिशत है वहीं चीन का 35 प्रतिशत है। घरेलू उपभोग की इस दर व ग्राहकों के इसके प्रति विश्वास ने भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रवाह को बनाए रखा।

भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक परिदृश्य से अलग नहीं है। उस पर से सरकार के बढ़ते राजस्व घाटे तथा बीते वर्ष हुए खराब मॉनसून, जिसके परिणामत: आई कृषि उत्पाद में गिरावट और व्यय शक्ति में कमी को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था के विकास को प्रेरित करना होगा। 2012 के लिये विश्व बैंक का भारतीय विकास दर का अनुमान 7-8 प्रतिशत है जो चीन के लिये अनुमानित विकास लक्ष्य 9 प्रतिशत से थोड़ा ही कम है। यहां प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह द्वारा दी गई उपमा 'Slow and steady will win the race' भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य और स्थिरता दोनों को परिलक्षित करती है। दीर्घकाल में ये अवश्यंभावी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था शीघ्र ही चीनी अर्थव्यवस्था के समकक्ष होगी। वर्तमान में भारत विकास पथ पर अग्रसर है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास दर को देख कर पूर्व में चीन द्वारा प्राप्त किये गए 8 प्रतिशत के विकास दर के लक्ष्य की पुनरावृति होती दिखाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में विश्व की 12 परिस्थिति पर विद्यमान है व शीघ्र ही सर्वोचच 10 वैश्विक अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्रों की श्रेणी में आने की क्षमता रखती है। 2030 तक भारत चीन को जनसंख्या व जीडीपी दोनों में ही मात दे कर उससे उच्चस्थ पद पर आसीन होगा। ❑

(लेखक बजाज हिन्दुस्तान लिमिटेड में प्रेजिडेंट (बिजनेस डवैलपमेंट) हैं।)

विदेशों में जमा काले धन...

(पृष्ठ 37 का शेष)

दावा है कि भारतीयों का 1500 बिलियन डॉलर स्विस बैंकों में जमा है और भारत सरकार इसे वापिस स्वदेश लाने के लिये कोई कारगर कदम नहीं उठा रही है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा स्विस सरकार के साथ इस संदर्भ में किया गया समझौता भी अर्थहीन है क्योंकि इस समझौते के अनुसार स्विस बैंक केवल उन्हीं खातों का ब्यौरा प्रदान करेगा जिन पर टैक्स चोरी का आरोप दायर हो या सिद्ध हो चुका हो। इसलिये भारत सरकार को स्विस सरकार से सूचना लेने से पूर्व टैक्स चोरी के साक्ष्य जुटाने होंगे जो एक लम्बी प्रक्रिया है। यह तय है कि जिस दिन देश के राजनेताओं की सुप्त आत्मा जागृत होगी, उस दिन गरीबों की गाढ़ी खून-पसीने की कमाई अवश्य भारत वापिस आएगी। काली रातों में इकट्ठा किया काला धन एक उजली सुबह स्वदेश वापिस आएगा और हमारे देश का भविष्य अवश्यमेव सुनहरा बनाएगा। ❑

(श्री शांता कुमार द्वारा राज्यसभा में दिये गए भाषण के सम्पादित अंश)

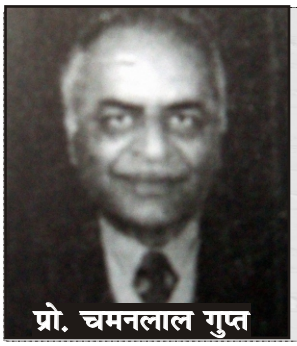

प्रो. चमनलाल गुप्त

बाजारवाद मूलतः उन्नत राष्ट्रों द्वारा पूंजीवाद को नवजीवन देने वाली विचारधारा है जिसके अनुसार विश्व भर में वस्तुओं का उत्पादन और विक्रय बेरोकटोक होने देने की व्यवस्था है। कहने को यह समानता पर आधारित है परन्तु शक्तिसम्पन्न और निर्बल राष्ट्रों को व्यापारिक समान अधिकार देने से ही समानता स्थापित नहीं हो सकती। यह घोड़े और घास को समान अधिकार देने जैसा है जिसमें घोड़े को घास खाने का और घास को अपने को बचाने का बराबर अधिकार दिया जाता है।

बाजारवाद और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद

जब से मनुष्य समाज में रहने लगा तभी से बाजार किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है। बाजार वह जगह है जहां हम वस्तुओं का मूल्य चुकाकर उन्हें अपने उपभोग के लिये खरीदते हैं। बाजार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है। बाजारवाद, बाजार से भिन्न है। बीसवीं शताब्दी के अंत में जब पूंजीवाद अंतिम सांसे लेने लगा था तथा फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड जैसे देशों का विकास भी अवरुद्ध हो गया था तब उनके द्वारा एक नया अर्थ तंत्र स्थापित किया गया। आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के नाम पर डंकल समझौते को दूसरी ओर तीसरी दुनिया के अविकसित तथा विकासशील देशों पर यूएनओ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं वर्ल्ड बैंक द्वारा लादा गया। इस समझौते की विभिन्न धाराओं द्वारा विश्व भर के बाजारों को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के अबाध व्यापार के लिये खोलने की व्यवस्था कर दी गई। जी.-7 और यूरोपियन यूनियन के राष्ट्रों को पता था कि उन्नत तकनीक के बल पर वे जो कुछ उत्पादित करेंगे वह दूसरे और तीसरे विश्व की मंडियों में बिकेगा और इस प्रकार विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास का रास्ता और प्रशस्त हो जाएगा। दूसरी दुनिया के विकासशील राष्ट्र भी अपने कुछ उत्पाद उनकी मंडियों में बेच पाएंगे परन्तु यह प्रतियोगिता दो असमान राष्ट्र समूहों में ही होगी। तकनीकी रूप से उन्नत यूरोपयी और अमरीकी राष्ट्र निश्चय ही इस बाजारवादी व्यवस्था का लाभ उठाएंगे। इस व्यवस्था में किसी राष्ट्र को अपने व्यापार या उद्योग को अनावश्यक संरक्षण देने का अधिकार नहीं होगा और विश्व व्यापार संगठन विभिन्न राष्ट्रों के बीच उठने वाले विवादों का निपटारा करेगा। इस संगठन में भी वर्चस्व उन्नत राष्ट्रों का रहेगा और पेटेंट कानून तक उनके पक्ष में बनेंगे यह सुनिश्चित कर लिया गया। तीसरी दुनिया के अविकसित राष्ट्र पूरी तरह शोषण का शिकार होंगे।

पश्चिम का हथियारों का बाजार निर्धन राष्ट्रों के सारे संसाधन निगल रहा है और उन्हें युद्धों में भी धकेल रहा है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आर्थिक रूप से इतनी सशक्त हैं कि वे विकासशील राष्ट्रों के घरेलू मामलों में दखल देने लगी हैं और उनकी प्रभुसत्ता के लिये खतरा बन रही हैं।

बाजारवाद मूलतः उन्नत राष्ट्रों द्वारा पूंजीवाद को नवजीवन देने वाली विचारधारा है जिसके अनुसार विश्व भर में वस्तुओं का उत्पादन और विक्रय बेरोकटोक होने देने की व्यवस्था है। कहने को यह समानता पर आधारित है परन्तु शक्तिसम्पन्न और निर्बल राष्ट्रों को व्यापारिक समान अधिकार देने से ही समानता स्थापित नहीं हो सकती। यह घोड़े और घास को समान अधिकार देने जैसा है जिसमें घोड़े को घास खाने का और घास को अपने को बचाने का बराबर अधिकार दिया जाता है।

बाजारवाद का सबसे बड़ा हथियार प्रचार माध्यम है, जिनके द्वारा प्रचार करके साधारण ग्राहक को फुसलाया, भरमाया और लूटा जाता है। चमत्कृत करने वाले विज्ञापनों से आम आदमी में इच्छाएं पैदा की जाती है, इच्छाओं से उन वस्तुओं की मांग पैदा होती है जो उन्नत राष्ट्रों ने तैयार की होती हैं। इस प्रकार बाजारवादी व्यवस्था में निरंतर असंतुष्ट उपभोक्ता पैदा किये जाते हैं जो अनावश्यक वस्तुओं के पीछे भागते हुए जीवन समाप्त कर देते हैं। बाजारवादी व्यवस्था में बाजार केवल आवश्यकता की वस्तुएं ही प्रदान नहीं करता

बल्कि आवश्यकताएं भी पैदा करता है। इस व्यवस्था में इच्छा, आवश्यकता और विलासिता में कोई अन्तर नहीं रहने दिया जाता।

बाजारवादी व्यवस्था में विज्ञापनबाजी और प्रस्तुतिकरण की चमक दमक से ग्राहकों को आकर्षित किया जाता है और वस्तुओं की जगह ब्रांड बिकने लगते हैं। वस्तु पर ब्रांड का स्टिकर लगते ही उसकी कीमत चौगुनी, दस गुणी हो जाती है क्योंकि वहां वस्तु के उपभोग का ही मानद उपभोक्ता नहीं लेता, उससे जुड़े रुतबे का सुख भी भोगता है। ब्रांड के रूप में हम वस्तु नहीं, वस्तु की छाया मात्र खरीदते हैं। इस प्रकार बाजार छलनाओं का संसार रचता है।

बाजारवादी व्यवस्था में लाभ और लोभ के आदर्श ही सर्वोपरि होते हैं। छल-कपट, भ्रष्टाचार और शोषण जैसे भी हो लाभ बढ़ना चाहिये, यही सिद्धांत बाजार पर हावी रहता है। समाज में अमीर अधिक अमीर तथा गरीब अधिक गरीब होता है। बाजारवाद बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अन्ततः एकाधिकार की ताकत दे देता है और साधारण व्यापारी, कृषक हो जाते हैं। खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश को अनुमति देने से यही होगा तथा बाजारवाद और बढ़ेगा।

आज स्थिति यह है कि बाजारवाद के कारण सरकारें अपने लोगों को आर्थिक अनुदान तक नहीं दे पा रही है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के अंकुश कमजोर राष्ट्रों को विवश कर देते हैं। आज बाजारवाद ने हमारे उद्योग, कृषि और व्यापार को ही नहीं सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक शुचिता को भी दूषित कर दिया है।

बाजारवाद कमजोर राष्ट्रों के आर्थिक विकास को अवरुद्ध कर उसका शोषण तो करेगा ही उनकी संस्कृति के लिये भी खतरा बनेगा। आप पूछ सकते हैं कि बाजारी वस्तुओं का संस्कृति से क्या लेना-देना?हम जानते हैं कि किसी भी समाज में जिन वस्तुओं का उपयोग होता है वे उस समाज में सदियों के प्रयास से प्रचलित होती हैं। वे वस्तुएं वहां के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। पश्चिम के उन्नत राष्ट्र लाभ कमाने के लिये अपने यहां तैयार वस्तुओं को हमारे बाजारों में बेचना चाहेंगे। इसके लिये उन्हें उन वस्तुओं को हमारे बाजार और व्यवहार से निकालना होगा जिनका प्रयोग हम सदियों से करते आए हैं। हमारे यहां त्योहारों पर लड्डू, बर्फी, कचौरी, मठरी आदि बिकती हैं और विदेशी यहां चॉकलेट, बिस्कुट, बर्गर, पीजा प्रचलित करना चाहते हैं। इसलिये वे सिद्ध करेंगे कि चॉकलेट, बिस्कुट आदि बर्फी, लड्डू से बेहतर हैं, अधिक पौष्टिक हैं। वे यह भी सिद्ध करेंगे कि उनके बनाए पदार्थ अधिक देर तक चलेंगे और किटाणुरहित रहेंगे। वे विज्ञापनों के द्वारा यह भी सिद्ध करेंगे कि बर्फी लड्डू पिछड़ों और गवारों के प्रयोग के लिये हैं जबकि चॉकलेट आदि उच्च वर्ग के लोगों के लिये हैं, सम्मानजनक पदार्थ हैं।

बाजारवाद उन्नत राष्ट्रों के हित में है क्योंकि वे बड़े स्तर पर उत्पादन करने में समर्थ हैं, तकनीकी ज्ञान और शोध के क्षेत्र में वे बहुत आगे हैं। आज संस्कृति को भी उन्होंने व्यापार में बदल दिया है। सांस्कृतिक उत्पादों से लाभ कमाने के लिये हमारी आस्थाएं, विश्वास और विचार भी उनके बाजारवाद की लपेट में आ गए हैं। तकनीक के सहारे वे हनुमान, माई फ्रेंड गणेशा जैसी कार्टून फिल्में बनाकर उससे पैसा कमाते हैं। रामायण और महाभारत तक को श्रद्धा और आस्था की जगह मनोरंजन का विषय बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। धार्मिक स्थलों को पर्यटकों की मौज-मस्ती के स्थल बना दिया गया है। हमारी लोकसंस्कृति के उत्पाद थोड़े बहुत बिकने लगे हैं परन्तु उनके द्वारा तैयार 'मॉस कल्चर' के उत्पाद टी.वी., फिल्मों और सीडी आदि के रूप में अरबों, खरबों के बिक रहे हैं। पश्चिम का हथियारों का बाजार निर्धन राष्ट्रों के सारे संसाधन निगल रहा है और उन्हें युद्धों में भी धकेल रहा है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आर्थिक रूप से इतनी सशक्त हैं कि वे विकासशील राष्ट्रों के घरेलू मामलों में दखल देने लगी हैं और उनकी प्रभुसत्ता के लिये खतरा बन रही हैं। आज स्थिति यह है कि बाजारवाद के कारण सरकारें अपने लोगों को आर्थिक अनुदान तक नहीं दे पा रही है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के अंकुश कमजोर राष्ट्रों को विवश कर देते हैं। आज बाजारवाद ने हमारे उद्योग, कृषि और व्यापार को ही नहीं सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक शुचिता को भी दूषित कर दिया है। बाजारवाद ऐसे संसार की रचना कर रहा है जिसमें पैसा ही प्रधान है, दया, करुणा, सहयोग और समता के लिये जिसमें कोई स्थान नहीं है। बाजारवाद अंततः पश्चिमी सांस्कृतिक साम्राज्यवाद को भी स्थापित करेगा। ❑

अंजुरी ठाकुर

संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा से आया है। मनुष्य और बाकी प्राणियों के बीच भेद का मूल संस्कृति है। यों मनुष्य भी प्राणी ही है, पर वह एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिकता के तत्व को लगातार सत्यमय, आनन्दमय और आत्ममय बनाने का मनुष्य कर्म ही संस्कृति है। अपनी भूमि, उसकी परम्पराओं, उसके ऐतिहासिक महापुरुषों के प्रति, उसकी सुरक्षा समृद्धि के प्रति, जिसकी अव्यभिचारी एवं एकांतिक निष्ठा हो वे भारतवासी हैं और यह हमारी संस्कृति की ही देन है।

भारतीय संस्कृति में पश्चिमी सभ्यता का बढ़ता प्रभाव

संस्कृति मानव की समस्त क्रियाओं और व्यवहारों का पर्याय है। संस्कृति किसी राष्ट्र के स्थायित्व, उसकी अंतरात्मा और विकास का अनंत काल तक प्रभावित होने वाला कोष है। भारत वर्ष की संस्कृति का आधार आत्मिक सुख पर निर्भर है। भारतीय संस्कृति की इस विशेषता के कारण संसार में भारतवर्ष का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। भारतीय संस्कृति में भौतिक सुख की अपेक्षा आत्मा की उन्नति को अधिक महत्व दिया जाता है तथा जीवात्मा को परमात्मा का अंश मानकर आत्मज्ञान पर विशेष बल दिया जाता है। वास्तविक सुख-शांति संतोष, परोपकार आदि गुणों को अपनाने पर प्राप्त होता है। आत्मा के सुख के सम्मुख सभी भौतिक सुख नगण्य (तुच्छ) हैं। अपने इस प्रकार के सिद्धांतों के कारण ही भारत विश्वगुरु कहलाया।

भारत आस्था का देश है। भारत सारी दुनिया से सद्विचार लेने को आज भी तत्पर है। दुनिया में केवल भारत ही विश्वास और तर्क की परस्पर विरोधी धारणा में जिया है। इसलिये भारतीय राष्ट्र का प्राण संस्कृति है। संस्कृति अंग्रेजी के कल्चर का अनुवाद नहीं है। कल्चर नीतिगत बाह्य अवधारणा है। संस्कृति आत्मपरक सत्यशासक आंतरिक रसमयता का प्रवाह है। संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा से आया है। मनुष्य और बाकी प्राणियों के बीच भेद का मूल संस्कृति है। यों मनुष्य भी प्राणी ही है, पर वह एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिकता के तत्व को लगातार सत्यमय, आनन्दमय और आत्ममय बनाने का मनुष्य कर्म ही संस्कृति है। अपनी भूमि, उसकी परम्पराओं, उसके ऐतिहासिक महापुरुषों के प्रति, उसकी सुरक्षा समृद्धि के प्रति, जिसकी अव्यभिचारी एवं एकांतिक निष्ठा हो वे भारतवासी हैं और यह हमारी संस्कृति की ही देन है।

संसार में प्रमुख रूप से दो संस्कृतियों का प्रचलन है। एक पूर्वी संस्कृति और दूसरी पश्चिमी संस्कृति। पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति में अत्यंत भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण हैं। पूर्वी सभ्यता आध्यात्मिक विचारधारा को लेकर संसार में सुख एवं शांति का सृजन करने का दावा करती है जबकि पश्चिमी सभ्यता भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिये ही है।

भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता अनेकता में एकता है। हमारे सहस्रों धर्मग्रंथ, सैकड़ों आचार ग्रंथ, तैतीस करोड़ देवता 18 पुराण, चार वेद, चार उपवेद, षड्दर्शन और अनेक सम्प्रदाय हैं। अनेक गुरु, महन्त, अखाड़े, उनकी विभिन्न मान्यताएं भी हैं। इन सबके होने पर भी हम एक परमेश्वर को मानते हैं और यह भी मानकर चलते हैं कि परमात्मा एक है किन्तु आवश्यकता पड़ने पर अनेक हो जाता है।

भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता अनेकता में एकता है। हमारे सहस्रों धर्मग्रंथ, सैकड़ों आचार ग्रंथ, तैतीस करोड़ देवता 18 पुराण, चार वेद, चार उपवेद, षड्दर्शन और अनेक सम्प्रदाय हैं। अनेक गुरु, महन्त, अखाड़े, उनकी विभिन्न मान्यताएं भी हैं।

डॉ. राधा कमल मुकर्जी का विचार है कि भारतीय संस्कृति में जो लचक और उदारता मिलती है इसी की वजह से वह आने वाली नस्लों और जातियों को अपने आप में पचा सकी है। वे मानते हैं कि इस देश में धर्मशास्त्र एवं रूढ़ियां उतनी असरदार साबित नहीं हुई जितनी असरदार सिद्ध हुई हैं। बौद्धिक और आध्यात्मिक परम्पराएं। दया, संयम, दान और नैतिकता के गुणों पर बुद्ध ने दया अहिंसा का मार्ग चुना। जैन धर्म इसी धरती पर उपजा जिसने नैष्ठिक

जीवन जीना सिखाया।

लेकिन पिछले कुछ वर्षों से भारत की सभ्यता और संस्कृति में एक परिवर्तन-सा होता जा रहा है। अपनी प्राचीन संस्कृति को निर्जीव मानकर भारतीय जनता ने अपने आपको भुलावे में डाल लिया है और अपने आदर्शों को खो दिया है।

राष्ट्रीयता, सामाजिकता एवं संस्कृति हमारी-पूंजी थी लेकिन धीरे-धीरे आज इसके मायने बदल गए हैं। हमने अपनी परम्पराओं, मर्यादाओं, संवदेनाओं, आत्मीयता भातृप्रेम एवं मातृप्रेम को खो दिया है। यही कारण है कि हम संस्कारहीन हो गए हैं। परिवार से गांव और गांव से समाज बनता है। अगर नींव पक्की नहीं होगी तो मकान के गिरने का हमेशा खतरा मंडराता रहता है। इसी तरह संस्कार विहीन व्यक्ति एक अच्छे समाज की कल्पना नहीं कर सकता। आज हमारी निष्ठाओं, आस्थाओं, नैतिकता, सहजता, सरलता एवं प्रामाणिकता की सौदेबाजी हो रही है। हम सम्भालने के बजाए और बिगड़ने की ओर बढ़ने में विश्वास करने लगे हैं। हमारे देश में सबसे बड़ा संकट संस्कृति की अवधारणा है। हम एक राष्ट्र, एक संस्कृति, एक जन की बात करते हैं लेकिन तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी विचारकों का मानना है कि हमारी संस्कृति मिश्रित और बहुरूपा है। यही कारण है कि आज तक भारत की कोई सांस्कृतिक नीति नहीं बन पाई। जब संस्कृति का स्वरूप और उसकी अवधारणा ही स्पष्ट न हो तो सांस्कृतिक नीति बनेगी कैसे। स्वतंत्रता के 50 वर्ष बीत जाने के बाद भी भारत की संसद में संस्कृति का कोई मंत्रालय तक गठित नहीं हुआ था। संस्कृति पर बातें तो सभी करते हैं और करना चाहते हैं पर उसके लिये समुचित आर्थिक व्यवस्था करना हमें अभी भी अपव्यय प्रतीत होता है।

जिस संस्कृति पर हमें गर्व था आज पूरा विश्व उस ओर आकृष्ट हो रहा है लेकिन हम अपनी ही संस्कृति को भुलाए जा रहे हैं। हमारे सारे पारम्परिक संस्कार टूटने लगे हैं, परिवार बिखरने लगे हैं। राष्ट्रीय पहचान नष्ट होती जा रही है। हमारी संस्कृति की पहचान को बिगाड़ने में पत्र-पत्रिकाओं, चलंत व दृश्य विज्ञापनों एवं तथाकथित मनोरंजन केंद्रों की बड़ी भूमिका है।

जिस संस्कृति पर हमें गर्व था आज पूरा विश्व उस ओर आकृष्ट हो रहा है लेकिन हम अपनी ही संस्कृति को भुलाए जा रहे हैं। हमारे सारे पारम्परिक संस्कार टूटने लगे हैं, परिवार बिखरने लगे हैं। राष्ट्रीय पहचान नष्ट होती जा रही है। हमारी संस्कृति की पहचान को बिगाड़ने में पत्र-पत्रिकाओं, चलंत व दृश्य विज्ञापनों एवं तथाकथित मनोरंजन केंद्रों की बड़ी भूमिका है। लोकप्रियता के नाम पर अधिकतर पत्र-पत्रिकाएं नग्न एवं अश्लील चित्रों व विज्ञापनों को विशेष स्थान देते हैं। यह पत्र-पत्रिकाएं उन समान्य पाठकों के परिवारों में भी पहुंचती हैं जहां व्यस्क, किशोर बालक-बालिकाएं, माताएं-बहनें पढ़ती हैं और देखती हैं। अब तो दैनिक समाचार पत्र भी बॉक्स बनाकर यौनोत्तेजक दवाओं और सुरक्षित यौन सम्बंधों के निमित्त निर्मित उपकरणों के विज्ञापन भी धड़ल्ले से छापने लगे हैं। विज्ञापन समाचार जगत के लिये आय का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। परिणामस्वरूप उपभोक्तावाद सांस्कृतिक क्षेत्र पर निरंतर भारी पड़ रहा है। आए दिन शहरों में कोई न कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जिसे 'सांस्कृतिक कार्यक्रम' का नाम तो दिया जाता है लेकिन देह-प्रदर्शन, स्वेच्छारिता, निरंकुश कामुकता का सार्वजनिक मंचन होता है। सौंदर्य प्रतियोगिता, प्रतिभा खोज, उभरते कलाकार, कुछ भी हो इनका काम एक ही है– असांस्कृतिक या अपसांस्कृतिक आचार-विचार का आकर्षण एवं अनुकरणीय सम्प्रेषण।

कहीं वैलेंटाइन डे कहीं नान स्टॉप डांसिंग देर रात तक बाजारों, होटलों, मदिरालयों और मसाज पार्लरों को खुले रखने के लिये सरकारी संरक्षण है। जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिये कभी-कभार छापामारी कर धर पकड़ का नाटक जरूर किया जाता है।

अब धीरे-धीरे भारतीय संस्कृति पर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और भारत इस वैज्ञानिक युग में भौतिक उन्नति के लिये उसी दृष्टिकोण से सोचने लगा है जिससे यूरोपीय देश सोचते हैं। आज के युग में बाहरी दिखावे का महत्त्व इतना अधिक हो गया है कि मनुष्य के जीवन में बड़ी बनावट आ गई है। इस दौड़-धूप के वातावरण में स्वार्थ एवं अविश्वास बढ़ रहा है। इसी के कारण दुख और दरिद्रता बढ़ रही है। **हमें अपनी प्राचीन संस्कृति, सभ्यता को पुनः जीवित करने की आवश्यकता है जिससे हमारा देश अपने उस गौरव को प्राप्त कर सके जिसके बल पर उसने संसार में अपना प्रभाव जमाया है।** ❑

आचार्य वासुदेव शर्मा

ईश्वरवादी, अनीश्वरवादी, आस्तिक-नास्तिक, साकार-निराकार यहां सभी विचारों का सम्मान हुआ है और उनके अनुयायी भी रहे हैं। लेकिन कभी भी किसी भी विचार या मत के मानने वालों ने किसी तरह के भय, लोभ, लालच या प्रलोभन से किसी को अपने मत में शामिल करने का प्रयास नहीं किया। चूंकि वैचारिक स्वतंत्रता यहां की विशेषता रही है, उस प्रवाह में कोई इधर-उधर हुआ हो उससे किसी भी प्रकार से भारतीय सनातन संस्कृति पर कभी कोई अंतर नहीं पड़ा और न ही राष्ट्र की अस्मिता पर आंच आई। बल्कि हमारी संस्कृति और पुष्ट हुई।

मतांतरण देश की अस्मिता के लिये एक बड़ी चुनौती

अपने पूर्वजों की परम्परा, आस्था और विश्वास के मार्ग से जब कोई मनुष्य पराई या विदेशी परम्पराओं और विश्वासों तथा देवी-देवताओं को मानने लगता है तो उस अवस्था को मतांतरण कहा जाता है। मतांतरण शब्द की जगह अब धर्मान्तरण शब्द प्रयोग में लाया जा रहा है। धर्म शब्द स्वयं में व्यापकता लिये हुए है और सिर्फ किसी एक मत या पूजा पद्धति से सम्बंध नहीं रखता। क्योंकि धर्म पर हमारे ऋषि-मुनियों ने जो व्यवस्थाएं दी हैं, उनसे नहीं लगता कि धर्म सिर्फ किसी मत तथा पूजा पद्धति तक ही सीमित है जैसे–

धृति क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्॥

अर्थात् धैर्य, क्षमा, स्वयं पर नियंत्रण, अचौर्य(वृत्ति) पवित्रता, इंद्रियनिग्रह, बुद्धिमता, विद्याग्रहण, सत्यता, अक्रोध आदि ये धर्म के दस लक्षण कहे गए हैं। धृयते धार्यते इति धर्मः जो धारण करता है, जिसे धारण करना चाहिये वह धर्म है। मनुष्य जीवन में धर्म स्वतः ही जुड़ा होता है। व्यक्ति किसी भी मत या सम्प्रदाय को मानने वाला हो सकता है परन्तु इन सनातन व्याख्याओं के अनुसार कोई भी व्यक्ति अधार्मिक नहीं हो सकता, आवश्यकता है धर्म को समझने और जानने की।

धृयते धार्यते इति धर्मः जो धारण करता है, जिसे धारण करना चाहिये वह धर्म है। मनुष्य जीवन में धर्म स्वतः ही जुड़ा होता है। व्यक्ति किसी भी मत या सम्प्रदाय को मानने वाला हो सकता है परन्तु इन सनातन व्याख्याओं के अनुसार कोई भी व्यक्ति अधार्मिक नहीं हो सकता, आवश्यकता है धर्म को समझने और जानने की।

मतांतरण जैसे विषय के लिये भारत सरीखा देश शायद प्राकृतिक रूप से ही अनुकूल है। इसका कारण है हम भारतीयों में आवश्यकता से अधिक सहिष्णुता, धर्मनिष्ठा, आतिथ्य भाव की प्रधानता, सहज विश्वास करना आदि स्वाभाविक गुण रूप से विद्यमान हैं। हालांकि ये सब श्रेष्ठ मानवीय गुण हैं और इन गुणों पर हमारे धर्म ग्रंथों में स्थान-स्थान पर विस्तृत चर्चा भी की गई है जिसका हमारे जीवन पर गहन प्रभाव है। हमारे यहां वैचारिक स्वतंत्रता आदि काल से ही रही है, कभी भी दूसरों पर अपना विचार थोंपने की परम्परा यहां नहीं रही।

इसी कारण से यहां कई मत-सम्प्रदाय फले-फूले और समान रूप से सनातन संस्कृति के ही सम्बल बने। ईश्वरवादी, अनीश्वरवादी, आस्तिक-नास्तिक, साकार-निराकार यहां सभी विचारों का सम्मान हुआ है और उनके अनुयायी भी रहे हैं। लेकिन कभी भी किसी भी विचार या मत के मानने वालों ने किसी तरह के भय, लोभ, लालच या प्रलोभन से किसी को अपने मत में शामिल करने का प्रयास नहीं किया। चूंकि वैचारिक स्वतंत्रता यहां की विशेषता रही है, उस प्रवाह में कोई इधर-उधर हुआ हो उससे किसी भी प्रकार से भारतीय सनातन संस्कृति पर कभी कोई अंतर नहीं पड़ा और न ही राष्ट्र की अस्मिता पर आंच आई। बल्कि हमारी संस्कृति और पुष्ट हुई। इस संस्कृति में सदा से श्रेष्ठ विचारों का स्वागत होता रहा है।

दुर्भाग्य से भारतवर्ष को लगभग एक सहस्राब्दी तक गुलामी का दंश झेलना पड़ा। मुगलशासकों ने अपनी सत्ता को स्थायी बनाने के लिये हमारी समृद्ध संस्कृति और सांस्कृतिक प्रतिमानों को ध्वस्त करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। तलवार के बल पर लोगों का इस्लामीकरण किया गया। कई तरह के प्रलोभन देकर लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया गया। औरंगजेब ने तो हिन्दुस्तान को इस्लामीस्तान बनाने की कसम ही खा रखी थी। उस काले युग की छाया आधुनिक भारत में कई गम्भीर समस्याओं की जननी

है। भारत के प्रमुख और सुप्रसिद्ध धर्मस्थलों-अयोध्या, मथुरा और काशी में स्वतंत्र भारत में भी पुलिस के पहरे में पूजा-पाठ सम्पन्न होता है। इतिहास के पन्नों को पलटकर हम देखते हैं तो बृहत्तर भारत अखंड भारत के रूप में दृष्टिगोचर होता है। अब उसका विस्तृत भूभाग अफगानिस्तान, तिब्बत, पाकिस्तान, बंग्लादेश आदि के रूप में वर्षों पूर्व अलग कर दिया गया है।

मतांतरण रूपी राहु ने भारत को ग्रस लिया है जिस कारण से उसका आकार सिमट गया है। मतांतरण के दुष्परिणाम स्वरूप हम भारत-भूमि का विभाजन झेल चुके हैं। मतांतरण से राष्ट्रांतरण का विभत्स दृश्य भारत ने भोगा है। यह दुर्भाग्य ही है कि एक सौ इक्कीस करोड़ के देश में इस विषय को लेकर वह पीड़ा नहीं उठती जो कुछ राष्ट्रहित चिंतकों के दिल में उठती है। दासता का भाव आज भी बहुसंख्या में दृष्टिगोचर होता है। देश के कई प्रांत मतांतरण के विषय से घुलते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों की समस्या की जड़ मतांतरण ही है।

मतांतरण का एक और खतरनाक दौर सुदूर सात समुद्र पार पुर्तगाल से आए नाविक वास्को-डी-गामा से शुरू होता है। हालांकि वह लोगों को मतांतरण के दुष्चक्र में फंसाने में उतना सफल नहीं हो सका, लेकिन 1542 ई. में सेंट जेवियर के भारत आने पर मतांतरण का यह गर्हित कृत्य जोर पकड़ गया। उसने धोखे से गोआ के समुद्र तट पर मछली पकड़ने वालों को अपने जाल में फंसाना आरम्भ किया। उस समय के आंकड़ों के हिसाब से उसने सात लाख मछुआरों को ईसाई बनाया। उसके अत्याचारों की काली करतूतें गोआ के इतिहास में एक काला अध्याय है। इसके पश्चात् तो भारत में व्यापार के बहाने फ्रेंच, डच, जर्मन, इटालियन और अंग्रेज पादरियों में यहां आने की होड़ सी लग गई। तब से लेकर इन्होंने भारत के भोले-भाले लोगों को मतांतरित करने के लिये कई तरह के हथकंडे अपनाए।

1859 में तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर पादरियों को ईसाई मत के प्रचार के लिये सरकारी सहायता देने की बात कही थी। ईसाई कुचक्र ने तो इस देश की सभ्यता, संस्कृति और शैक्षिक ढांचे को तहस-नहस करके रख दिया। ईसाई प्रचारक गांव-गांव जाकर लोगों में ईसाई मत का प्रचार करते और लोगों को फरेब और धोखे से मतांतरित करते। जैसे-जैसे ईस्ट इंडिया कम्पनी क रूप में उन्होंने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की वैसे-वैसे मतांतरण ने जोर पकड़ लिया। कुछ लोगों को सत्ता में अच्छे पदों का लालच देकर, कुछ को अच्छी शिक्षा देने के नाम पर तो बहुतों को डरा धमकाकर ईसाई बनाया गया। आगे चल कर तो शिक्षा का ढांचा तक पूर्ण रूप से बदल दिया गया, उसका उस समय यह असर हुआ कि जो इंग्लैंड से पढ़कर आता था उसे ही अच्छा पढ़ा लिखा समझा जाने लगा। ऐसे स्नातकों के कारण भी मतांतरण के दुष्चक्र में वे कामयाब हुए। मतांतरण के विष से समाज में विघटन का वातावरण पैदा हो जाता है। मतांतरित व्यक्ति के सोचने का नजरिया बदल जाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी संस्कृति में कई तरह को दोष निकालने शुरू कर देता है।

स्वामी विवेकानंद के शब्दों में– 'यदि एक हिन्दू मतांतरित होता है तो सिर्फ संख्या में एक हिन्दू कम नहीं होता, बल्कि एक शत्रु संख्या में बढ़ जाता है।' यह वर्षों पहले कही गई बात अक्षरश: सत्य है। यह बात कई बार चरितार्थ हो चुकी है। सारे भारत में धर्मान्ध मुस्लिम एवं चर्च पोषित उग्रवाद के कारण असुरक्षा और अशांति का माहौल है। मतांतरित व्यक्ति अपने भाई बंधुओं से शत्रुवत् व्यवहार करने पर आमादा रहते हैं। उन्हें अपना राष्ट्र-राष्ट्र नहीं लगता। वे धन बल के वशीभूत हो अपनों के ही खिलाफ खड़े हो जाते हैं।

मतांतरण करने वाली मिशनरियां दशकों से भारत के संविधान की धारा 25(1) का खुल्लम-खुल्ला दुरुपयोग कर रही है। इस धारा में मतांतरण का कहीं भी जिक्र नहीं है। लेकिन हमारे सत्ताधीशों की वोट नीति के चलते इस धारा का दुरुपयोग करने में कहीं न कहीं परोक्ष समर्थन है। संविधान में आज तक अपने स्वार्थपूर्ति के लिये कितने ही संशोधन हो चुके हैं, पर मजाल की इस तरह की द्विविधात्मक स्थिति को ठीक करने की बात कभी इन राजनेताओं ने सोची हो।

हमारे समाज को सामूहिक रूप से मिल बैठकर इस गम्भीर समस्या के निदान के लिये कुछ उपाय अवश्य सोचने होंगे। **समाज में व्याप्त छुआछूत जैसे चर्मरोग को जड़ से दूर करना होगा। संविधान प्रदत्त समानता के अधिकार का सम्मान करना होगा। समाज के सभी वर्गों तक आवश्यक सुविधाओं का पहुंचना सुनिश्चित करना होगा। शिक्षा में भेदभाव को दूर करना होगा। ऊंच-नीच के मोह से उबरना होगा। मतांतरण करने वाली मिशनरियों को रोकने का कारगर तरीका होगा कि जिन क्षेत्रों में वे सेवा के छद्म को लेकर जाते हैं उनसे पहले वहां हमारी उपस्थिति होनी चाहिये। जिससे कि वे भोले-भाले, अनपढ़, गरीब और पिछड़े लोगों को बरगला न सकें।** ये सब काम समाज के सहयोग से ही सम्भव हो सकते हैं, क्योंकि समाज जब राष्ट्र कार्य में जुटता है तो उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। ❑

सुभाष चंद्र सूद

भारत, चीन के बाद सर्वाधिक आबादी वाला विश्व का सबसे बड़ा सफल लोकतांत्रिक देश है। अपने प्राकृतिक साधनों, भरपूर खनिज पदार्थों अपनी भौगोलिक स्थिति एवं अपनी आईटी प्रतिभा ऊर्जा शक्ति सामर्थ्य के कारण भारत आज इक्कीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक में प्रवेश कर विश्व मंच पर अपने महाशक्ति बनने की आहट दे रहा है। विश्व के अन्य शक्ति सम्पन्न देश भी भारत की इस अंगड़ाई की ताकत को पहचान कर दबी जुबान में इसकी शक्ति एवं सामर्थ्य को पहचान कर मित्रता हेतु हाथ पसार रहे हैं,

महाशक्ति बनता भारत

विश्व का सबसे प्राचीन सांस्कृतिक सभ्यता सम्पन्न देश भारत सहस्त्रों वर्षों की विदेशी दासता एवं आर्थिक शोषण से 1947 में विभाजित होकर स्वतंत्र हुआ। कुटिल अंग्रेजों ने भारत के आंतरिक सामर्थ्य को पहचाना था इसलिए भारत सदा दुर्बल एवं भयभीत राष्ट्र बना रहे, विश्व मंच पर कभी भी अपनी उपस्थिति दर्ज न करा सके। इस कारण भारत की सीमा पर इस्लामिक राक्षस रूपी पाकिस्तान का निर्माण कर हमारे पड़ोस में सदा के लिये एक स्थाई शत्रु पैदा कर दिया। भारत, चीन के बाद सर्वाधिक आबादी वाला विश्व का सबसे बड़ा सफल लोकतांत्रिक देश है। अपने प्राकृतिक साधनों, भरपूर खनिज पदार्थों अपनी भौगोलिक स्थिति एवं अपनी आईटी प्रतिभा ऊर्जा शक्ति सामर्थ्य के कारण भारत आज इक्कीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक में प्रवेश कर विश्व मंच पर अपने महाशक्ति बनने की आहट दे रहा है। विश्व के अन्य शक्ति सम्पन्न देश भी भारत की इस अंगड़ाई की ताकत को पहचान कर दबी जुबान में इसकी शक्ति एवं सामर्थ्य को पहचान कर मित्रता हेतु हाथ पसार रहे हैं, उसे संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थाई सदस्य बनाने का भी अभियान चल रहा है परन्तु भारत के सुपर महाशक्ति बनने में अभी अनेक आंतरिक अवरोधक शक्तियां हैं वे क्या हैं आइये उनका विश्लेषण करें :–

व्यवधान-अवरोध

1. असुरक्षित सीमाएं एवं अविश्वसनीय पड़ोसी

अंग्रेजों की कूटनीति एवं कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्व की कमजोरी के कारण निर्मित हुआ पाकिस्तान चार बार हमसे प्रत्यक्ष युद्ध में हार चुका है। अब उसने अप्रत्यक्ष युद्ध (Proxy war) द्वारा देश में धार्मिक इस्लामिक जिहाद का नारा देकर आतंकी गतिविधियों द्वारा भारत को लगातार लहुलुहान करने का कुचक्र चलाया हुआ है। कश्मीर का एक चौथाई भाग वह पं. नेहरू की गलत, अदूरदर्शी नीतियों के कारण पहले ही हथिया चुका है। हमारी आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को खोखला करने हेतु उसने जाली नोट करन्सी, नशे की दवाईयां जैसे चरस, अफीम स्मैक की स्मगलिंग बड़े पैमाने पर आरम्भ की हुई है ताकि यहां की युवा पीढ़ी, व्यसनी एवं पथ भ्रष्ट होकर कुछ भी प्रतिरोध न कर सके। **दुर्भाग्य से भारत का वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व, सेकुलर फोबिया से ग्रस्त पाकिस्तान के इस नापाक इस्लामी आतंकी जिहादी मानसिकता को समझने में असफल है, दिग्भ्रमित है, इस कारण कठोर एवं स्पष्ट निर्णय लेने में अक्षम है।** हमारी पार्लियामेंट पर सीधा हमले करने वाले आतंकी अपराधी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी अभी तक फांसी की सजा नहीं पा सके हैं। 26/11 को मुम्बई पर हमला करने वाले आतंकी कसाब की रख-रखाव पर ही करोड़ों रुपये खर्च किया जा रहे हैं परन्तु निर्णय के कार्यान्वयन पर देरी की जा रही है। हमारा देश एक सॉफ्ट टार्गेट देश बनता जा रहा है। पाकिस्तान आज नेपाल, बंग्लादेश के माध्यम से भी अपनी नापाक आतंकी गतिविधियां चला रहा है।

भारत का दूसरा निकट पड़ोसी चीन उससे भी अधिक शातिर एवं धूर्त देश है। तिब्बत को वह निगल चुका है। 1962 में प्रत्यक्ष भारत पर हमला कर नेफा एवं लद्दाख में अक्साई चीन का हजारों वर्ग मील हिस्सा हथिया चुका है अब अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम पर नजरें गड़ाए बैठा है। पाकिस्तान की और उसकी अटूट मित्रता है, उससे कश्मीर का काफी भूभाग लेकर उसने वहां विश्व का सर्वाधिक ऊंचा कर्राकुर्रम राजमार्ग बनाया है। पाकिस्तान को परमाणु शस्त्रों, मिसाइलों, सैनिक सामान की सुविधाएं दे रहा है, बदले में कराची ब्लूचिस्तान में नौसैनिक अड्डे बनाने में मदद कर रहा

है। पड़ोसी नेपाल में सहायक माओवादी सरकार बनवाने के प्रयास में है। म्यांमार, श्रीलंका, बंग्लादेश, मालदीव से दोस्ती गांठकर वहां समुद्री नौसैनिक अड्डे बना कर समुद्री रास्ते से भारत की घेराबंदी करने के फिराक में है। हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं तथा पड़ोसी देश भरोसेमंद नहीं है। हमारी राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक पैसा पड़ोसी देशों से अपनी सुरक्षा करने में ही व्यय हो रहा है तथा जनकल्याणकारी कार्यों की उपेक्षा हो रही है।

2. राष्ट्रीय नेतृत्व दिशाहीन

दूसरा सबसे बड़ा अवरोध हमारे राष्ट्रीय राजनीतिक नेतृत्व का है जहां राष्ट्रीय चरित्र एवं राष्ट्रीय इच्छा शक्ति का अभाव है। हमारा अधिकांश राजनीतिक नेतृत्व, अवसरवाद एवं परिवारवाद के भ्रष्ट तंत्र से ग्रस्त है। अपने छोटे राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति हेतु जातिवादी राजनीति का संरक्षण लेता है, साथ ही अल्पसंख्यक मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कर, जनता को चुनावों में ही उलझाए रखता है। उसकी कथनी एवं करनी में बहुत अंतर है। जनता का धीरे-धीरे उससे मोहभंग होता जा रहा है जो देश को अराजकता की ओर ले जा सकता है।

अनियंत्रित जनसंख्या

हमारे देश की निरंतर बढ़ती जनसंख्या देश के चहुमुखी विकास में अत्यंत बाधक है। अपने सीमित संसाधनों के कारण हम एक नियंत्रित जनसंख्या को ही सामान्यत: मूलभूत सुविधाएं जैसे उचित मकान, अनाज, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। अन्यथा झुग्गी झोपड़ियों एवं स्लम्स जैसे नारकीय स्थानों की बहुतायत ही बढ़ेगी।

हमारा अधिकांश राजनीतिक नेतृत्व, अवसरवाद एवं परिवारवाद के भ्रष्ट तंत्र से ग्रस्त है। अपने छोटे राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति हेतु जातिवादी राजनीति का संरक्षण लेता है, साथ ही अल्पसंख्यक मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कर, जनता को चुनावों में ही उलझाए रखता है। उसकी कथनी एवं करनी में बहुत अंतर है। जनता का धीरे-धीरे उससे मोहभंग होता जा रहा है।

गरीबी-अमीरी का असंतुलन

भारत की 42 प्रतिशत जनसंख्या अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे है यानी वह मात्र सवा डॉलर 60 रुपये रोजपर बसर करती है। आय का भयंकर असंतुलन है जिससे अमीरी और गरीबी की खाई निरंतर बढ़ रही है। देश का एक हिस्सा इंडिया है जहां अमीरी की चकाचौंध है दूसर हिस्सा भारत है जहां गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वासों, बीमारियों एवं गंदगी का साम्राज्य है। देश में खरबपतियों एवं अरबपतियों की जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है जिससे देश का सामाजिक आर्थिक संतुलन बिगड़ रहा है।

बदहाल स्वास्थ्य सुविधाएं एवं सार्वजनिक अस्वच्छता

भारत दुनिया के मानचित्र पर मेडिकल टूरिज्म के एक लोकप्रिय डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। यहां विदेशी आकर सस्ते में अपनी हार्ट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, बोन मेरो ट्रांसप्लांट आदि करवा रहे हैं। इंग्लैंड, अमरीका में, सर्वाधिक भारतीय डॉक्टर वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं का आधार बने हुए हैं जिस कारण यहां से भयंकर प्रतिभा पलायन (Brain Drain) हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था से पोषित ये मेडिकल डॉक्टर बजाए भारतीय दीन दुखियों की पीड़ा मिटाने के, विदेशी सुख सुविधाओं के लालच में वहां की मेडिकल व्यवस्था का आधार स्तम्भ बने हुए हैं। हमारे सार्वजनिक स्थान, सड़कें, यातायात स्थल, सभी अत्यंत गंदे एवं भद्दी तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। लगता है हमने भ्रष्टाचार, गरीबी के साथ-साथ अस्वच्छता गंदगी को भी स्थायी रूप से अपना लिया है।

बढ़ता नक्सलवाद

हमारे असंतुलित योजना विकास के कारण जंगलों, खनिज पदार्थों का अनियंत्रित खनन एवं दोहन हो रहा है। इस कारण वहां के ग्रामीण, वनवासी साधनहीन एवं भूमिहीन होते जा रहे हैं। उन्हें विकास रोजी-रोटी एवं उन्नति के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिये उनमें असंतोष जन्म ले रहा है। चीन एवं उसके वैचारिक कम्यूनिस्ट नक्सलवादी इस असंतोष को हवा देकर देश में सशस्त्र विद्रोह एवं पुलिस एवं सेना के प्रति नफरत का अभियान चलाकर देश में गृहयुद्ध की स्थिति पैदा करने में प्रयासरत हैं। विदेशी एनजीओ एवं तथाकथित मानवाधिकार संगठन इन नक्सलवादी गिरोहों को वैचारिक संरक्षण प्रदान करते हैं। संक्षेप में ये कुछ कारण एवं व्यवधान हैं जोकि भारत को विश्व मंच पर अपना उचित एवं अपेक्षित स्थान प्राप्त न कर सकने में अवरोधक हैं जिनका उन्मूलन समय की राष्ट्रीय आवश्यकता है। ❑

subhashsud@yahoo.co.in

पाश्चात्य दृष्टिकोण और आधुनिकरण की चाहत में मानव अंधाधुंध प्रगति की राह में भागता जा रहा है। विकास की दौड़ में मनुष्य अपने लिए सुख-सुविधाएं तो जुटा रहा है लेकिन साथ ही गम्भीर संकट भी उत्पन्न कर रहा है। इन संकटों में सबसे गम्भीर संकट पर्यावरण की समस्या है। सारे विश्व का पर्यावरण संतुलन गड़बड़ा गया है। आज हमारा वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो चुका है। बढ़ते शहरीकरण में धरती, जंगली जानवर, वन, पेड़-पौधे पारम्परिक जल-स्रोत तेजी से नष्ट हो रहे हैं।

प्रदूषित पर्यावरण : मानव अस्तित्व पर मंडराता संकट

ब्रह्मांड में केवल धरती ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। इसकी सतह से 250-300 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु का एक आवरण है। इसी आवरण के कारण धरती पर जीवन सम्भव हो पाया है। लेकिन धरती के पर्यावरण को वर्तमान समय में कई तरह के गम्भीर संकाय से जूझना पड़ रहा है। भारत में पर्यावरण को प्रदूषित करने के अनेक कारण बनते चले जा रहे हैं। कल-कारखानों की वजह से प्रदूषण तो हो ही रहा है, इसके अतिरिक्त अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की वजह से भी प्रकृति तथा मानव के बीच की खाई चौड़ी होती जा रही है। हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल से ही समग्र मानव जाति तथा जीव-जन्तुओं के लिये पेड़-पौधों का विशिष्ट स्थान रहा है। किसी भू-खण्ड पर लगे वृक्ष और पेड़-पौधे न केवल आंखों को हरियाली का आनंद देते हैं बल्कि वातावरण को शीतल और पर्यावरण को मनोरम बनाते हैं। प्राचीनकाल में समृद्ध मानव समाज बड़े नगरों तथा किसान एवं लघु कृषक समाज गांवों में रहता था। इन दोनों से पृथक एक जन समाज ऐसा था, जो वनों में रहकर आम जनता की भलाई के काम करता था। उसे मुनि समाज अथवा ऋषि समाज कहा जाता था। ऋषि मुनियों के आश्रम में अनेक वनवासी जातियां भी जंगलों में रहती थीं। जंगलों में पर्यावरण को सुनियंत्रित तथा विशुद्ध बनाए रखने के लिये यज्ञ किये जाते थे। यज्ञ के समय पर वर्षा कराने, पर्यावरण को शुद्ध रखने तथा वातावरण को पवित्र बनाए रखने के श्रेष्ठ उपाय थे। हमारे वेदों, उपनिषदों तथा असंख्य ग्रंथों में यज्ञों तथा वृक्षों की महिमा का बखान किया गया है। हमारे देश में वृक्ष पूजन का रिवाज बहुत पुराना है। इन वृक्षों में वह पीपल, नीम, तुलसी, आमला तथा शमी प्रमुख हैं। वृक्ष और पौधों के पूजन के पीछे पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने की भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। वह वृक्ष को अविनाशी माना जाता है। पीपल पेड़ के बारे में कहा जाता है कि उसे बढ़ने के लिये बहुत कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और वह इतना गुणकारी है कि अधिकतम ऑक्सीजन देकर प्राणी मात्र का कल्याण करता है। जो पेड़ ऑक्सीजन छोड़े और कार्बन डाईऑक्साइड को पचा जाए, वह पर्यावरण को अच्छा बनाए रखने के लिये कितना जरूरी है। इसका पता हमारे ऋषि-मुनियों को भी भली-भांति था। उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी कि पीपल व वट के पेड़ों को काटना महापाप है। पीपल का तो एक पता भी नहीं तोड़ना चाहिये क्योंकि इसके हर पत्ते में किसी न किसी देवता का वास बताया गया है। श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है कि पेड़ों में मैं 'पीपल' का पेड़ हूं। कदंब का पेड़ और तुलसी का पौधा दोनों श्रीकृष्ण की प्रिय थे। उड़ीस में शमी का पेड़ काफी पवित्र माना गया है। भगवान विष्णु का यह प्रिय पेड़ है। इससे हमें पता चलता है कि हमारी संस्कृति में पर्यावरण को शुद्ध रखने तथा पेड़ों की रक्षा की ओर कितना ध्यान दिया जाता था। आज हमने पेड़ों तथा पौधों के महत्व को भुला दिया है जिसके परिणामस्वरूप वर्षा कम हो रही है। वातावरण में नमी का अभाव हो गया है। भूमि कटाव बढ़ गया है, जलाशयों की कमी हो गई है। पानी की इस कमी के

आज हमने पेड़ों तथा पौधों के महत्व को भुला दिया है जिसके परिणामस्वरूप वर्षा कम हो रही है। वातावरण में नमी का अभाव हो गया है। भूमि कटाव बढ़ गया है, जलाशयों की कमी हो गई है। पानी की इस कमी के परिणामस्वरूप जल-जंतुओं का ह्रास होता जा रहा है।

कारण जल-जंतुओं का ह्रास होता जा रहा है।

आज मानव अस्तित्व पर ग्लोबल वार्मिंग का संकट मंडराता नजर आ रहा है। 6 अप्रैल, 2007 को ब्रसेल्स में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय पैनल (आईपीसीसी) की अब तक की सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि तापमान बढ़ने से गंगोत्री सहित हिमालय के अनगिनत ग्लेशियरों के पिघलने की दर में उछाल आया है। ये ग्लेशियर काफी तेजी से पिघल रहे हैं। हिमालय से एशिया की आठ प्रमुख नदियों (गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, मेकांग, थालबिन यांगजे और येलो) को पानी मिलता है। इसी सदी के चौथे दशक तक हिमालय के ग्लेशियरों का क्षेत्रफल पांच लाख वर्ग किलोमीटर से घटकर मात्र एक लाख वर्ग किलोमीटर रह जाएगा। इससे नदियां सूखने लगेंगी। परिणामस्वरूप पीने और सिंचाई के लिये पानी की कमी हो जाएगी जिससे फसलें नष्ट हो जाएंगी और लोग भूख से बुरी तरह कराहेंगे। रिपोर्ट में बताया गया है कि यूरोपीय देशों को भी अभूतपूर्व मौसमी परिवर्तन के दौर से गुजरना होगा। यहां भी अकाल से सामना होगा और जीव-जन्तुओं की अनेक प्रजातियां सदा के लिये विलुप्त हो जाएंगी।

इसी सदी के चौथे दशक तक हिमालय के ग्लेशियरों का क्षेत्रफल पांच लाख वर्ग किलोमीटर से घटकर मात्र एक लाख वर्ग किलोमीटर रह जाएगा। इससे नदियां सूखने लगेंगी। परिणामस्वरूप पीने और सिंचाई के लिये पानी की कमी हो जाएगी जिससे फसलें नष्ट हो जाएंगी और लोग भूख से बुरी तरह कराहेंगे।

वर्तमान समय में वातावरण में कार्बन डाईऑक्साइड की मात्रा में 31 प्रतिशत और वातावरणीय मीथेन में 151 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जैसे-जैसे इन गैसों की मात्रा बढ़ती है वैसे-वैसे और अधिक उष्मा वातावरण परत में फंस जाती है और वापिस अंतरिक्ष में नहीं जा पाती है। यही उष्मा का प्रसार जलवायु में परिवर्तन का कारण बनता है और इसके परिणामस्वरूप मौसम प्रणाली में परिवर्तन आता है और इसी के कारण अत्यधिक वर्षा, सूखा, बाढ़ और चक्रवात जैसी प्राकृतिक घटनाएं और अधिक संख्या में घटित होती हैं।

इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, मुम्बई के अनुसार जिस तेजी से वैश्विक तापमान बढ़ रहा है यदि यह इसी तरह जारी रहा तो जल्दी ही इसका प्रभाव भारत के पर्यावरण अर्थव्यवस्था और सकल घरेलू उत्पाद पर पड़ सकता है। वर्ष में 7 प्रतिशत कमी और तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से कृषि के कुल राजस्व में 12.3 प्रतिशत की कमी आएगी। चावल का उत्पादन 15 से 43 प्रतिशत और गेहूं का उससे 4 प्रतिशत कम हो जाएगा। वर्षा आधारित खेती को 12.5 करोड़ टन का नुकसान उठाना पड़ेगा। समुद्र का स्तर एक मीटर ऊंचा उठने से 576.4 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाएगी। एशियाई विकास बैंक के अनुसार भारत में 71 लाख लोग विस्थापित हो जाएंगे।

दूसरी तरफ प्रदूषण की समस्या ने भी अपना विकराल रूप अपना लिया है। प्रदूषण की भयावह समस्या ने समूचे विश्व को झकझोर कर रख दिया है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने प्राकृतिक वातावरण को दूषित कर दिया है और आज उन्हें ही इस समस्या का हल नहीं मिल रहा है। मनुष्य ने जब से प्रकृति का आंचल छोड़ा और विज्ञान की आंख मूंद कर शरण ली तभी से वह अनजाने में अपने ही विनाश की खाई खोदने लगा। वायुमंडल दूषित हो गया है। शहरीकरण को बढ़ावा मिला है। गांव समाप्त होते जा रहे हैं। हरियाली मिटती जा रही है– पेड़-पौधे कटते जा रहे हैं। खुले खेतों को छोड़ कर घरों और कारखानों के बंद वातावरण में रहने से मानवता का दम घुटने लगा है। प्रदूषण का एक और भयंकर रूप ध्वनि प्रदूषण है। लगातार शोर-शराबे में रहने के कारण मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। प्रदूषित वातावरण में रहते हुए मनुष्य की सोच भी प्रदूषित हो चुकी है।

आज हमें समय रहते विचार करना होगा। देश के हर कोने में वृक्षारोपण के लिये और प्रदूषण के प्रति जागरुकता फैलाने के लिये जनमत तैयार करना होगा। ग्लोबल वार्मिंग की दूर को कम करने के लिये ताप प्रसारक गैसों के उत्सर्जन को कम करना होगा।

पेड़-पौधों और पर्यावरण में एक-दूसरे पर निर्भर रहने वाले सम्बंध हैं। यदि पर्यावरण साफ-सुथरा व शुद्ध है तो पेड़-पौधों को जान मिलेगी व बढ़ेंगे और पर्यावरण को शुद्ध रखेंगे। इसलिये हमें जागरुक होना होगा। पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिये समाज के हर वर्ग व सरकार दोनों को ही अपने कर्त्तव्य का पालन करना होगा। ❑

(लेखक विश्व संवाद केंद्र, शिमला के प्रमुख हैं।)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अ.भा. प्रतिनिधि सभा का आह्वान

राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण राजनीतिक न होकर एक जन-एक राष्ट्र के सिद्धांत पर आधारित हो

प्रस्ताव-1

भारत में आज भूमि अधिकार, राजनैतिक अधिकार, बाँध तथा नदी-जल का बँटवारा, एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों का स्थानांतर, जाति, जनजाति और संप्रदाय के आधार पर विभिन्न गुटों में हो रहे संघर्ष इत्यादि विविध विषयों पर जन अभियान खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन अभियानों में कुछ निहित स्वार्थी तत्वों के कृत्यों के कारण समाज के विभिन्न घटकों में जो वैमनस्य बढ़ रहा है उस पर अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा चिंता व्यक्त करती है।

अ.भा.प्र.स. कहना चाहती है कि परिपक्व राजनीतिज्ञों द्वारा ऐसे विषयों को अत्यंत सावधानी तथा संवेदनशीलता से संभालना चाहिये। समाज की एकता और एकात्मता को सर्वोपरि मानकर ही ऐसे विषयों का हल ढूँढना चाहिये। दुर्दैव से अनुभव में यही आ रहा है कि क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ के लिए जनता की भावनाओं को उछाला जा रहा है, जिसके कारण समाज के एकत्व को क्षति पहुँच रही है।

जन प्रबोधन और जागरण में प्रचार माध्यमों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसे विषयों में कुछ प्रचार माध्यमों की सनसनी फैलाने की प्रवृत्ति न केवल इन अभियानों को नुकसान पहुँचाएगी वरन सामाजिक तानेबाने पर भी उसका विपरीत असर होगा। ऐसे अभियानों का नेतृत्व करने वाले सामाजिक संगठनों का यह गुरुतर दायित्व बनता है कि वे विभेदकारी प्रवृत्तियों को हावी न होने दें तथा निहित स्वार्थ रखने वाले अन्तर्बाह्य तत्वों को इन अभियानों का लाभ न उठाने दें, ताकि वे सामाजिक सामंजस्य तथा राष्ट्रीय एकता के वातावरण को हानि न पहुँचा सकें। प्रतिनिधि सभा प्रचार माध्यमों और सामाजिक संगठनों के नेतृत्वकर्ताओं का आवाहन करती है कि वे ऐसे अभियानों को सही दिशा प्रदान करने में रचनात्मक भूमिका निभाएँ।

प्रतिनिधि सभा ऐसे अभियानों के नेताओं तथा सहभागी जनता का आवाहन करती है कि वे समाज की व्यापक एकता और एकात्मता को अपनी दृष्टि से ओझल न होने दें। अपनी माँगों का समर्थन करते हुए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि अपने वक्तव्यों तथा कृत्यों से हमारे सामाजिक तानेबाने में दरार न आये तथा राष्ट्रीय एकता के सूत्र कमजोर न हों।

अ.भा.प्र.स. इसे गंभीर चिंता का विषय मानती है कि 'साम्प्रदायिक तथा लक्षित हिंसा रोक विधेयक' तथा अल्पसंख्यक आरक्षण जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार की कार्यवाहियाँ समाज के विभिन्न घटकों में विभेद और वैमनस्य पैदा करने का कारण सिद्ध हो रही हैं। केन्द्र तथा कुछ राज्य सरकारों द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के 27 प्रतिशत आरक्षण में से 4.5 प्रतिशत हिस्सा अल्पसंख्यकों के लिए निकालने के संविधान-विरोधी निर्णय को पूरे राष्ट्र द्वारा नकारना चाहिये। प्रतिनिधि सभा जोर देकर कहना चाहती है कि राष्ट्र की नीतियों का निर्धारण तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए नहीं वरन एक जन - एक राष्ट्र के सिद्धान्त के आधार पर होना चाहिये।

अ.भा.प्रतिनिधि सभा समस्त देशवासियों का और विशेष रूप से स्वयंसेवकों का आवाहन करती है कि क्षुद्र स्वार्थों के लिए सामाजिक एकता को नष्ट करने के कुछ समाज-घटकों के प्रयासों को परास्त करने में सक्रिय भूमिका निभाएँ।

प्रस्ताव-2

राष्ट्रीय जल-नीति प्रारूप-2012 पर पुनर्विचार आवश्यक

देश की प्राकृतिक सम्पदा हमारी समस्त जीव-सृष्टि की पवित्र विरासत है। इसलिये अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का यह सुविचारित मत है कि अपने जल संसाधनों, मिट्टी, वायु, खनिज सम्पदा, पशुधन, जैव विविधता और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को व्यापारिक लाभ के साधन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिये । इन संसाधनों के उपयोग व संरक्षण के प्रति हमारी दृष्टि, नीति, एवं व्यवहार तात्कालिक निजी लाभ की अपेक्षा समग्र जीव-सृष्टि के सुदीर्घ व पारस्परिकता-युक्त सह-अस्तित्व के सिद्धान्त पर केन्द्रित होने चाहिये। ऐसी स्थिति में पंच-महाभूतों में जल जैसी प्रकृति की पवित्र देन को निजी एकाधिकार एवं व्यापारिक लाभ की वस्तु बनाने की दिशा में सरकार के बढ़ते कदम अत्यंत चिन्ता-जनक हैं।

केन्द्र सरकार ने हाल ही में प्रसारित राष्ट्रीय जल-नीति प्रारूप-2012 में जल को जीवन के आधार के रूप में वर्णित करने के साथ ही अत्यन्त चतुराई से विश्व बैंक व बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सुझाए व्यापारिक प्रतिरूप (model) की क्रियान्विति के प्रस्तावों का समावेश कर इस दिशा में अपनी दूषित मानसिकता को प्रकट कर दिया है। जल-नीति के इस नवीन प्रारूप में जल का शुल्क लागत आधारित करने व जल-उपभोग को नियंत्रित करने के नाम पर जल व विद्युत के दाम बढ़ाने के प्रस्ताव जल को जन-साधारण की पहुँच से बाहर करने वाले सिद्ध होंगे। इन प्रस्तावों का उद्देश्य जल के कारोबार में प्रवेश करने वाली कम्पनियों के लिए लाभ का मार्ग प्रशस्त करना है। विश्व में सर्वत्र जल के निजी एकाधिकार के अनुभव जलापूर्ति की मात्रा, गुणवत्ता, नियमितता व मूल्य की दृष्टि से निराशाप्रद ही रहे हैं। जलनीति में जल को आर्थिक वस्तु या व्यापार योग्य वस्तु ठहराकर, सरकार उन अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक परामर्शदाताओं को सैद्धान्तिक समर्थन दे रही है जो भारत सहित विकासशील देशों में जल के निजीकरण में खरबों डालर के लाभकारी कारोबार के अवसर देख रहे हैं।

अ.भा. प्रतिनिधि सभा का मानना है कि जल हमारी सम्पूर्ण जीव-सृष्टि के जीवन का आधार है। इसलिए देश के जल संसाधनों के उचित प्रबन्ध, प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध पेयजल की सहज आपूर्ति एवं कृषि की आवश्यकताओं के साथ ही सभी सार्थक आर्थिक गतिविधियों के लिए उचित मूल्य पर जल उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। राष्ट्रीय जल-नीति से लेकर भू-उपयोग परिवर्तन एवं देश के सभी प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर ग्राम-सभाओं से लेकर उच्चतम स्तर तक गम्भीर विचार-विमर्श और तदनुरूप नीति-निर्माण सरकार की आज पहली प्राथमिकता होनी चाहिये।

इस परिदृश्य में अ.भा.प्रतिनिधि सभा सभी देशवासियों का आवाहन करती है कि जल जैसे प्रकृति के दिव्य उपहार के दुरुपयोग, अपव्यय एवं सभी प्रदूषणकारी गतिविधियों से दूर रहते हुए जल संरक्षण के लिए हर सम्भव प्रयत्न करें। इसके साथ ही प्रतिनिधि सभा सरकार से अपेक्षा करती है कि वह जल जैसे प्रकृति के उपहार को निजी एकाधिकार में देने के स्थान पर उचित जल संरक्षण, संवर्द्धन व प्रबन्धन की नीति अपनाए। जल की बढ़ती आवश्यताओं के लिए पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल के पुनर्शोधन, निर्लवणीकरण से लेकर नदियों में प्रवाहमान जलराशि का सार्थक उपयोग सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रकार के प्रभावी उपाय भी अत्यंत आवश्यक हैं। देश के जल-स्रोतों के संरक्षण व संवर्द्धन की दृष्टि से गंगा-यमुना सहित सभी नदियों व अन्य जल-स्रोतों में बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने व सरस्वती नदी को पुनः प्रवाहित करने के लिए प्रभावी प्रयत्न किया जाना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार को इन कार्यों में सहयोग हेतु समाज, समाजसेवी संगठनों व धर्माचार्यों से भी सहयोग का आवाहन करना चाहिये। राष्ट्रीय जल-नीति प्रारूप के सम्बन्ध में प्रतिनिधि सभा सरकार को सचेत करती है कि यदि उसने इसे यथावत् स्वीकार करते हुए जल को निजी लाभ का साधन बनाने हेतु जल की कीमत को लागत आधारित बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए तो उसे सशक्त जन-प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। ❑

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में माननीय सरकार्यवाह का चुनाव किया गया जिसमें मा. भय्याजी जोशी का उसी पद पर अगले तीन साल के लिये फिर निर्वाचन हुआ है। संघ के संविधान के अनुसार यह चुनाव का वर्ष था। सरकार्यवाह का चुनाव तीन वर्ष के लिये होता है। इस पद हेतु केवल एक ही नाम आने के कारण 17 मार्च, 2012 की सुबह 10.30 बजे के सत्र के अंत में सर्वसंमति से मा. भय्याजी जोशी का फिर निर्वाचन घोषित हुआ।

अल्प परिचय : मूल इंदोर निवासी सुरेश सदाशिव जोशी भय्याजी जोशी के नाम से जाने जाते है। आप बाल्यकाल से संघस्वयंसेवक हैं। स्नातक के उपाधि बाद आपने कुछ वर्ष तक मुम्बई में नौकरी की। बाद में 1975 से आपका संघप्रचारक के रूप में जीवन शुरू हुआ। आप महाराष्ट्र में जिला तथा विभाग प्रचारक रहे। उसके बाद आप प्रांत सेवाप्रमुख भी हुए। पश्चिम क्षेत्र सेवाप्रमुख के नाते दायित्व निभाने के बाद आप अखिल भारतीय सह सेवा प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। 1998 से 2003 तक आप अखिल भारतीय सेवाप्रमुख थे। 2003 में सहसरकार्यवाह के रूप में आप कार्यरत हुए तथा 2009 में आप सरकार्यवाह के रूप में निर्वाचित हुए। इस वर्ष अगले तीन वर्ष के लिये आपका फिर निर्वाचन हुआ है। ❑

स्वदेशी से स्वावलम्बन

भारत देश में आज विदेशी कम्पनियों का आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। भारत सरकार की 1991 से चल रही उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की नीतियों के चलते विदेशी कम्पनियों के लिये सभी तरह की छूट मिल रही है। भारत में हजारों विदेशी कम्पनियां भारतीय धन व सम्पत्ति को लूट रही हैं। हर साल भारत देश से प्रत्यक्ष रूप से 2,32,000 करोड़ और परोक्ष रूप से 7,10,000 करोड़ रुपये बाहरी देशों में जा रहे हैं। इसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था में पूंजी की भारी कमी आ रही है। इस पूंजी की कमी को पूरा करने के लिये हमारी सरकारें देशी और विदेशी कर्ज ले रही हैं। अभी तक भारत देश सरकार पर लगभग 40,00,000 करोड़ रुपयों का देशी विदेशी कर्ज हो चुका है। इस कर्ज का ब्याज चुकाने में ही भारत सरकार के बजट का लगभग एक तिहाई धन 3,50,000 करोड़ रुपये खर्च हो जाता है। इन कारणें से भारत के प्रत्येक नागरिक पर लगभग 33,000 रुपये का देशी-विदेशी कर्ज हो गया है। इन सभी कारणों का अंतिम दुष्परिणम है, देश में विकास के लिये धन की भारी कमी।

भारत सरकार ने तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौते (विश्व व्यापार संगठन समझौता, आई.एम.एफ. विश्व बैंक समझौता आदि) कर लिया है। इन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के दबाव में भारत सरकार किसी भी विदेशी कम्पनी को भारत से भगाने में सक्षम एवं समर्थ नहीं है। भारत सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत कमजोर होने के कारण भी विदेशी कम्पनियों की लूट एक गम्भीर समस्या बनी हुई है। अत: अब इन विदेशी कम्पनियों को भारत से भगाना सिर्फ भारतवासियों की इच्छाशक्ति व संकल्प से ही सम्भव है। हम भारतवासियों ने जिस तरह अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कम्पनियों को भारत से भगाया था उसी तरह अब इस विदेशी कम्पनियों को भगाना पड़ेगा। इन विदेशी कम्पनियों को भारत से भगाने का और भारत के संसाधनों की आर्थिक लूट बंद करने का एकमात्र हथियार है बहिष्कार एवं असहयोग।

भारत देश के महान क्रांतिवीरों लोकमान्य बालगंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, महात्मा गांधी, शहीद आजाद भगत सिंह, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, वीर सावरकर, चंद्रशेखर आजाद, नेता जी सुभाषचंद्र बोस, अशफाक उल्लाह आदि ने इसी बहिष्कार के हथियार का प्रयोग करके अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कम्पनी को भारत से उखाड़ फेंका था। जिस अंग्रेजी साम्राज्य का सूरज दुनिया के 70 देशों में नहीं डूबता था, उस अंग्रेजी साम्राज्य को भारत के इन महान क्रांतिकारियों ने हमेशा के लिये समाप्त कर दिया था। आज फिर इस उपयोग के हथियार का इस्तेमाल करके हम भारतवासी उन हजारों विदेशी कम्पनियों को भारत से भगा सकते हैं जो भारत को लूट रही हैं। आइए हम सभी भारतवासी मिलकर संकल्प करें कि अपने जीवन से विदेशी कम्पनियों के उत्पादनों का बहिष्कार करेंगे। इस तरह भारत के धन व आर्थिक सम्पदा को बचाएंगे।

हमारे दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सी विदेशी कम्पनियों की वस्तुओं का बहिष्कार आसानी से किया जा सकता है। इन विदेशी कम्पनियों के स्वदेशी विकल्प बाजारों में आसानी से उपलब्ध हैं। हम सभी स्वदेशी वस्तुओं को स्वीकार करें यही हमारा राष्ट्रधर्म है।

वस्तु	स्वदेशी अपनाएं	विदेशी का बहिष्कार
नहाने का साबुन	गोदरेज, संतूर, निरमा, स्वास्तिक, मैसूर संदल, विप्रो शिकाकाई, फ्रेश, अफगान, कुटीर, होमकोल, प्रिमियम, मीरा, पेडिमिक्स, पितांबरी, विमल, चंद्रिका, गंगा सिंबाल, वनश्री, सर्वोदय, नीम, अनुरा तथा लघु-कुटीर उद्योग के अन्य स्थानीय उत्पादन।	लक्स, लिरिल, लाईफबॉय, पियर्स, रेक्सोना, हमाम, जय, मोती, कैमे, डैम, पॉड्स, पामओलिव, जॉन्सन, क्लिएरसिल, डेटॉल, लसांसी, अस्मीन, गोस्डमिस्ट, लक्मे, ऑम्बे, क्वांटम, मार्गो, फा, नीम
कपड़े धोने का साबुन	स्वास्तिक, ससा, प्लस, निरमा, ऑक्ओ, बिमल, हीपोलीन, डेट, पितांबरी, बी.बी., फेना, उजाला, ईजी, घड़ी, जेंटिल, मंजुला, अनुरा, अन्य स्थानिक उत्पादन, अन्य लघु-कुटरी उद्योग के अन्य स्थानीय उतपादन।	सनलाईट, व्हील, एरियल, चेक, डबल, ट्रीलो, 501, ओके, की, रिबेल अमवे, क्वांटम, सर्फ, एक्सेल, रिन, विमबार, बिझ, रॉबिन ब्लू और हिन्दुस्तान लीवर लि. के अन्य उत्पादन।
सौंदर्य प्रसाधन औषधि	टिप्स एंड टोज, शृंगार, सिंथॉल, संतूर, इमामी, अफगाण, बोरोप्लस, तुलसी, वीको टर्मरिक, अनिका, हेयर एण्ड केयर, हिमानी, पैराशूट, डेंड्रफ सोल्युशन, हिमताज, सिल्केशा, नाईल, फेम, पलसारा, लेके, डाबर, झंडू सांटू, बैद्यनाथ, मिलाय, भास्कर, तबी, बोरोलीन, केराफेड, बजाज, सेवाश्रम, प्रकाश कोकोराज, प्रिमियम, मूल, क्रैक क्रीम, आयुर, पार्क, एवेन्यू, कासवाप्रप, नेचर इसेस और लघु कुटीर उद्योग के अन्य स्थानीय उत्पादन।	जॉन्सन, पॉण्ड्स, ओल्ड स्पाईस, क्लियरसिल, ब्रिलक्रीम, फेयर एंड लवली, बेलवेट, मेडीकेयर, लेबेंडर, नायसिल, शॉवर टू शॉवर, क्यूटीक्युरा, लिरिल, लैक्मे, डेनिम, ऑरगेनिक्स, पेंटीन, रूट्स, हेड एंड शोल्डर, आॉमवे, क्वांटम, क्लीनिक, निहार, कोको केयर, प्लैक्सो, नवराटिस, मॉरटिस आदि।
टुथपैस्ट, दंतमंजन, टुथब्रश	बबूल, प्रॉमिस, विको, ओरा, असर, एंकर, डाबर, बंदर छाप, टु जेल, चॉईस, मिसवाक, अजय, हर्बोडिट, अजंता, क्लासिक, ईगल, बैद्यनाथ, युवराज, इमामी तथा अन्य स्थानीय उत्पादन।	कॉलगेट, सिबाका, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिग्नल, मेंक्लींस,अमवे, क्वांटम, जक्शन फ्रेश, नीम, ओरल बी, फोरहंस

दाढ़ी का साबुन, ब्लैडस	गोदरेज, अफगान, इमामी, सुपर, स्वदेशी, सुपरमैक्स, अशोक, बी-जॉन, टोपॉज, एनाना, प्रीमियम, पार्क एवेन्यु, लेजर, विद्युत तथा अन्य स्थानीय उत्पादन।	एमओलिक, स्पाईस निविया, पौंड्स, प्लैटिन्स, जिलेट, सेवेन ओ क्लॉक, विटमैन, इंरिस्म, स्विस आदि
बिस्किट, चॉकलेट, दुग्ध, ब्रेड	क्रैक जैक, गिट्स, शालीमार, निलगिरी, क्लासिक, अमूल, न्यूट्रामूल,कमको, सम्राट, रॉयल, बिजया, इंडाना, सफल, एशियन, मिक्स ब्रेड, बेरका, सागर, सपन, प्रिया, गोल्ड, न्यूट्रीना, पार्ले तथा अन्य स्थानीय उत्पादन।	ब्रिटानिया, गुड डे, ब्रेड, टाइगर,नेसले, कैडबरी, हनिक्स, बूस्ट, मिल्कमेड, किसान, मैगी, फेरेक्स, अनिकल्प, किटकैट, वार्ज, मोडर्न ब्रेड, मारटोवा, व्हिवा, माइके मिल्क फूड
चाय कॉफी	गिरनार हंसमुख, टाटा टी, आसाम टी, सोसायटी, सपट डंकन, ब्रह्मपुत्रा, एमरुआर, शन, टिप्स, इंडिया, अशोक, तेज, टाटा कैफे, टाटा-टेटली और अन्य स्थानीय उत्पादन	ब्रुक बॉंड, ताजमहल, डायमंड, लिप्टन, ग्रीन लेबल, टाइगर, नेसकैफे, नेसल, डेल्का, ब्रु, सनराईज, थ्री फ्लावर्स
शीतपेय, शरबत, चटनी, अचार	एनर्जी, सोसयो, कम्पाकोला, गुरुजी, ओन्जुस, जाम्पिन, नीरो, पिंगो, फ्रूटी, आस्वाद, डाबर, माला, रॉजर्स, रसना, हमदर्द, मैप्रो, हेनबो, कॅल्वर्ट, रूह आफजा, जय गजानन, हल्दीराम, गोकुल, बीकानेर, ब्रेकफील्ड, नोगा, प्रिया, अशोक मदर्स, रेसेपी, उमा, एचपीएमसी उत्पाद	लेहर, पेप्सी, सेवनअप, मिरंडा, टीम, कोका-कोला, मैक डॉवेल, सोडा, मंगोला, गोल्डपॉट, लिम्का, सिट्रा, थम्स अप आदि।
पीने का पानी	बिसलरी, बैली, नैचुरल अन्य स्थानी उत्पादन	अचक्वाकिना, किले, नेसले नेचरल
आईस्क्रीम	दिनशॉ, जॉ, बाडीलाल, श्रीराम, नेचर, वर्ल्ड, गोकुल, अमूल, हिमालय, निरुला, पेरीना, मदर डेयरी, आरे, विंडी, हेंव मोर, वेरका तथा अन्य स्थानीय उतपादन	केडबरी, डॉलॉप, नाईस, ब्रुक बांड के उत्पादन, क्वालिटी बॉल्स, कारमेली, बास्कीन रॉबिन्स, यांकी ड्रडल्स, कॉरनेटटो
खाद्य तेल खाद्य पदार्थ	सनफ्लॉवर, मारूति, पोस्टमैन, धारा, रॉकेट, स्वीकार, कॉरनेला, रथ, मोहन, उमंग, विजया, सपन, पैराशूट, अशोक, सफोला, कोहिनूर, मधुर, इंजन, गगन, अमृत, वनस्पति, रामदेव, एमडीएच एवरेस्ट बेडेकर, कुबल, डाबर, सहकार, लिज्जत, गणेश शक्तिभोग आटा, टाटा नमक, एमटीआर तथा अन्य स्थानीय उत्पादन।	डालडा, क्रिस्टल, लिप्टन, नमक, आटा और चपाती, मैगी, किसान, तरला, ब्रुक-बॉंड, ह्लिसबरी, आटा, कैप्टन, कुक नमक और आटा मोडर्न चपाती कारगेल आटा, अंकल चिप्स, लेज, लहर।
विद्युत उपकरण	विडियोकॉन, बीपीएल, ओनिडा, सलोरा, टी-सीरिज, नेल्को, ब्लू स्टार, कूल होम, खेतान, एवरेडी, जीप, नोबिनो, इलाइट, अंजली, सुमीत, बंगाल, मैसूर, हॉकिन्स, प्रेस्टीज, प्रेशर कुकर तथा स्थानीय उतपादन	जीईसी, फिलिप्स, सोनी, टीडीके, निप्पो, नेशनल पैनासोनिक, शॉर्प लीडव्हर्लपुल, सैमसंग, देवु तोशीबा, एलजी हितावी, थॉमसन, इलेक्ट्रोलक्स, अकाई, सनसूई, केनवुड, आइवा, ऑल्विन, जापान, लाई, ओमेगा, टाइमेक्स, जापान लाईफ।
घड़ियां	टाइटन, अजन्ता, एचएमटी, मैक्सिमा, अल्विन	ओमेगा, टाईमेक्स, टीसीएल
लेखन सामग्री	जीफ्तो, विल्सन, कैम्लिन, रेव्हलॉन, रोटोमैक, सेलो, स्टिक, चंद्रा, मेटिक्स, कैमल, बिट्टू, स्टिक, रोटो, कोलो, त्रिवेणी, फ्लोरा, अप्सरा, नटराज, हिंन्दुस्तान, ओमेगा, लोटस, कैमे, लिंक तथा अन्य स्थानीय उत्पादन।	पार्कर, पायलट, विंडसर, न्यूटन, फैबर-कैसेल, लक्जर, बिक, मांट ब्लैक, कांस, जेस, वेटसिंग
जूते, चप्पल पॉलिश	लखानी, लिबर्टी, स्टैंडर्ड, एक्शन, पैरागॉन, फ्लैश, करोना, वेलकम, रेक्सोना, रिलैक्सो, लोटस, रेड-टेप, फिनिक्स, बायकिंग, बिल्ली, कार्नोबा, किवी शू पॉलिश, फ्लेक्स, वुडलैंड तथा अन्य स्थानीय उत्पादन।	बाटा, प्यूमा, पॉवर, चेरी-ब्लॉसम, आदिदास, रिबॉक, नाइक, लीकूपर, गैसोलीन
तैयार कपड़े	मफतलाल ट्रेंड, कैम्ब्रिज, चरागदीन, डबल बुल, ओडिएक, अरविंद, डेनिम, डॉन, पोलीन, टीटी, लक्स, अमूल, वीआईपी, रूपा, रेमण्ड, पार्क एवेन्यू, ल्यूपोर्ट क्लिर, एक्सकेलियर, फ्लाईंग मशीन, डयूक्स, कोलकाता, लुधियाना तथा तिरुपुर के सभी हौजरी सहित अन्य स्थानीय उत्पादन।	ली के सभी उत्पादन, पीटर इंग्लैंड, बर्लिंगटन, ऑरो, लकोस्ट, सनफिल्को, कलरप्लस, हुसेन, लुई, फिलिप, लेबिस, पेपे जींस, रेगुलर, बेनेटोन, रीड, एण्ड टेलर, बायफोर्ड।

सूचना : रातों रात कोई भी स्वदेशी वस्तु विदेशी हो सकती है और कोई भी विदेशी वस्तु स्वदेशी। कृपया अपने स्तर से अखबारों एवं पत्रिकाओं के माध्यम से इस संदर्भ में ताजा जानकारी रखें।

सभ्य समाज के सम्मुख बड़ी चुनौती : धर्मान्तरण

❑ आर.एल. फ्रांसिस

केन्द्रीय मंत्री जयराम रमेश ने दिल्ली में कैथोलिक संगठन कैस्टिस इंडिया के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए आर्चबिशप, बिशप सहित कैथोलिक ननों, पादरियों की उपस्थिति में कहा कि कैथोलिक चर्च द्वारा संचालित संगठन नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास करने में मदद करें, लेकिन लक्ष्मण रेखा का सम्मान करें और धर्मान्तरण की गतिविधियां नहीं चलाएं। वह कैस्टिस को कैथोलिक संगठन के रूप में नहीं बल्कि कैथोलिक संचालित सामाजिक संगठन के रूप में देखते हैं। कैस्टिस जलापूर्ति, आवास, पुनर्वास और प्राकृतिक आपदाओं के शिकार लोगों के लिये कार्य करता है।

जयराम रमेश ने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में रामकृष्ण मिशन द्वारा किये गए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में दीघकालीन आधार पर इनके साथ भागीदारी कर सकता है। केन्द्रीय मंत्री जयराम रमेश स्पष्टवादी और स्वतंत्र सोच के हैं। उनके बयानों से कई बार उनकी सरकार को भी असहज स्थिति से गुजरना पड़ा है। धर्मान्तरण पर उनके बयान के गम्भीर अर्थ हैं। भारत में किसी को भी चर्चा के काम से नहीं, बल्कि इसकी आड़ में दूसरे की आस्था में अनावश्यक हस्तक्षेप से आपत्ति है। भारत का संविधान किसी भी धर्म का अनुसरण करने की आजादी देता है और धर्म प्रचार को मान्यता भी देता है। समाज सेवा की आड़ में दूसरों की आस्था पर हमले की इजाजत दी भी नहीं जा सकती। सेवाकार्य और धर्मान्तरण के बीच यही एक लक्ष्मण रेखा है जिसके सम्मान की आशा हर भारतीय चर्च संगठनों से करता है।

आदिवासी समूहों में चर्च का कार्य तेजी से फैल रहा है। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि ईसाई आदिवासी और गैर ईसाई आदिवासियों के बीच के मधुर सम्बंध समाप्त हो गए हैं और उनमें बैर बढ़ रहा है। इसे हम ओडिशा में ग्राहम स्टेंस और उसके दो बेटों की हत्या तथा कंधमाल में साम्प्रदायिक हिंसा के रूप में देख चुके हैं। इस हिंसा के पीछे लक्ष्मण रेखा को पार करना ही मुख्य कारण रहा है, जिस ओर सुप्रीम कोर्ट ने भी इशारा किया है।

आदिवासी समूहों में चर्च का कार्य तेजी से फैल रहा है। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि ईसाई आदिवासी और गैर ईसाई आदिवासियों के बीच के मधुर सम्बंध समाप्त हो गए हैं और उनमें बैर बढ़ रहा है। इसे हम ओडिशा में ग्राहम स्टेंस और उसके दो बेटों की हत्या तथा कंधमाल में साम्प्रदायिक हिंसा के रूप में देख चुके हैं। इस हिंसा के पीछे लक्ष्मण रेखा को पार करना ही मुख्य कारण रहा है, जिस ओर सुप्रीम कोर्ट ने भी इशारा किया है। चर्च संगठन लम्बे समय से आदिवासी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अपने अनुकूल कार्य करने का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देश में चर्च और आरएसएस दो ही संगठन हैं, जिनकी पहुंच आदिवासी समूहों और दूरदराज के क्षेत्रों तक है। इनके पास कार्यकर्ताओं का एक संगठित ढांचा है। आदिवासी समूहों और वंचित वर्गों के बीच कार्यरत आरएसएस धर्मान्तरण का लगातार विरोध करता आया है।

कुछ साल पहले झारखंड के राज्यपाल ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को चर्च के माध्यम से अनाज बांटने की एक योजना बनाई थी, जिस पर इतना बवाल हुआ कि सरकार को अपने कदम पीछे हटाने पड़े। ईसाई मिशनरियों पर धर्मान्तरण के गम्भीर आरोप लगते रहे हैं जिसका हिन्दू समुदाय ही नहीं, मुस्लिम और सिख समुदाय भी विरोध कर रहा है। हालांकि ईसाइयत की तरह इस्लाम भी अपनी संख्या बल बढ़ाने में विश्वास करता है, परन्तु मीनाक्षीपुरम् की घटना के बाद मुस्लिम धर्मान्तरण के तेवर ठंडे जैसे पड़ गए हैं, लेकिन ईसाई मिशनरियों के बारे में ऐसे समाचार लगातार आते रहते हैं। अधिकतर ईसाई कार्यकर्ता दलित ईसाइयों के प्रति चर्च द्वारा अपनाए जा रहे नकारात्मक रवैये से निराश हैं। हाल ही में एक राष्ट्रीय पत्रिका में प्रकाशित लेख के मुताबिक योजनाबद्ध तरीके से धर्मान्तरण की मुहिम चलाने की रणनीति अपनाई जा रही है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में चार हजार से ज्यादा मिशनरी समूह सक्रिय हैं, जो धर्मान्तरण की जमीन तैयार कर रहे हैं। त्रिपुरा में एक प्रतिशत ईसाई आबादी थी जो एक लाख तीस हजार हो गई है। आंकड़े बताते हैं कि इस जनसंख्या में 90 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अरुणाचल प्रदेश में 1961 में दो हजार से कम ईसाई थे, जो आज बारह लाख हो गए हैं। धर्मान्तरण से न केवल धर्म, बल्कि भाषा और सामाजिक व्यवस्था भी पूरी तरह बदल जाती है जिसका परिणाम सांस्कृतिक परिवेश के बदलाव के रूप में होता है। ❑ (लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)